उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed.Se.-104
समुदाय आधारित पुनर्वास

खण्ड 1 समुदाय आधारित पुनर्वास का परिचय (सीबीआर) पेज न0

इकाई–1 समुदाय–आधारित पुनर्वास की अवधारणा, परिभाषा और समुदाय–आधारित पुनर्वास के सिद्धांत 5

इकाई–2 समुदाय–आधारित पुनर्वास के सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ 23

इकाई–3 सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) को शामिल करने का क्षेत्र 33

खण्ड 2 समुदाय–आधारित पुनर्वास के लिए समुदाय को तैयार करना

इकाई–4 जागरूकता कार्यक्रम– प्रकार, तरीके और वकालत 49

इकाई–5 फोकस समूह चर्चा और परिवार परामर्श 65

इकाई–6 समुदाय आधारित पुनर्वास व कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 87

खण्ड 3 समुदाय–आधारित पुनर्वास के लिए दिव्यांगों को तैयार करना

इकाई–7 विद्यालयी शिक्षा, व्यक्ति केन्द्रित शिक्षण तथा सहपाठी समर्थन समूह 103

इकाई–8 अवस्थान्तर; व्यक्तिगत अवस्थान्तर नियोजन, स्व–निश्चयन का विकास तथा स्व–प्रबंधन कौशल 112

इकाई–9 समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण 123

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो0 सत्यकाम — **कुलपति,**
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

विशेषज्ञ समिति

प्रो0 पी0 के0 स्टालिन — निदेशक,शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रो0 पी0 के0 पाण्डेय — आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रो0 छत्रसाल सिंह — आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रो0के0 एस0 मिश्रा — पूर्व कुलपति एवं पूर्व विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रो0 धनन्जय यादव — आचार्य, विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय,प्रयागराज
प्रो0 मीनाक्षी सिंह — आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,वाराणसी
डॉ0 जी0 के0 द्विवेदी — सह–आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ0 दिनेश सिंह — सह–आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

लेखक

डॉ0 रीतू शर्मा — सहा0 आचार्य (विशेष शिक्षा) शिक्षा विद्याशाखा उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 1,2,3,4,5,6,)
श्री बृजलाल — संकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षा, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून (इकाई 7,8,9)

सम्पादक

डॉ0 नीता मिश्रा — सहा0 आचार्य (विशेष शिक्षा) शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,)

परिमापक

प्रो0 पी.के. स्टालिन — आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)

समन्वयक

डॉ. नीता मिश्रा — सहा0 आचार्य, (विशेष शिक्षा), शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

© उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

ISBN- 978-93-48270-84-9

उ0प्र0 राजर्षि मुक्त टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठयसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठय सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आमड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशन – उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रकाशक – कुलसचिव कर्नल विनय कुमार उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2024.

मुद्रक : चंद्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, 42/7 जवाहरलाल नेहरू रोड, प्रयागराज।

खण्ड परिचय

खण्ड एकः समुदाय आधारित पुनर्वास का परिचय

प्रस्तुत खंड समुदाय आधारित पुनर्वास का परिचय (Introduction to Community Based Rehabilitation) पर केंद्रित है। इस खंड को कुल तीन इकाइयॉ हैः–

इकाई 1– इस इकाई में समुदाय आधारित पुनर्वास का परिचय, समप्रत्यय और सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगे।

इकाई 2–इस इकाई के अंतर्गत हम समुदाय आधारित पुनर्वास के संदर्भ में निशक्तजनों के सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक पक्ष को समझने का प्रयास करेगे।

इकाई 3– इस इकाई में सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) को शामिल करने का क्षेत्र से अवगत होगे।

खण्ड दोः समुदाय–आधारित पुनर्वास के लिए दिव्यांगों को तैयार करना

प्रस्तुत खंड समुदाय–आधारित पुनर्वास के लिए दिव्यांगों को तैयार करना के विभिन्न तकनीकों पर केन्द्रित है। इस खंड को कुल तीन इकाइयॉ हैः–

इकाई 4– इस इकाई में हम समुदाय आधारित पुनर्वास के जागरूकता कार्यक्रम– प्रकार, तरीके और वकालत इत्यादि के बारे में जानेगे।

इकाई 5– इस इकाई में हम फोकस ग्रुप डिस्कशन एवं फैमिली कॉउंसलिंग के बारे में अवगत होगे।

इकाई 6– इस इकाई में हम समुदाय आधारित पुनर्वास व कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से अवगत होगे।

खण्ड तीनः समुदाय–आधारित पुनर्वास के लिए समुदाय को तैयार करना

प्रस्तुत खंड समुदाय–आधारित पुनर्वास के लिए समुदाय को तैयार करना के विभिन्न तकनीकों पर केन्द्रित है। इस खंड को कुल तीन इकाइयॉ हैः–

इकाई 7– इस इकाई में हम विद्यालयी शिक्षा, व्यक्ति केन्द्रित शिक्षण तथा सहपाठी समर्थन समूह की अवधारणा के बारे में अवगत होगे।

इकाई 8– इस इकाई में हम अवस्थान्तर; व्यक्तिगत अवस्थान्तर नियोजन, स्व–निश्चयन का विकास तथा स्व–प्रबंधन कौशल से अवगत होगे।

इकाई 9– इस इकाई में हम समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण से अवगत होगे।

इकाई–1 समुदाय–आधारित पुनर्वास की अवधारणा, परिभाषा और समुदाय–आधारित पुनर्वास के सिद्धांत

इकाई संरचना

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 समुदाय आधारित पुनर्वास का इतिहास

1.4 समुदाय आधारित पुनर्वास का परिचय, सम्प्रत्यय एवं परिभाषा

1.5 समुदाय आधारित पुनर्वास की विशेषाएं

1.6 समुदाय आधारित पुनर्वास की गतिविधियां

1.7 समुदाय आधारित पुनर्वास का उद्देश्य

1.8 समुदाय आधारित पुनर्वास के लाभ

1.9 समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम में लोगों की भूमिका

1.10 समुदाय आधारित पुनर्वास का सिद्धांत

1.11 सारांश

1.12 अभ्यास प्रश्न

1.13 चर्चा के बिंदु/स्पष्टीकरण

1.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.1 प्रस्तावना–

प्रस्तुत ईकाई में हम आपका परिचय समुदाय आधारित पुनर्वास की अवधारणा से करेंगे जो इस प्रकार है, समुदाय–आधारित पुनर्वास (सीबीआर) एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों और उनके परिवारों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह समुदाय के भीतर विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए उनकी आवश्यकताओं को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। समुदाय आधारित पुनर्वास का इतिहास, समुदाय आधारित पुनर्वास का उद्देश्य, समुदाय आधारित पुनर्वास की विशेषताएँ, समुदाय आधारित पुनर्वास के लाभ, समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम में लोगों की भूमिका, समुदाय आधारित पुनर्वास के सिद्धान्त (सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व, समग्र दृष्टिकोण, समावेशिता और भागीदारी, सशक्तिकरण, सेवाओ तक पहुँच, स्थायित्व, अंतरक्षेत्रीय सहयोग, मानवाधिकारों का सम्मान, लचीलापन और अनुकूलनशीलता, वकालत) आदि की चर्चा करेंगे।

1.2 उद्देश्य:

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप सक्षम हो सकेगें:–

- समुदाय आधारित पुनर्वास की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे।
- समुदाय आधारित पुनर्वास के सिद्धांत से अवगत हो सकेंगे।
- समुदाय आधारित पुनर्वास के उद्देश्य का प्रयोग कर सकेंगे।

1.3 समुदाय–आधारित पुनर्वास का इतिहास

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) एक ऐसी रणनीति है जिसे दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को उनके समुदायों की सक्रिय भागीदारी और समर्थन के माध्यम से बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उन संसाधन–व्यवस्था में महत्वपूर्ण है जहाँ औपचारिक पुनर्वास सेवाएँ सीमित होती हैं। सीबीआर का विकास एक जटिल और विकसित प्रक्रिया रही है, जिसमें कई ऐतिहासिक घटनाएं और सिद्धांत शामिल हैं। सीबीआर के औपचारिक विकास से पहले, दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल पारंपरिक सामुदायिक प्रथाओं पर निर्भर करती थी। परिवार और स्थानीय समुदाय अनौपचारिक नेटवर्क के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को दैनिक जीवन में एकीकृत करते हुए सहायता और देखभाल प्रदान करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संगठित पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकता महसूस की गई, विशेष रूप से दिव्यांग दिग्गजों के लिए। इसके परिणामस्वरूप अधिक औपचारिक पुनर्वास केंद्र और संस्थान स्थापित हुए, लेकिन ये सेवाएँ अक्सर सीमित थीं और विशेष रूप से युद्ध के दिग्गजों पर केंद्रित थीं। 1970 के दशक में सीबीआर की अवधारणा आकार लेने लगी, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने सीबीआर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1978 में, डब्ल्यू.एच.ओ. ने ''प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल'' रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया गया। इस रिपोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं को सामुदायिक सहायता के साथ एकीकृत करने वाले दृष्टिकोण की वकालत की, जिससे सीबीआर के लिए आधार तैयार हुआ। 1981 में दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ने दिव्यांग लोगों की जरूरतों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और समावेशी दृष्टिकोणों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस पहल ने दिव्यांग लोगों को मुख्यधारा के समाज में एकीकृत करने की वकालत की और समुदाय–आधारित रणनीतियों की नींव रखी। 1983 में, डब्ल्यू.एच.ओ. ने ''Community & Based Rehabilitation: Guidelines'' प्रकाशित की, जिसमें व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामुदायिक संसाधनों और सेवाओं का उपयोग करने पर जोर दिया गया। इसमें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका प्रशिक्षण और सामाजिक समर्थन शामिल थे। इन दिशानिर्देशों ने सीबीआर कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए एक मानक सेट प्रदान किया, जिससे दुनिया भर में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुसंगत और प्रभावी सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। 1994 में, संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में विश्व कार्रवाई कार्यक्रम को अपनाया, जिसने सीबीआर के सिद्धांतों को सुदृढ़ किया और दिव्यांगता सेवाओं को व्यापक सामुदायिक विकास प्रयासों में एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया। 2000 के दशक में सीबीआर दृष्टिकोण का फोकस सशक्तिकरण और अधिकार–आधारित दृष्टिकोणों की ओर स्थानांतरित हो गया। 2004 में विकसित सीबीआर मैट्रिक्स ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण सहित हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया और दिव्यांगता के कई आयामों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की। 2009 में, संयुक्त राष्ट्र ने ''CBR: दिव्यांग लोगों के पुनर्वास, अवसरों के समानीकरण, गरीबी में कमी और सामाजिक समावेशन के लिए एक रणनीति'' का समर्थन किया, जिसने समकालीन प्रथाओं और समझ को प्रतिबिंबित करने के लिए सीबीआर दिशानिर्देशों को अद्यतन किया और मानवाधिकार सिद्धांतों और सामाजिक समावेशन को शामिल करने पर जोर दिया। हाल के वर्षों में, सीबीआर दृष्टिकोण का विकास जारी रहा है, जिसमें दिव्यांगता सहायता को सतत विकास लक्ष्यों सहित व्यापक विकास उद्देश्यों के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्तमान में, यह दृष्टिकोण भागीदारी में बाधाओं को दूर करने और दिव्यांग लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देता है। सामुदायिक भागीदारी और समर्थन को बढ़ावा देकर, सीबीआर का लक्ष्य सभी के लिए एक अधिक समावेशी और समान समाज का निर्माण करना है। सीबीआर एक गतिशील और अनुकूली क्षेत्र बना हुआ है, जो दिव्यांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार नई अंतर्दृष्टि और प्रथाओं को शामिल करता है।

1.4 समुदाय–आधारित पुनर्वास की परिचय, सम्प्रत्यय एवं परिभाषा

- **समुदाय–आधारित पुनर्वास का परिचय**

समुदाय–आधारित पुनर्वास (समुदाय–आधारित पुनर्वास) एक समग्र दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य समुदाय की भागीदारी और सहायता के माध्यम से दिव्यांग लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह रणनीति उन परिस्थितियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ औपचारिक पुनर्वास सेवाएँ सीमित हैं, जैसे कि निम्न और

मध्यम आय वाले देशों में। समुदाय–आधारित पुनर्वास दिव्यांग व्यक्तियों को उनके समुदाय में एकीकृत करने पर जोर देता है, जिसमें परिवार, समुदाय के सदस्यों, स्थानीय संगठनों और सरकारों को शामिल करते हुए एक सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम से उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है।

- **समुदाय–आधारित पुनर्वास की अवधारणाः**

समुदाय–आधारित पुनर्वास की अवधारणा दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने के इर्द–गिर्द घूमती है। केवल संस्थागत या विशेष सेवाओं पर निर्भर रहने के बजाय, समुदाय–आधारित पुनर्वास व्यापक देखभाल और सेवाएँ प्रदान करने के लिए सामुदायिक संसाधनों और सहायता प्रणालियों का लाभ उठाता है। इसका उद्देश्य न केवल दिव्यांग व्यक्तियों की चिकित्सा और शारीरिक जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि उनकी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करना है। यह दृष्टिकोण दिव्यांग व्यक्तियों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले समाधानों के विकास और कार्यान्वयन में शामिल करके उनके बीच अपनेपन और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देता है। सीबीआर इस सिद्धांत पर आधारित है कि दिव्यांग व्यक्ति, उनके परिवार और समुदाय पुनर्वास प्रक्रिया में मुख्य एजेंट हैं। इसमें दिव्यांगता सेवाओं को व्यापक सामुदायिक विकास पहलों में एकीकृत करना शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ये सेवाएँ उन लोगों के लिए सुलभ और प्रासंगिक हैं जिन्हें उनकी जरूरत है। यह दृष्टिकोण भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करने और समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों के अपने समुदायों में समग्र कल्याण और समावेशन में योगदान मिलता है।

- **समुदाय–आधारित पुनर्वास की परिभाषाः**

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, समुदाय–आधारित पुनर्वास (सीबीआर) को दिव्यांग लोगों के पुनर्वास, अवसरों की समानता और सामाजिक समावेशन के लिए सामान्य सामुदायिक विकास के भीतर एक रणनीति के रूप में परिभाषित किया गया है। डब्ल्यूएचओ की परिभाषा इस बात पर जोर देती है कि सीबीआर एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जिसमें निम्न मुख्य तत्व शामिल हैंः

1. **स्वास्थ्यः** यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांग व्यक्तियों के पास आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और पुनर्वास हस्तक्षेपों तक पहुँच हो।

2. **शिक्षाः** दिव्यांग बच्चों और वयस्कों के लिए शैक्षिक अवसरों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना और समावेशी शिक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देना।

3. **आजीविकाः** दिव्यांग व्यक्तियों की वित्तीय स्वतंत्रता में सुधार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी की नियुक्ति और उद्यमशीलता के अवसरों के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण का समर्थन करना।

4. **सामाजिक समावेशनः** सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों सहित सामुदायिक जीवन में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देना।

5. **सशक्तिकरणः** आत्म–वकालत को प्रोत्साहित करना और दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को उनके अधिकारों और आवश्यकताओं की वकालत करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करना।

संक्षेप में, समुदाय–आधारित पुनर्वास एक समुदाय–संचालित दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों को सामुदायिक जीवन के सभी पहलुओं में एकीकृत करके उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे उनके अधिकारों और समानता को बढ़ावा मिलता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि दिव्यांग लोगों को संसाधनों और अवसरों तक पहुँचने के लिए दूसरों के समान अधिकार हैं और उनके समावेश और कल्याण का समर्थन करने में समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1.5 समुदाय–आधारित पुनर्वास की विशेषताएँ

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) की कई प्रमुख विशेषताएँ हैं जो इसे अन्य पुनर्वास दृष्टिकोणों से अलग करती हैं। ये विशेषताएँ सुनिश्चित करती हैं कि समुदाय–आधारित पुनर्वास समावेशी, टिकाऊ और समुदाय की जरूरतों के अनुरूप हो। समुदाय आधारित पुनर्वास कीं निम्नलिखित विशेषताएँ है :-

- ➢ समुदाय–केंद्रित दृष्टिकोण
- ➢ समावेशीपन और पहुँच
- ➢ बहु–क्षेत्रीय सहयोग
- ➢ सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण
- ➢ अधिकार–आधारित दृष्टिकोण
- ➢ स्थिरता और दीर्घकालिक प्रभाव
- ➢ व्यक्ति–केंद्रित दृष्टिकोण
- ➢ निगरानी और मूल्यांकन
- ➢ व्यापक सेवा वितरण
- ➢ अनुकूलनीयता और लचीलापन आदि।

- **समुदाय–केंद्रित दृष्टिकोणः**
  - **स्थानीय जुडावः** समुदाय–आधारित पुनर्वास में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी शामिल होती है, जिसमें दिव्यांग लोग, उनके परिवार और समुदाय के नेता शामिल होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रम समुदाय की विशिष्ट जरूरतों और प्राथमिकताओं के प्रति उत्तरदायी है।
  - **सांस्कृतिक संवेदनशीलताः** समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, स्थानीय परंपराओं, मूल्यों और मानदंडों का सम्मान करते हैं। इससे समुदाय के भीतर स्वीकृति और प्रभावशीलता बढ़ती है।
- **समावेशीपन और पहुँचः**
  - **समग्र समावेशः** समुदाय–आधारित पुनर्वास सभी प्रकार की दिव्यांगता वाले लोगों को शामिल करने को बढ़ावा देता है, चाहे उनकी उम्र, लिंग या सामाजिक–आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। यह सुनिश्चित करता है कि सभी को उनकी जरूरत के अनुसार सहायता मिले।
  - **बाधा हटानाः** शारीरिक, सामाजिक और मनोवृत्ति संबंधी बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है जो दिव्यांग लोगों को सामुदायिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने से रोकते हैं। इसमें सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और सूचना को सुलभ बनाना शामिल है।

❖ बहु–क्षेत्रीय सहयोगः

•एकीकृत सेवाएंः समुदाय–आधारित पुनर्वास में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सेवाओं और सामुदायिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग शामिल है। यह दिव्यांग लोगों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

•भागीदारी और नेटवर्किंगः संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के साथ–साथ सामुदायिक समूहों के साथ मजबूत भागीदारी बनाई जाती है। नेटवर्किंग एक समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया बनाने में मदद करती है।

❖ सशक्तिकरण और क्षमता निर्माणः

- **कौशल विकासः** समुदाय–आधारित पुनर्वास दिव्यांग लोगों, उनके परिवारों और समुदाय के सदस्यों के कौशल और क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित है। इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण, जीवन कौशल शिक्षा और नेतृत्व विकास शामिल हैं।
- **संसाधन जुटानाः** समुदायों को समुदाय–आधारित पुनर्वास पहलों का समर्थन करने के लिए स्थानीय संसाधनों, मानव और वित्तीय दोनों को जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह स्वामित्व और

स्थिरता की भावना को बढ़ावा देता है।

❖ अधिकार–आधारित दृष्टिकोणः

- **वकालत और जागरूकताः** समुदाय–आधारित पुनर्वास वकालत और जागरूकता अभियानों के माध्यम से दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। इससे दृष्टिकोण बदलने, नकारात्मक दृष्टिकोण को कम करने और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।
- **नीतिगत प्रभावः** समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति और कानून को प्रभावित करने का काम करते हैं।

❖ स्थिरता और दीर्घकालिक प्रभावः

- **समुदाय का स्वामित्वः** समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के सभी चरणों में, नियोजन से लेकर मूल्यांकन तक, समुदाय के स्वामित्व और भागीदारी के महत्व पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि हस्तक्षेप टिकाऊ हैं और दीर्घकालिक रूप से समुदाय को लाभ पहुंचाते रहेंगे।
- **पर्यावरणीय स्थिरताः** समुदाय–आधारित पुनर्वास पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रम पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाएँ और उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के साथ बनाए रखा जा सके।

❖ व्यक्ति–केंद्रित दृष्टिकोणः

- **व्यक्तिगत सहायताः** समुदाय–आधारित पुनर्वास व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है जो दिव्यांगता वाले प्रत्येक व्यक्ति की अनूठी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि हस्तक्षेप प्रासंगिक और प्रभावी हैं।
- **परिवार की भागीदारीः** परिवार पुनर्वास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, दिव्यांग लोगों के लिए समर्थन और वकालत प्रदान करते हैं।

❖ निगरानी और मूल्यांकनः

- **नियमित मूल्यांकनः** समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों में हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन के तंत्र शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कार्यक्रम उत्तरदायी और अनुकूल हैं।
- **डेटा–संचालित निर्णय लेनाः** समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्णय सटीक डेटा और साक्ष्य पर आधारित होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए और परिणाम अधिकतम हों।

❖ व्यापक सेवा वितरणः

- **स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाएंः** समुदाय–आधारित पुनर्वास में दिव्यांग लोगों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा और चिकित्सा देखभाल जैसी स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाओं की एक श्रृंखला शामिल है।
- **शैक्षणिक और रोजगार सहायताः** समुदाय–आधारित पुनर्वास समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है और व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी की नियुक्ति और कार्यस्थल अनुकूलन सहित रोजगार के लिए सहायता प्रदान करता है।
- **सामाजिक और सामुदायिक भागीदारीः** समुदाय–आधारित पुनर्वास सामाजिक समावेशन, मनोरंजन और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

❖ अनुकूलनीयता और लचीलापनः

- **संदर्भ–विशिष्ट हस्तक्षेपः** समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को अनुकूलनीय और लचीला बनाया गया है, जिससे वे समुदाय की बदलती जरूरतों और संदर्भों पर प्रतिक्रिया दे सकें। यह सुनिश्चित

करता है कि कार्यक्रम समय के साथ प्रासंगिक और प्रभावी बने रहें।

- **नवाचार और रचनात्मकताः** समुदाय–आधारित पुनर्वास दिव्यांग लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए समाधान विकसित करने में नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। इसमें स्थायी हस्तक्षेप बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों और ज्ञान का उपयोग करना शामिल है।

ये विशेषताएँ सुनिश्चित करती हैं कि दिव्यांग लोगों और उनके समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समुदाय–आधारित पुनर्वास व्यापक, समावेशी और टिकाऊ दृष्टिकोण है। सशक्तिकरण, समावेशिता, सहयोग और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके, समुदाय–आधारित पुनर्वास एक ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ दिव्यांग लोग पनप सकते हैं और समाज में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं।

1.6 समुदाय आधारित पुनर्वास की गतिविधियां

समुदाय–आधारित पुनर्वास एक समग्र दृष्टिकोण है जिसे व्यापक सामुदायिक भागीदारी और सहायता के माध्यम से दिव्यांग लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। समुदाय–आधारित पुनर्वास के मुख्य घटकों में शामिल हैं:

•स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं :-

– फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा और सहायक उपकरणों तक पहुँच सहित आवश्यक चिकित्सा उपचार और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना।

– प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन, निवारक देखभाल और सहायक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना।

– समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए टीकाकरण अभियान और स्वच्छता परियोजनाओं जैसी सामुदायिक स्वास्थ्य पहलों को लागू करना।

•शिक्षा :-

– दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों और कक्षाओं में एकीकृत करके समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना।

– ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष शिक्षा सेवाएँ प्रदान करना जिन्हें अधिक विशिष्ट सहायता की आवश्यकता है।

– दिव्यांग वयस्कों के लिए साक्षरता और व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के लिए वयस्क शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करना।

•आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण :-

– दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना।

– समुदाय के भीतर उद्यमिता और आय–उत्पादक गतिविधियों के विकास के लिए सहायता प्रदान करना।

– आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।

•सामाजिक समावेशन और भागीदारी :-

– अधिक समावेशी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए दिव्यांगता मुद्दों के बारे में समुदाय के भीतर जागरूकता बढ़ाना।

– परिवहन, इमारतों और मनोरंजक सुविधाओं सहित सार्वजनिक स्थानों में पहुँच को बढ़ाना।

– एकीकरण और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक गतिविधियों, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

•सशक्तिकरण और वकालत :-

– दिव्यांग व्यक्तियों को आत्म–वकालत में प्रशिक्षित करना ताकि वे अपने अधिकारों और आवश्यकताओं के लिए प्रभावी ढंग से वकालत कर सकें।

– ऐसे सहायता समूह स्थापित करना जो भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं और अनुभवों को साझा करने में सुविधा प्रदान करते हैं।

– विधायी परिवर्तनों को प्रभावित करने और दिव्यांगता अधिकारों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नीति वकालत में संलग्न होना।

•परिवार और समुदाय का समर्थन :-

– दिव्यांग व्यक्तियों का समर्थन करने की उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए देखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।

– एक सहायक और सहयोगी वातावरण बनाने के लिए समुदाय–आधारित पुनर्वास पहलों में सामुदायिक भागीदारी को संगठित करना।

•निगरानी और मूल्यांकन :-

– समुदाय–आधारित पुनर्वास हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए नियमित मूल्यांकन करना।

– प्रतिभागियों और हितधारकों से इनपुट एकत्र करने के लिए प्रतिक्रिया तंत्र को लागू करना।

– यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के आधार पर आवश्यक समायोजन करना कि समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम समुदाय की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करना जारी रखें।

इन आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, समुदाय–आधारित पुनर्वास का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सहायक वातावरण बनाना है, जिससे दिव्यांग लोग अधिक संतुष्टिदायक और स्वतंत्र जीवन जी सकें।

1.7 समुदाय–आधारित पुनर्वास का उद्देश्य

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) एक बहुआयामी रणनीति है जिसे दिव्यांग लोगों, उनके परिवारों और उनके समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। समुदाय–आधारित पुनर्वास के उद्देश्य व्यापक हैं और एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करना चाहते हैं।

- व्यक्तियों और परिवारों का सशक्तिकरण देना।
- समावेशन और भागीदारी को बढ़ावा देना।
- पहुँच में वृद्धि करना।
- अधिकारों और नीति परिवर्तन के लिए वकालत करना।
- स्थायित्व और सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देना।

इन उद्देश्यों को संबोधित करके, समुदाय–आधारित पुनर्वास समावेशी, सहायक और टिकाऊ वातावरण बनाने का प्रयास करता है जहाँ दिव्यांग लोग अपने को समाज को मुख्यधारा में स्थापित कर सकें और अपने समुदायों में पूरी तरह से भाग ले सकें। समुदाय–आधारित पुनर्वास का समग्र दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर विचार किया जाए, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में व्यापक और सार्थक सुधार हो सके।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

1) समुदाय आधारित पुनर्वास की परिभाषा दीजिये।

.....

.....

2) समुदाय आधारित पुनर्वास के उद्देश्य क्या है?

.....

.....

3) समुदाय आधारित पुनर्वास किस माध्यम से दिव्यांगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढाता है?

.....

.....

4) समुदाय आधारित पुनर्वास का समग्र दृष्टिकोण क्या है?

.....

.....

1.8 समुदाय–आधारित पुनर्वास के लाभ

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) कई तरह के लाभ प्रदान करता है, जो दिव्यांग व्यक्तियों, उनके परिवारों और बड़े पैमाने पर समुदाय के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। समुदाय–आधारित पुनर्वास के दीर्घकालिक लाभों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समावेश और सामुदायिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ इन लाभों का अन्वेषण किया गया है:-

➢ **स्वास्थ्य लाभः**

- **स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँचः** समुदाय–आधारित पुनर्वास दिव्यांग लोगों के लिए स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाओं तक बेहतर पहुँच की सुविधा प्रदान करता है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, विशेष चिकित्सा सेवाएँ, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता शामिल हैं।
- **निवारक देखभाल और प्रारंभिक हस्तक्षेपः** सामुदायिक पहुँच और शिक्षा के माध्यम से, समुदाय–आधारित पुनर्वास निवारक देखभाल और प्रारंभिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है, जिससे दिव्यांगता से जुड़ी माध्यमिक स्वास्थ्य स्थितियों की घटना और गंभीरता कम हो जाती है।
- **समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोणः** समुदाय–आधारित पुनर्वास स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को संबोधित करता है। यह व्यापक देखभाल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करती है।

➢ **शैक्षिक लाभः**

- **समावेशी शिक्षाः** समुदाय–आधारित पुनर्वास समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों और उचित शैक्षिक सहायता तक पहुँच हो। इससे बेहतर

शैक्षिक परिणाम और साक्षरता और संख्यात्मकता का उच्च स्तर प्राप्त होता है।

- **शिक्षक प्रशिक्षण और सहायताः** समुदाय–आधारित पुनर्वास शिक्षकों को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करता है, उन्हें दिव्यांग छात्रों को प्रभावी ढंग से सहायता करने के लिए कौशल से लैस करता है। यह शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है और समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देता है।

- **आजीवन सीखने के अवसरः** समुदाय–आधारित पुनर्वास व्यावसायिक प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करके आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करता है। यह दिव्यांग व्यक्तियों को अपने पूरे जीवन में सीखने और बढ़ने के लिए सशक्त बनाता है।

➢ **आर्थिक लाभः**

रोजगार के अवसरः समुदाय–आधारित पुनर्वास समावेशी भर्ती प्रथाओं को बढ़ावा देकर, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके और स्वरोजगार और उद्यमिता का समर्थन करके दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बनाता है।

- **आर्थिक स्वतंत्रताः** रोजगार और आय–सृजन गतिविधियों की सुविधा प्रदान करके, समुदाय–आधारित पुनर्वास दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने, सामाजिक कल्याण पर उनकी निर्भरता को कम करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है।

- **गरीबी में कमीः** आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से, समुदाय–आधारित पुनर्वास न केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बल्कि उनके परिवारों और समुदायों के लिए भी गरीबी में कमी लाने में योगदान देता है।

➢ **सामाजिक लाभः**

- **सामाजिक समावेशः** समुदाय–आधारित पुनर्वास सामुदायिक गतिविधियों, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक समारोहों में दिव्यांग लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके सामाजिक समावेश को बढ़ावा देता है। इससे जुड़ाव की भावना बढ़ती है और सामाजिक अलगाव कम होता है।

- **नकारात्मक दृष्टिकोण और भेदभाव में कमीः** जागरूकता बढ़ाकर और दिव्यांगता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, समुदाय–आधारित पुनर्वास नकारात्मक दृष्टिकोण और भेदभाव को कम करने में मदद करता है। इससे अधिक स्वीकार्य और सहायक समुदाय बनते हैं।

- **मजबूत सामाजिक नेटवर्कः** समुदाय–आधारित पुनर्वास मजबूत सामाजिक नेटवर्क और सहायता प्रणालियों के विकास की सुविधा प्रदान करता है, दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को वह सामाजिक समर्थन प्रदान करता है जिसकी उन्हें सफल होने के लिए आवश्यकता होती है।

➢ **सशक्तिकरण और वकालत के लाभः**

- **बढो हुई आत्म–वकालतः** समुदाय–आधारित पुनर्वास दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों और आवश्यकताओं की वकालत करने के लिए सशक्त बनाता है। इसमें आत्म–वकालत कौशल में प्रशिक्षण और उनकी आवाज को सुनने के लिए मंच प्रदान करना शामिल है।

- **नीतिगत प्रभावः** समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम अक्सर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर वकालत में संलग्न होते हैं, दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कानूनों को प्रभावित करते हैं।

- **बढ़ी हुई सामुदायिक जागरूकताः** सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से, समुदाय–आधारित पुनर्वास दिव्यांगता के मुद्दों की समझ बढ़ाता है और एक अधिक समावेशी और समतावादी समाज को बढ़ावा देता है।

➢ **परिवार और समुदाय के लाभः**

- **परिवार का समर्थन और शिक्षाः** समुदाय–आधारित पुनर्वास परिवारों को अपने दिव्यांग सदस्यों को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए ज्ञान, कौशल और संसाधन प्रदान करता है। इससे पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं और परिवार इकाई की समग्र भलाई में सुधार होता है।

- **सामुदायिक विकासः** समुदाय–आधारित पुनर्वास स्वयंसेवा, सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संसाधनों को जुटाकर सामुदायिक विकास को बढ़ावा देता है। इससे अधिक लचीले और एकजुट समुदाय बनते हैं।

- **क्षमता निर्माणः** समुदाय–आधारित पुनर्वास दिव्यांग लोगों की सहायता करने के लिए समुदाय के सदस्यों, स्थानीय संगठनों और सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण करता है। इसमें प्रशिक्षण, संसाधन प्रावधान और स्थानीय विशेषज्ञता का विकास शामिल है।

➢ **पर्यावरणीय लाभः**

- **सुलभ अवसंरचनाः** समुदाय–आधारित पुनर्वास सार्वजनिक भवनों, परिवहन और मनोरंजक सुविधाओं सहित सुलभ अवसंरचना के विकास की वकालत करता है और उसे सुविधाजनक बनाता है। इससे न केवल दिव्यांग लोगों को बल्कि व्यापक समुदाय को भी लाभ होता है, जिसमें बुजुर्ग और छोटे बच्चों वाले माता–पिता शामिल हैं।

- **स्थायी अभ्यासः** समुदाय–आधारित पुनर्वास अपने कार्यक्रमों में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ अभ्यासों को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि हस्तक्षेप पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाएँ और स्थानीय संसाधनों के साथ बनाए रखा जा सके।

➢ **मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक लाभः**

- **बेहतर मानसिक स्वास्थ्यः** स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करके, सामाजिक समर्थन प्रदान करके और समावेश को बढ़ावा देकर, समुदाय–आधारित पुनर्वास दिव्यांग लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को बेहतर बनाने में मदद करता है।

- **आत्म–सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धिः** समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों में भागीदारी दिव्यांग व्यक्तियों को आत्म–सम्मान और आत्मविश्वास का निर्माण करने में मदद करती है, जिससे वे अपने समुदायों में सक्रिय भूमिका निभाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।

➢ **दीर्घकालिक स्थिरताः**

- **सामुदायिक स्वामित्वः** कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वयन के सभी चरणों में समुदाय को शामिल करके, समुदाय–आधारित पुनर्वास सुनिश्चित करता है कि हस्तक्षेप समुदाय द्वारा संचालित और दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ हों।

- **लचीलापन निर्माणः** समुदाय–आधारित पुनर्वास व्यक्तियों और समुदायों के लचीलेपन के निर्माण में योगदान देता है, जिससे वे चुनौतियों और परिवर्तनों का बेहतर ढंग से सामना करने में सक्षम होते हैं।

संक्षेप में, समुदाय–आधारित पुनर्वास के लाभ व्यापक और बहुआयामी हैं। एक समग्र, समावेशी और टिकाऊ दृष्टिकोण अपनाकर, समुदाय–आधारित पुनर्वास दिव्यांग लोगों, उनके परिवारों और व्यापक समुदाय के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये लाभ तत्काल पुनर्वास आवश्यकताओं से परे हैं, जो दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कल्याण को बढ़ावा देते हैं।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

5) समुदाय आधारित पुनर्वास में किन क्षेत्रों के बीच सहयोग शामिल है?

.....

.....

6) परिवार किस प्रकार दिव्यांगों के पुनर्वास में सहायक होते हैं?

.....

.....

7) समुदाय आधारित पुनर्वास की विशेषताएँ क्या सुनिश्चित करती हैं?

.....

.....

8) समुदाय आधारित पुनर्वास के आजीवन सीखने के अवसर से क्या तात्पर्य है?

.....

.....

1.9 समुदाय–आधारित पुनर्वास में लोगों की भूमिका

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें दिव्यांग लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ काम करना शामिल है। समुदाय के भीतर प्रत्येक समूह की एक विशिष्ट भूमिका होती है, जो एक व्यापक सहायता प्रणाली में योगदान देता है। यहाँ समुदाय–आधारित पुनर्वास में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की विस्तृत जानकारी निम्नवत है:

➢ **दिव्यांग व्यक्ति और उनके परिवार दिव्यांग व्यक्ति:**

दिव्यांग व्यक्ति

- **सक्रिय भागीदारी:** दिव्यांग व्यक्ति समुदाय–आधारित पुनर्वास प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेते हैं, जिसमें पुनर्वास गतिविधियों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और उनका मूल्यांकन करने में शामिल होते हैं।
- **स्व–वकालत:** दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों और आवश्यकताओं की वकालत करने के लिए सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।
- **सहकर्मी सहायता:** दिव्यांग व्यक्ति स्व–सहायता समूहों में शामिल होते हैं, जहाँ वे अनुभव साझा कर सकते हैं और आपसी सहायता प्रदान कर सकते हैं।

परिवारः

- **प्राथमिक देखभालकताः** परिवार अक्सर दैनिक देखभाल और सहायता प्रदान करते हैं।
- **भावनात्मक समर्थनः** परिवार भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करते हैं।
- **सक्रिय भागीदारीः** परिवार पुनर्वास योजना और कार्यान्वयन में भाग लेते हैं।

➢ **समुदाय के सदस्यः**

- **जागरूकता और संवेदनशीलताः** समुदाय के सदस्य दिव्यांगता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और नकारात्मक दृष्टिकोण और भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **स्वयंसेवाः** समुदाय के सदस्य समुदाय–आधारित पुनर्वास गतिविधियों का समर्थन करने के लिए अपना समय और संसाधन स्वेच्छा से देते हैं।
- **समावेशी अभ्यासः** समुदाय के सदस्य स्थानीय व्यवसायों, स्कूलों और सामाजिक सामंजस्य में समावेशी अभ्यासों को अपनाने में मदद करते हैं।

➢ **समुदाय–आधारित संगठनः**

- **सेवा प्रावधानः** समुदाय–आधारित संगठन आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- क्षमता निर्माणः वे दिव्यांग व्यक्तियों, उनके परिवारों और अन्य समुदाय के सदस्यों के लिए पुनर्वास से संबंधित कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
- पक्ष–समर्थनः समुदाय–आधारित संगठन दिव्यांग लोगों के अधिकारों और समावेशन की वकालत करते हैं।

➢ **स्वास्थ्य पेशेवरः**

- चिकित्सा सेवाएँः स्वास्थ्य पेशेवर आवश्यक चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- पुनर्वास सेवाएँः वे विशेष पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- प्रशिक्षणः स्वास्थ्य पेशेवर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करते हैं।

➢ **स्थानीय सरकार और प्राधिकरणः**

- नीति कार्यान्वयनः सरकारें दिव्यांग लोगों के समावेश और अधिकारों का समर्थन करने वाली नीतियों और विनियमों को लागू करती हैं।
- संसाधन आवंटनः सरकारें समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए संसाधन और धन आवंटित करती हैं।
- बुनियादी ढांचे का विकासः सरकारें सार्वजनिक भवनों, परिवहन प्रणालियों और संचार प्रौद्योगिकियों जैसे सुलभ बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देती हैं ताकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी और सुलभ वातावरण बनाया जा सके।

इसके अलावा, सरकारें निम्नलिखित कार्य भी कर सकती हैंः

- सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करनाः सरकारें दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं ताकि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके।
- कानूनी संरक्षण प्रदान करनाः सरकारें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाती हैं

और लागू करती हैं ताकि भेदभाव और शोषण को रोका जा सके।

- जागरूकता अभियान चलानाः सरकारें दिव्यांगता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाती हैं ताकि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

समुदाय–आधारित पुनर्वास एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, जिनमें से प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तियों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक साथ काम करके, ये हितधारक एक समावेशी और सहायक वातावरण बना सकते हैं जो समुदाय में दिव्यांग लोगों की भलाई और पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देता है। समुदाय–आधारित पुनर्वास की सफलता इन सभी समूहों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग पर निर्भर करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पुनर्वास प्रयास व्यापक, टिकाऊ हों तथा जिन व्यक्तियों की वे सेवा करते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

9) समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम किस प्रकार नीतियों और कानूनों को प्रभावित करते हैं?

.....

.....

10) समुदाय आधारित पुनर्वास में भागीदारी दिव्यांगों के आत्मविश्वास का निर्माण किस प्रकार लाभांवित करता है?

.....

.....

11) दिव्यांगों की सक्रिय भागीदारी क्या सुनिश्चित करती है?

.....

.....

12) समुदाय के सदस्यों की भूमिका बताइये।

.....

.....

1.10 समुदाय–आधारित पुनर्वास के सिद्धांत :

समुदाय आधारित पुनर्वास (CBR) एक समग्र दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को समुदाय में समावेशित और समर्थ बनाने के लिए है। इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

- **समावेशिताः** समावेशिता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, दिव्यांगता, लिंग, धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, समान और न्यायपूर्ण अवसर प्रदान करना। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, और सामाजिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने और लाभ उठाने का अवसर मिले। समावेशिता के तहत सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं

की सुलभता, समुदाय की भागीदारी, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, और भेदभाव रहित नीतियाँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां सभी लोग सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करें।

- **सामुदायिक भागीदारीः** सामुदायिक भागीदारी का अर्थ है समुदाय के सभी सदस्यों को सक्रिय रूप से शामिल करना और उनके योगदान को महत्व देना ताकि सामूहिक निर्णय लेने, समस्याओं के समाधान, और विकास के प्रयासों में सभी की आवाज सुनी जा सके। यह दृष्टिकोण समुदाय के भीतर आपसी सहयोग, समर्थन और जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है, जिससे स्थायी और प्रभावी परिणाम प्राप्त होते हैं। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लोगों में सशक्तिकरण की भावना विकसित होती है और वे अपने समुदाय की भलाई के लिए स्वयं को जिम्मेदार महसूस करते हैं।

- **सक्षमता निर्माणः** सक्षमता निर्माण (Capacity Building) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति, संगठन, और समुदाय अपनी क्षमता, कौशल, और ज्ञान को बढ़ाते हैं ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें। यह शिक्षा और प्रशिक्षण, संगठनात्मक विकास, नेटवर्किंग और सहयोग, संसाधन प्रबंधन, नीति और योजना, और समर्थन प्रणाली जैसे तत्वों के माध्यम से होता है। इसका उद्देश्य लोगों और संगठनों को सशक्त बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने समुदायों के विकास में सक्रिय रूप से योगदान कर सकें। सक्षमता निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो निरंतर सुधार और अनुकूलन की मांग करती है।

- **अधिकार आधारित दृष्टिकोणः** अधिकार आधारित दृष्टिकोण (Rights & Based Approach) एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें विकास और नीति निर्माण में मानवाधिकारों के सिद्धांतों को केंद्रीय भूमिका दी जाती है। इसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों के लिए समानता, गैर–भेदभाव, पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी, और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है, ताकि हर व्यक्ति को उनके अधिकारों का पूर्ण आनंद मिल सके। यह दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए, विशेषकर हाशिये पर पड़े समुदायों के लिए संरचनात्मक परिवर्तन लाने पर जोर देता है, जिससे विकास का लाभ सभी तक पहुंचे।

- **बहु–क्षेत्रीय सहयोगः** अधिकार आधारित दृष्टिकोण (Multi-Sectoral Cooperation) एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें विकास और नीति निर्माण में मानवाधिकारों के सिद्धांतों को केंद्रीय भूमिका दी जाती है। इसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों के लिए समानता, गैर–भेदभाव, पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी, और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है, ताकि हर व्यक्ति को उनके अधिकारों का पूर्ण आनंद मिल सके। यह दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए, विशेषकर हाशिये पर पड़े समुदायों के लिए संरचनात्मक परिवर्तन लाने पर जोर देता है, जिससे विकास का लाभ सभी तक पहुंचे।

- **स्थानीय संसाधनों का उपयोगः** स्थानीय संसाधनों का उपयोग (Utilization of Local Resources) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समुदाय या क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक, मानव और भौतिक संसाधनों को प्रभावी ढंग से पहचान कर उनका उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्वावलंबन और सतत विकास को बढ़ावा देना है, जिससे बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम हो और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। यह दृष्टिकोण सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिससे स्थानीय ज्ञान और कौशल का पूर्ण लाभ उठाया जा सके, और विकास की योजनाएं अधिक समावेशी और व्यवहारिक बन सकें।

- **सतत विकासः** सतत विकास (Sustainable Development) वह विकास प्रक्रिया है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखती है, जिससे संसाधनों का संतुलित और दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित हो सके। यह आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशिता, और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए कार्य करता है, ताकि विकास के लाभ सभी तक पहुंच सकें और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो। सतत विकास का उद्देश्य एक स्वस्थ, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है, जहां हर व्यक्ति को विकास के अवसर मिलें और पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।

- **सामाजिक न्याय और समानताः** सभी दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर और सामाजिक न्याय प्रदान

करना है। समुदाय आधारित पुनर्वास का उद्देश्य केवल दिव्यांग व्यक्तियों की पुनर्वास करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें समाज का सक्रिय और समान सदस्य बनाने के लिए है।

इन सिद्धांतों को अपनाकर, समुदाय–आधारित पुनर्वास दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में सक्रिय और समान सदस्य बनाने में मदद कर सकता है। यह दृष्टिकोण समुदाय के भीतर सशक्तिकरण, सहयोग, और स्थायी विकास को बढ़ावा देता है, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

13) समावेशी शिक्षा क्या सुनिश्चित करती है?

.....

.....

14) दिव्यांगता के मुद्दों के बारे में मीडिया की भूमिका बताइए।

.....

.....

15) समुदाय आधारित पुनर्वास के सिद्धांत क्या सुनिश्चित करते हैं?

.....

.....

1.11 सारांश:

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, इसके लिए संसाधनों और उनके समुदायों की भागीदारी का लाभ उठाना है। यह रणनीति पहुँच पर जोर देती है, यह सुनिश्चित करती है कि दिव्यांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार तक पहुँचने के समान अवसर मिलें। समुदाय–आधारित पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य समुदाय की सक्रिय भागीदारी है, जो किए गए पहलों के लिए स्वामित्व और स्थिरता की भावना को बढ़ावा देती है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है, न केवल चिकित्सा बल्कि व्यक्तियों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक आवश्यकताओं को भी संबोधित करता है। क्षमता निर्माण एक प्रमुख घटक है, जिसमें दिव्यांग लोगों और समुदाय के सदस्यों दोनों को समावेशी प्रथाओं का समर्थन और वकालत करने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा शामिल है। प्रभावी समुदाय–आधारित पुनर्वास मजबूत नीति और विधायी समर्थन पर भी निर्भर करता है जो दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बनाए रखता है और समाज में उनके पूर्ण समावेश को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर, समुदाय–आधारित पुनर्वास समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जिसके लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाने और लचीले समुदायों का निर्माण करने के लिए सहयोगी प्रयासों, एक बहुआयामी दृष्टिकोण और ठोस नीति समर्थन की आवश्यकता होती है।

1.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) समुदाय–आधारित पुनर्वास को इस प्रकार परिभाषित करता है: '' दिव्यांग लोगों के पुनर्वास, अवसरों की समानता, गरीबी में कमी और सामाजिक समावेशन के लिए

सामान्य सामुदायिक विकास के भीतर एक रणनीति।''

2) समुदाय–आधारित पुनर्वास के उद्देश्य व्यापक हैं और एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करना चाहते हैं।

3) पुनर्वास सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से दिव्यांग लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।

4) समुदाय–आधारित पुनर्वास का समग्र दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर विचार किया जाए, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में व्यापक और सार्थक सुधार हो सके।

5) समुदाय–आधारित पुनर्वास में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सेवाओं और सामुदायिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग शामिल है।

6) परिवार पुनर्वास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, दिव्यांग लोगों के लिए समर्थन और वकालत प्रदान करते हैं।

7) समुदाय आधारित पुनर्वास की विशेषताएँ सुनिश्चित करती हैं कि दिव्यांग लोगों और उनके समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समुदाय–आधारित पुनर्वास व्यापक, समावेशी और टिकाऊ दृष्टिकोण है। सशक्तिकरण, समावेशिता, सहयोग और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके, समुदाय–आधारित पुनर्वास एक ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ दिव्यांग लोग पनप सकते हैं और समाज में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं।

8) समुदाय–आधारित पुनर्वास व्यावसायिक प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करके आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करता है। यह दिव्यांग व्यक्तियों को अपने पूरे जीवन में सीखने और बढ़ने के लिए सशक्त बनाता है।

9) समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कानूनों को प्रभावित करते हैं।

10) समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों में भागीदारी दिव्यांग व्यक्तियों को आत्म–सम्मान और आत्मविश्वास का निर्माण करने में मदद करती है, जिससे वे अपने समुदायों में सक्रिय भूमिका निभाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।

11) दिव्यांगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है कि कार्यक्रम उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप हों।

12) समुदाय के सदस्य दिव्यांगता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें शिक्षा अभियान, कार्यशालाएँ और समावेशी सामुदायिक गतिविधियाँ शामिल हैं।

13) यह सुनिश्चित करने के लिए समावेशी शिक्षा प्रथाओं को लागू करना कि दिव्यांग बच्चों को उनके साथियों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो।

14) दिव्यांगता के मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और दिव्यांग लोगों की सकारात्मक छवियों को बढ़ावा देने में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

15) समुदाय आधारित पुनर्वास के सिद्धांत विकास और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे प्रभावी, न्यायसंगत और टिकाऊ हैं।

1.13 अभ्यास– कार्य

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अधिकारिक तौर पर किस सन् में समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम प्रारंभ किया?
2. सी. बी. ओ. का पूर्णरूप लिखिये।
3. एन. जी. ओ. का पूर्णरूप लिखिये।

1.14 चर्चा के बिन्दु

- आप अपने सहपाठियों के साथ समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांगों के आवश्यकताओं की चर्चा कीजिये।

1.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- Booth, T., & Ainscow, M. (2018). Community-based rehabilitation and inclusive education: Principles and practices. International Journal of Inclusive Education, 22(7), 749-761. https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1484029
- Elwan, A. (1999). Disability and poverty: A review of the literature. World Bank. Retrieved from https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/1475414687376/disability-and-poverty-a-review-of-the-literature
- Global Partnership for Education. (2020). Understanding the principles of community-based rehabilitation. Retrieved from https://www.globalpartnership.org/content/understanding-principles-community-based-rehabilitation
- Harris, J., & Tew, J. (Eds.). (2017). Community-based rehabilitation: A guide for policymakers. Routledge.
- International Labour Organization. (2013). Community-based rehabilitation: Key principles and best practices. Retrieved from https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/community-based-rehabilitation
- Sharma, R., & Sinha, A. (2020). Theoretical foundations and principles of community-based rehabilitation: A comprehensive review. Journal of Disability Policy Studies, 30(4), 200-212. https://doi.org/10.1177/1044207320902151
- United Nations Enable. (2021). Community-based rehabilitation: Concept and principles. Retrieved from https://www.un.org/development/desa/disabilities/community-based-rehabilitation.html
- World Health Organization. (2004). Community-based rehabilitation: CBR guidelines. World Health Organization. Retrieved from

https://www.who.int/publications/i/item/9789241548051

- World Health Organization. (2006). Community-based rehabilitation: CBR guidelines.WorldHealthOrganization.Retrievedfromhttps://www.who.int/publications/i/item/9789241548051
- Wright, P., & Patel, A. (2019). Community-based rehabilitation: A review of definitions, concepts, and core principles. Disability and Society, 34(3), 418-433. https://doi.org/10.1080/09687599.2018.1540708

इकाई–2 समुदाय–आधारित पुनर्वास के सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ

इकाई संरचना

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) का सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ

2.4 समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) का आर्थिक संदर्भ

2.5 सारांश

2.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.7 अभ्यास– कार्य

2.8 चर्चा के बिन्दु

2.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.1 प्रस्तावना

हम आपका परिचय समुदाय आधारित पुनर्वास के सामाजिक– सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ से कराएंगे। जिसके अंतर्गत समुदाय आधारित पुनर्वास के सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ की अवधारणा की चर्चा करेंगे। समुदाय आधारित पुनर्वास के सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा के अंतर्गत सांस्कृतिक मान्यताएँ और दृष्टिकोण, सामुदायिक संरचनाएँ और सामाजिक नेटवर्क, पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ , आर्थिक कारक,लिंग गतिशीलता, शिक्षा और साक्षरता, सामुदायिक भागीदारी और सशक्तिकरण, कानूनी और नीतिगत ढाँचे, सांस्कृतिक प्रथाएँ और रीति–रिवाज, सामाजिक मानदंड और नकारात्मक दृष्टिकोण और आर्थिक संदर्भ की अवधारणा के अंतर्गत संसाधन आवंटन और वित्तपोषण, सेवाओं तक पहुँच पर आर्थिक प्रभाव, रोजगार और आजीविका के अवसर, आर्थिक विकास और सामुदायिक समर्थन, सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता ,बुनियादी ढाँचा और पहुँचे, दिव्यांगता का आर्थिक प्रभाव, स्थायित्व और मापनीयता, आर्थिक मूल्यांकन और दक्षता की चर्चा करेंगे।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप सक्षम हो सकेंगे:–

- समुदाय आधारित पुनर्वास के सामाजिक– सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ की अवधारणा कि व्याख्या कर सकेंगे।
- समुदाय आधारित पुनर्वास को मुख्यधारा के विकास में शामिल करने की रणनीतियाँ को समझ सकेंगे।
- समुदाय आधारित पुनर्वास के सामाजिक– सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ की अवधारणा के तरीकों का प्रयोग कर सकेंगे।

2.3 समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) का सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ:- समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) का सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ निम्नवत है–

- सांस्कृतिक मान्यताएँ और दृष्टिकोण
- सामुदायिक संरचनाएँ और सामाजिक नेटवर्क

- पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ
- आर्थिक कारक
- लिंग गतिशीलता
- शिक्षा और साक्षरता
- सामुदायिक भागीदारी और सशक्तिकरण
- कानूनी और नीतिगत ढाँचे
- सांस्कृतिक प्रथाएँ और रीति–रिवाज
- सामाजिक मानदंड और नकारात्मक दृष्टिकोण आदि।

➢ **सांस्कृतिक मान्यताएँ और दृष्टिकोण**

- **दिव्यांगता संबंधी धारणाएँ**: दिव्यांगता के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों की स्वीकृति और प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कुछ संस्कृतियों में, दिव्यांगता को नकारात्मक दृष्टिकोण या दंड के रूप में देखा जा सकता है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने और समुदाय में शामिल किए जाने के तरीके को प्रभावित करता है।
- **पारंपरिक मान्यताएँ**: आध्यात्मिक या अलौकिक स्पष्टीकरणों सहित दिव्यांगता के बारे में पारंपरिक मान्यताएँ, लोगों द्वारा सहायता और समर्थन प्राप्त करने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को इन मान्यताओं को समझने और साक्ष्य–आधारित दृष्टिकोणों को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक प्रथाओं के साथ सम्मानपूर्वक काम करने की आवश्यकता है।

➢ **सामुदायिक संरचनाएँ और सामाजिक नेटवर्क**

- **परिवार और रिश्तेदारी**: कई समुदायों में, दिव्यांग व्यक्तियों को देखभाल और सहायता प्रदान करने में परिवार एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए सुसज्जित हैं।
- **स्थानीय संगठन और नेता**: समुदाय–आधारित संगठन, स्थानीय नेता और प्रभावशाली व्यक्ति समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन संस्थाओं के साथ साझेदारी बनाने से कार्यक्रम कार्यान्वयन को सुगम बनाने और सामुदायिक समर्थन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

➢ **पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ**

- **पारंपरिक चिकित्सकों की भूमिका**: पारंपरिक चिकित्सकों का अक्सर कई समुदायों में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। पारंपरिक उपचार पद्धतियों को आधुनिक पुनर्वास तकनीकों के साथ एकीकृत करने से स्वीकृति और प्रभावशीलता में सुधार हो सकता है।
- **सांस्कृतिक संवेदनशीलता**: समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यकर्ताओं को पारंपरिक पद्धतियों के प्रति सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और सम्मानजनक होना चाहिए, साक्ष्य–आधारित पुनर्वास प्रदान करते हुए पारंपरिक चिकित्सकों के साथ सहयोग करने के तरीके खोजने चाहिए।

➢ **आर्थिक कारक**

- **संसाधन आवंटन**: आर्थिक बाधाएँ अक्सर पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित

करती हैं। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को लागत प्रभावी होना चाहिए और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।

- **वित्तीय बाधाएँ**: कई परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो पुनर्वास सेवाओं तक उनकी पहुँच को सीमित करती हैं। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता या सब्सिडी वाली सेवाओं के विकल्प तलाशने चाहिए।

➢ **लिंग गतिशीलता**

- **लिंग असमानता**: दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों को लिंग और दिव्यांगता के कारण जटिल भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को इन असमानताओं को संबोधित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि सेवाएँ सभी लिंगों के लिए सुलभ और समान हों।

- **सशक्तिकरण**: पुनर्वास में लिंग समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वकालत के माध्यम से दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है।

➢ **शिक्षा और साक्षरता**

- **शिक्षा तक पहुँच**: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अवसर कुछ समुदायों में सीमित हो सकते हैं। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम समावेशी शिक्षा की वकालत करता है और दिव्यांग बच्चों को स्कूल जाने के लिए सहायता प्रदान करता है।

- **साक्षरता और जागरूकता**: समुदाय के भीतर दिव्यांगता के बारे में साक्षरता और जागरूकता बढ़ाने से समुदाय–आधारित पुनर्वास अहम भूमिका निभाता है।

➢ **सामुदायिक भागीदारी और सशक्तिकरण**

- **समावेशी भागीदारी**: समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों के डिजाइन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में समुदाय के सदस्यों को शामिल करना आवश्यक होता है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को शामिल करना महत्वपूर्ण है।

- **स्थानीय नेतृत्व**: स्थानीय नेताओं और समुदाय के सदस्यों की पहल समुदाय–आधारित पुनर्वास का स्वामित्व लेने के लिए सशक्त बनाना स्थिरता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने में मदद करता है।

➢ **कानूनी और नीतिगत ढाँचे**

- **अधिकार और कानून**: दिव्यांगता अधिकार, पहुँच और समावेशन से संबंधित राष्ट्रीय और स्थानीय नीतियाँ उस संदर्भ को आकार दे सकती हैं जिसमें समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम संचालित होते हैं। यह सुनिश्चित करना कि समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम कानूनी ढाँचों के साथ संरेखित हों, उनकी प्रभावशीलता का समर्थन करने में मदद करता है।

- **नीति वकालत**: समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को सहायक नीतियों और कानूनों के विकास और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए वकालत के प्रयासों में संलग्न होने की आवश्यकता होती है।

➢ **सांस्कृतिक प्रथाएँ और रीति–रिवाज**

- **त्यौहार और अनुष्ठान**: दिव्यांगता जागरूकता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए त्योहारों, अनुष्ठानों और सामुदायिक समारोहों जैसी सांस्कृतिक प्रथाओं का लाभ उठाया जा सकता है। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए इन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और उनका समर्थन कर सकते हैं।

- **दैनिक जीवन एकीकरण**: दैनिक सांस्कृतिक प्रथाओं और दिनचर्या को समझना और उनमें एकीकृत होना समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को सामुदायिक मूल्यों और मानदंडों के साथ संरेखित तरीके

से सेवाएँ प्रदान करने में मदद कर सकता है।

- **सामाजिक मानदंड और नकारात्मक दृष्टिकोण**

- **नकारात्मक दृष्टिकोण को चुनौती देनाः** दिव्यांगता के प्रति सामाजिक नकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण को संबोधित करना समावेशी वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम नकारात्मक दृष्टिकोण को कम करने के लिए जागरूकता अभियान और सामुदायिक शिक्षा आयोजित कर सकते हैं।

- **सकारात्मक दृष्टिकोण को बढावा देनाः** सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना और दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमताओं का प्रदर्शन करना धारणाओं को बदलने और अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

इन सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों को संबोधित करके, समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम अधिक प्रभावी, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और टिकाऊ हो सकते हैं, जो अंततः अपने समुदायों में दिव्यांग व्यक्तियों की भलाई और समावेश को बढ़ाते हैं।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

1) समुदाय आधारित पुनर्वास को किस प्रकार काम करने की आवश्यकता है?

.....

.....

2) समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ताओं को किस प्रकार कार्य करना चाहिए?

.....

.....

3) पुनर्वास में किन माध्यमों से लडकियों के सशक्तिकरण को बढावा दिया जा सकता है?

.....

.....

4) समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों में समुदाय के सदस्यों को शामिल करना क्या सुनिश्चित करता है?

.....

.....

2.4 समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) का आर्थिक संदर्भ:-

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) का आर्थिक संदर्भ निम्नवत है–

- संसाधन आवंटन और वित्तपोषण
- सेवाओं तक पहुँच पर आर्थिक प्रभाव
- रोजगार और आजीविका के अवसर

- आर्थिक विकास और सामुदायिक समर्थन
- सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता
- दिव्यांगता का आर्थिक प्रभाव
- स्थायित्व और मापनीयता
- आर्थिक मूल्यांकन और दक्षता आदि।

- **संसाधन आवंटन और वित्तपोषणः**

- **बजट की बाधाएँः** कई समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम सीमित वित्तपोषण के साथ संचालित होते हैं, जिससे संसाधन आवंटन को प्राथमिकता देना और सरकारी अनुदान, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और निजी क्षेत्र के योगदान सहित विविध वित्तपोषण स्रोतों की तलाश करना आवश्यक हो जाता है।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

5) समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्मों को किन प्रयासों में सलंगन होने की आवश्यकता है?

.....

.....

6) दिव्यांगता जागरूकता और समावेशन को बढावा किस प्रकार दिया जा सकता है?

.....

.....

7) समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम नकारात्मक दृष्टिकोण को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं?

.....

.....

8) समुदाय आधारित पुनर्वास द्वारा किन वितपोषण स्त्रोतों को तलाश करना आवश्यक हो जाता है?

.....

.....

- **लागत–प्रभावी समाधानः** कम लागत वाले, स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना और सामुदायिक स्वयंसेवकों को शामिल करना बजट बाधाओं का प्रबंधन करने और समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों की स्थिरता बढ़ाने में मदद कर सकता है।

- **सेवाओं तक पहुँच पर आर्थिक प्रभावः**

- **वहनीयताः** आर्थिक बाधाएँ चिकित्सा देखभाल, सहायक उपकरण और विशेष उपचारों सहित आवश्यक

पुनर्वास सेवाओं तक पहुँच को प्रतिबंधित कर सकती हैं। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम अक्सर निःशुल्क या सब्सिडी वाली सेवाएँ प्रदान करके इसका समाधान करते हैं।

- **आर्थिक बोझः** परिवारों को दिव्यांगता से संबंधित खर्चों की लागत से संबंधित वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम इन लागतों के प्रबंधन पर वित्तीय सहायता, समर्थन या मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

➢ **रोजगार और आजीविका के अवसरः**

- **व्यावसायिक प्रशिक्षणः** व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करने से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल सकता है और बाहरी सहायता पर निर्भरता कम हो सकती है।

- **उद्यमिता समर्थनः** दिव्यांग व्यक्तियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित और समर्थन करने से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

➢ **आर्थिक विकास और सामुदायिक समर्थनः**

- **स्थानीय आर्थिक विकासः** स्थानीय आर्थिक विकास पहलों के साथ समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को एकीकृत करने से समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सकता है और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक सहायक वातावरण तैयार हो सकता है।

- **सामुदायिक योगदानः** स्वयंसेवी कार्य और धन उगाहने सहित समुदाय–आधारित पुनर्वास गतिविधियों में समुदाय के सदस्यों को शामिल करने से अतिरिक्त संसाधन और सहायता मिल सकती है।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

9) समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्मों की स्थिरता बढाने में क्या मदद कर सकता है?

.....

.....

10) आर्थिक बाधायें किन सेवाओं को प्रतिबंधित कर सकती हैं?

.....

.....

11) व्यवसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करने से दिव्यांगों को क्या लाभ हो सकता है?

.....

.....

12) समुदाय आधारित पुनर्वास गतिविधियों में किस प्रकार अतिरिक्त संसाधन व सहायता मिल सकती है?

.....

.....

➢ **सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायताः**

- **दिव्यांगता लाभः** दिव्यांगता पेंशन या सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकती है।
- **बीमा और सुरक्षा जालः** स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय सुरक्षा जाल तक पहुँच का विस्तार चिकित्सा और पुनर्वास सेवाओं की लागत को कवर करने में मदद करता है।

➢ **बुनियादी ढाँचा और पहुँचः**

- **सुलभ सुविधाएँः** रैंप, लिफ्ट और सुलभ परिवहन जैसे सुलभ बुनियादी ढाँचे में आर्थिक निवेश, सामुदायिक जीवन और समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी में सुधार करता है।

➢ **दिव्यांगता का आर्थिक प्रभावः**

- **उत्पादकता हानिः** दिव्यांगता कम कार्य क्षमता या बढ़ी हुई स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं के कारण आर्थिक उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यक्तियों की क्षमताओं को बढ़ाकर और उन्हें कार्यबल में एकीकृत करके इन प्रभावों को कम करना है।
- **परिवारों पर आर्थिक बोझः** दिव्यांगता से संबंधित देखभाल और सहायता की लागत के कारण परिवारों को वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ सकता है। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम सहायता सेवाओं और संसाधन प्रावधान के माध्यम से इस बोझ को कम कर सकते हैं।

➢ **स्थायित्व और मापनीयताः**

- **दीर्घकालिक वित्तपोषणः** समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए स्थायी वित्तपोषण मॉडल विकसित करना और नवीन वित्तपोषण विकल्पों की खोज करना महत्वपूर्ण है।
- **स्केलेबल मॉडलः** स्केलेबल और अनुकूलनीय समुदाय–आधारित पुनर्वास मॉडल डिजाइन करना अन्य समुदायों में सफल दृष्टिकोणों को दोहराने, संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने और प्रभाव को अधिकतम करने में मदद कर सकता है।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

13) समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों की भागीदारी में सुधार किस प्रकार किया जा सकता है?

.....

.....

14) समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों की दीर्घकालिक व्यव्हार्यता के लिए क्या महत्वपूर्ण है?

.....

.....

15) स्केलेबेल मॉडल किस प्रकार उपयोगी है?

.....

.....

➢ **आर्थिक मूल्यांकन और दक्षताः**

- **लागत–लाभ विश्लेषणः** समुदाय–आधारित पुनर्वास हस्तक्षेपों की लागत–प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आर्थिक मूल्यांकन करने से संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और निवेश के मूल्य को प्रदर्शित करने में मदद मिलती है।

- **दक्षता उपायः** सेवा वितरण की दक्षता बढ़ाने के उपायों को लागू करना, जैसे कि सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ और संसाधनों का प्रभावी उपयोग, समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों की समग्र सफलता में योगदान देता है।

इन आर्थिक कारकों पर विचार करके, समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय चुनौतियों का बेहतर ढंग से समाधान कर सकते हैं, आर्थिक समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं और पुनर्वास प्रयासों की स्थिरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित कर सकते हैं।

2.5 सारांश

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भों से प्रभावित होता है। समुदाय–आधारित पुनर्वास की प्रभावशीलता दिव्यांगता, सांस्कृतिक प्रथाओं और पारंपरिक मान्यताओं के प्रति स्थानीय दृष्टिकोण से आकार ले सकती है। कुछ समुदायों में, दिव्यांग लोगों को कलंकित किया जा सकता है या उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दिव्यांग व्यक्तियों का समर्थन करने में परिवार और समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक अपेक्षाओं और स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समर्थन का स्तर अलग–अलग हो सकता है। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों की सफलता अक्सर दिव्यांगता के मुद्दों के बारे में समुदाय के भीतर शिक्षा और जागरूकता के स्तर पर निर्भर करती है। जागरूकता अभियान और शिक्षा दृष्टिकोण बदलने और समावेशिता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। आर्थिक स्थितियाँ समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध संसाधनों को प्रभावित करती हैं। धनी समुदायों के पास धन, सेवाओं और बुनियादी ढाँचे तक अधिक पहुँच हो सकती है, जबकि गरीब क्षेत्रों में सीमित संसाधनों के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिरता दिव्यांग व्यक्तियों की रोजगार के अवसरों और वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुँचने की क्षमता को प्रभावित करती है। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम अक्सर व्यावसायिक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके इन जरूरतों को पूरा करते हैं। आर्थिक संदर्भ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को भी प्रभावित करता है। कम आय वाले क्षेत्रों में, चिकित्सा सुविधाओं, पुनर्वास सेवाओं और सहायक उपकरणों तक सीमित पहुँच हो सकती है, जिससे समुदाय–आधारित पुनर्वास की समग्र प्रभावशीलता प्रभावित होती है। इन सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भों को समझना प्रभावी समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को डिजाइन करने और लागू करने के लिए आवश्यक है जो विभिन्न समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुरूप हों।

2.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को इन मान्यताओं को समझने और साक्ष्य–आधारित दृष्टिकोणों को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक प्रथाओं के साथ सम्मानपूर्वक काम करने की आवश्यकता है।

2) समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यकर्ताओं को पारंपरिक पद्धतियों के प्रति सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और सम्मानजनक होना चाहिए, साक्ष्य–आधारित पुनर्वास प्रदान करते हुए पारंपरिक चिकित्सकों के साथ सहयोग करने के तरीके खोजने चाहिए।

3) पुनर्वास में लिंग समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वकालत के माध्यम से दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है।

4) समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों के डिजाइन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में समुदाय के सदस्यों को शामिल करना सुनिश्चित करता है कि हस्तक्षेप प्रासंगिक और प्रभावी हैं।

5) समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को सहायक नीतियों और कानूनों के विकास और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए वकालत के प्रयासों में संलग्न होने की आवश्यकता हो सकती है।

6) दिव्यांगता जागरूकता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए त्योहारों, अनुष्ठानों और सामुदायिक समारोहों जैसी सांस्कृतिक प्रथाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

7) समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम नकारात्मक दृष्टिकोण को कम करने के लिए जागरूकता अभियान और सामुदायिक शिक्षा आयोजित कर सकते हैं।

8) समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम सीमित वित्तपोषण के साथ संचालित होते हैं, जिससे संसाधन आवंटन को प्राथमिकता देना और सरकारी अनुदान, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और निजी क्षेत्र के योगदान सहित विविध वित्तपोषण स्रोतों की तलाश करना आवश्यक हो जाता है।

9) कम लागत वाले, स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना और सामुदायिक स्वयंसेवकों को शामिल करना समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों की स्थिरता बढ़ाने में मदद कर सकता है।

10) आर्थिक बाधाएँ चिकित्सा देखभाल, सहायक उपकरण और विशेष उपचारों सहित आवश्यक पुनर्वास सेवाओं तक पहुँच को प्रतिबंधित कर सकती हैं।

11) व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करने से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल सकता है और बाहरी सहायता पर निर्भरता कम हो सकती है।

12) स्वयंसेवी कार्य और धन उगाहने सहित समुदाय–आधारित पुनर्वास गतिविधियों में समुदाय के सदस्यों को शामिल करने से अतिरिक्त संसाधन और सहायता मिल सकती है।

13) रैंप, लिफ्ट और सुलभ परिवहन जैसे सुलभ बुनियादी ढाँचे में आर्थिक निवेश, सामुदायिक जीवन और समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी में सुधार करता है।

14) दिव्यांगता कम कार्य क्षमता या बढ़ी हुई स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं के कारण आर्थिक उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है। समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यक्तियों की क्षमताओं को बढ़ाकर और उन्हें कार्यबल में एकीकृत करके इन प्रभावों को कम करना है।

15) समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए स्थायी वित्तपोषण मॉडल विकसित करना और नवीन वित्तपोषण विकल्पों की खोज करना महत्वपूर्ण है।

16) स्केलेबल और अनुकूलनीय समुदाय–आधारित पुनर्वास मॉडल डिजाइन करना अन्य समुदायों में सफल दृष्टिकोणों को दोहराने, संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने और प्रभाव को अधिकतम करने में मदद कर सकता है।

2.7 अभ्यास– कार्य

1. समुदाय आधारित पुनर्वास में परिवार की भूमिका बताइए
2. समावेशी समाज को बढ़ावा किस प्रकार किस प्रकार दिया जा सकता है?
3. दिव्यांगों को किस प्रकार वित्तिय सहायता प्रदान की जा सकती है?

2.8 चर्चा के बिन्दु

❖ दिव्यांगों की सामाजिक स्वीकार्यता के सम्बन्ध में चर्चा कीजिये।

2.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- Ahmed, N., & Banu, L. (2021). The impact of socio-cultural beliefs on community-based rehabilitation practices in South Asia. Disability and Society, 36(5), 789-804. https://doi.org/10.1080/09687599.2021.1923162
- Disability Rights Education & Defense Fund. (2021). Understanding the socio-economic context of disability: A global perspective. Retrieved from https://dredf.org/resources/socio-economic-context-disability
- Gordon, R., & Khosla, P. (Eds.). (2017). Community-based rehabilitation: Social and cultural contexts. Routledge.
- Harris, J., & Tew, J. (Eds.). (2019). Community-based rehabilitation and disability: Theories, policies, and practices. Routledge.
- International Labour Organization. (2019). Disability and development: The economic and social impact of disability. Retrieved from https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/publications
- Khan, H., & Rahman, M. (2020). Socio-cultural factors influencing the effectiveness of community-based rehabilitation in rural settings: A case study. International Journal of Disability and Development, 68(2), 105-120. https://doi.org/10.1177/0968776020911451
- Miller, K., & Davis, M. (2018). Economic challenges and opportunities in community-based rehabilitation: Insights from low-resource settings. Journal of Global Health, 8(1), 102-115. https://doi.org/10.7189/jogh.08.010115
- United Nations Enable. (2020). Community-based rehabilitation and socio-cultural context. Retrieved from https://www.un.org/development/desa/disabilities/community-based-rehabilitation.html
- World Bank Group. (2018). Disability-inclusive development: Socio-economic and cultural dimensions. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/topic/disability
- World Health Organization. (2006). Community-based rehabilitation: CBR guidelines. World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/publications/i/item/9789241548051

इकाई–3 सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) को शामिल करने का क्षेत्र

इकाई संरचना

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 नीति एकीकरण

3.4 क्षमता निर्माण

3.5 सहयोग

3.6 वकालत और जागरूकता

3.7 संसाधनों का आवंटन

3.8 डाटा संग्रहण और निगरानी

3.9 सेवाओं तक पहुंच

3.10 समावेशी शिक्षा

3.11 रोजगार और आजीविका

3.12 आपातकालीन प्रतिक्रिया

3.13 सारांश

3.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.15 अभ्यास कार्य

3.16 चर्चा के बिन्दु

3.17 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.1 प्रस्तावना:–

पिछली इकाई में हमने समुदाय आधारित पुनर्वास के सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ के विषय में चर्चा की। प्रस्तुत इकाई में हम सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) के विषय में अध्ययन करेंगे। जिसके अंतर्गत नीति एकीकरण ,क्षमता निर्माण, सहयोग, वकालत और जागरूकता ,संसाधनों का आवंटन, डाटा संग्रहण और निगरानी ,सेवाओं तक पहुंच, समावेशी शिक्षा, रोजगार और आजीविका तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया के विषय में चर्चा करेंगे।

3.2 उद्देश्य:–

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप सक्षम हो सकेंगे:–

- समुदाय आधारित पुनर्वास से संबंधित सरकारी नीतियों की व्याख्या कर सकेंगे।
- समुदाय आधारित पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों को समझ सकेंगे।
- समुदाय आधारित पुनर्वास के क्षेत्र से संबंधित जानकारी का प्रयोग कर सकेंगे।

3.3 नीति एकीकरण

नीति एकीकरण मौजूदा दिव्यांगता, स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन नीतियों के भीतर समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीबीआर सिद्धांतों को एकीकृत करके, सरकारें विकास के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकती हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करती है और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। नीति एकीकरण कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके कुछ प्रमुख बिंदु यहां दिए गए हैं:

- **सीबीआर सिद्धांतों को नीतिगत उद्देश्यों के साथ संरेखित करना:** सुनिश्चित करें कि सीबीआर के मूल सिद्धांत, जैसे सशक्तिकरण, सामुदायिक भागीदारी और समावेशिता, दिव्यांगता, स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन नीतियों के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप हैं। यह संरेखण दिव्यांगता समावेशन के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

- **सहयोगात्मक नीति विकास:** नीति विकास प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियों, दिव्यांगता संगठनों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाता है । सहयोगात्मक नीति विकास, यह सुनिश्चित करता है कि विविध दृष्टिकोणों पर विचार किया जाए और नीतियां विभिन्न दिव्यांगजन समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित किया जाये।

- **दिव्यांगता समावेशन को मुख्यधारा में लाना:** अलग–अलग दिव्यांगो हेतु–विशिष्ट नीतियों के बजाय विभिन्न नीतियों में एक क्रॉस–कटिंग थीम के रूप में दिव्यांगता समावेशन को शामिल किया जाता है। मुख्यधारा का, दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांगता संबंधी विचारों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत किया जाता है।

- **पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करना:** समाज के विभिन्न पहलुओं में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी में बाधा डालने वाली बाधाओं को पहचानना और निराकरण करना। इसमें सभी व्यक्तियों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए सुलभ बुनियादी ढांचे, संचार और सेवाओं को सुनिश्चित करना शामिल होता है।

- **सेवा वितरण को मजबूत करना:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांग व्यक्तियों को उचित और समय पर सहायता मिले, मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवा प्रणालियों में सीबीआर प्रथाओं को एकीकृत किया जा सके। इसमें स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और सेवा प्रदाताओं को दिव्यांगता–समावेशी प्रथाओं पर प्रशिक्षण देना शामिल होता है।

- **स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना:** सीबीआर कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना आवश्यक होता है। समुदाय के सदस्यों को शामिल करके, सीबीआर प्रत्येक समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति अधिक टिकाऊ और उत्तरदायी पूर्व भूमिका निभाता है।

- **निगरानी और मूल्यांकन:** नीति एकीकरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की व्यवस्था की जाती है। नियमित मूल्यांकन से सफलता के क्षेत्रों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिससे नीतियों और प्रथाओं में निरंतर सुधार होता है।

- **संसाधन आवंटन:** मौजूदा नीतियों के भीतर सीबीआर सिद्धांतों के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित की जाती है। समावेशी पहल की प्रभावशीलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन और संसाधन आवंटन आवश्यक है।

- **संवेदीकरण और जागरूकता:** दिव्यांगता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रम संचालित किये जाते है। । विकास के लिए समावेशी दृ

ष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए नकारात्मक दृश्टिकोणऔर भेदभाव को कम करना महत्वपूर्ण है।

- **सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:** अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने से नीति विकास को सूचित किया जा सकता है और परिणामों में सुधार किया जा सकता है। इन कदमों को उठाकर, सरकारें सीबीआर सिद्धांतों और प्रथाओं को मौजूदा दिव्यांगता, स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन नीतियों में प्रभावी ढंग से एकीकृत कर सकती हैं, जिससे विकास के लिए एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत दृष्टिकोण तैयार हो सकता है जिससे समाज के सभी सदस्यों को लाभ होगा।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

1) नीति एकीकरण की भूमिका बताइए।

.....

.....

2) समुदाय आधार आईटी पुनर्वास के मूल सिद्धांत कौन से हैं?

.....

.....

3) क्रॉस कटिंग थीम से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

4) **स्थानीय समुदायों को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है?**

.....

.....

3.4 क्षमता निर्माण

समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश आवश्यक है। सरकारी अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और समुदायों को शिक्षा और सहायता प्रदान करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके पास समावेशिता को बढ़ावा देने और दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हैं। सफल सीबीआर कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण के कुछ प्रमुख पहलू यहां दिए गए हैं:-

- **सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण:** नीति विकास और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना। इन प्रशिक्षण सत्रों में दिव्यांगता–समावेशी नीतियों, सीबीआर के सिद्धांतों और सभी क्षेत्रों में दिव्यांगता संबंधी विचारों को एकीकृत करने के महत्व को शामिल किया जाना चाहिए।

- **सेवा प्रदाताओं को सशक्त बनाना:** स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षकों और सामाजिक सेवा प्रदाताओं को दिव्यांगता–समावेशी सेवाएं प्रदान करने के लिए ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करना। इस प्रशिक्षण में विविध दिव्यांगताओं को समझने, व्यक्तिगत आवश्यकताओं

के अनुसार सेवाओं को अपनाने और समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

- **समुदायों को शामिल करना:** स्थानीय समुदायों को दिव्यांगजनो अधिकारों और सीबीआर के लाभों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए समुदाय–आधारित कार्यशालाएं और जागरूकता सत्र आयोजित करना। स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देते हुए समुदाय के सदस्यों को सीबीआर पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाना।

- **सुलभ प्रशिक्षण सामग्री:** विभिन्न शिक्षण शैलियों और दिव्यांगता–संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे कि सभी प्रशिक्षण सामग्री सुलभ और समावेशी हैं। इसमें ब्रेल, सांकेतिक भाषा और पढ़ने में आसान प्रारूपों जैसे विभिन्न प्रारूपों में सामग्री प्रदान करना शामिल हो सकता है।

- **सतत व्यावसायिक विकास:** दिव्यांगता समावेशन और सीबीआर प्रथाओं में नवीनतम प्रगति पर अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं को अद्यतन रखने के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना आवश्यक है।

- **सहकर्मी शिक्षण और नेटवर्किंग:** हितधारकों को अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के अवसर प्रदान करना। सहकर्मी शिक्षण और नेटवर्किंग से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है और अभ्यास के एक सहायक समुदाय को बढ़ावा मिल सकता है।

- **प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी):** कुशल प्रशिक्षकों का एक कैडर बनाने के लिए "प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण" कार्यक्रम लागू किया जाता है जो अपने संबंधित क्षेत्रों में दिव्यांगता समावेशन और सीबीआर में ज्ञान और कौशल का प्रसार कर सकें।

- **निगरानी और प्रतिक्रिया:** निगरानी और फीडबैक तंत्र के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रयासों के प्रभाव का नियमित रूप से आकलन किया जा सकता है । यह प्रतिक्रिया लूप सुधार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है।

- **नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग:** क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ाने के लिए दिव्यांगता समावेशन और सीबीआर में अनुभवी नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। इन संगठनों के पास अक्सर साझा करने के लिए बहुमूल्य विशेषज्ञता और जमीनी स्तर का अनुभव होता है।

- **सतत वित्त पोषण:** क्षमता–निर्माण पहल के लिए स्थायी वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए निरंतर निवेश आवश्यक है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश करके, सरकारें अपने अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और समुदायों के ज्ञान और कौशल को मजबूत कर सकती हैं, जिससे सीबीआर पहल का सफल कार्यान्वयन हो सकता है जो दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाता है और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

5) संसाधन आवंटन क्यों आवश्यक है?

.....

.....

6) दिव्यांगता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए क्या करना चाहिए?

.....

.....

7) समुदाय आधारित पुनर्वास के सफल कार्यान्वन के लिए क्या आवश्यक है?

.....

.....

8) **समुदाय आधारित कार्यशाला और जागरूकता सत्र लागू करने का कारण बताइए।**

.....

.....

3.5 सहयोग

समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। सहयोग तालमेल को बढ़ावा देता है, संसाधनों को अधिकतम करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाए। सीबीआर कार्यान्वयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहां कुछ प्रमुख रणनीतियाँ दी गई हैं:

- **अंतर–एजेंसी समितियों की स्थापना:** विभिन्न सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए अंतर–एजेंसी समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियाँ सीबीआर पहलों के लिए नियमित बैठकों, चर्चाओं और संयुक्त योजना की सुविधा प्रदान करती हैं।

- **सूचना और संसाधन साझा करना:** हितधारकों के बीच सूचना, सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों को साझा करने को प्रोत्साहित किया जाती है। इसे कार्यशालाओं, सम्मेलनों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो ज्ञान के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान प्रदान करने मैं सहायक होता है।

- **समन्वय प्रयास:** सीबीआर कार्यान्वयन के लिए एक सामान्य रूपरेखा और कार्य योजना विकसित किया जाता है जिसका सभी हितधारक पालन करते है। यह प्रयासों के दोहराव से बचने में मदद करता है और एक सुसंगत और एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

- **भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना:** सीबीआर प्रक्रिया में प्रत्येक हितधारक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाये। यह स्पष्टता ओवरलैप से बचने में मदद करती है और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

- **संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना:** संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना जो सीबीआर सिद्धांतों और समावेशी प्रथाओं की समझ को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाते हैं।

- **पायलट परियोजनाओं में भागीदारी:** सीबीआर कार्यान्वयन के लिए नवीन दृष्टिकोणों का परीक्षण करने के लिए पायलट परियोजनाओं पर सहयोग किया जाता है। यह नई रणनीतियों की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता का आकलन करने के अवसर प्रदान करते हैं।

- **दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करना:** सहयोग प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्याओं को समझा जाए और निर्णय लेने में उनके दृ ष्टिकोण पर विचार किया जाए।

- **नीति समर्थन के लिए वकालत:** सीबीआर और दिव्यांगता समावेशन के लिए नीति समर्थन जुटाने के लिए प्रयासों पर सहयोग करना आवश्यक है । नीतिगत बदलावों को आगे बढ़ाने में विभिन्न हितधारकों की एकजुट आवाज अधिक प्रभावशाली हो सकती है।

- **फंडिंग के अवसरों का लाभ उठाना:** सीबीआर पहलों के लिए वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के लिए संसाधनों को एकत्रित करना और फंडिंग के अवसरों को एक साथ किया जाता है।

- **निगरानी और मूल्यांकन:** सीबीआर कार्यक्रमों की प्रगति और प्रभाव की संयुक्त रूप से निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। नियमित मूल्यांकन हितधारकों को एक–दूसरे से सीखने और डेटा–संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

- **उपलब्धियों को पहचानना:** निरंतर सहयोग के लिए सकारात्मक और उत्साहजनक माहौल को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की उपलब्धियों को स्वीकारकिया जाता है। सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, सीबीआर कार्यान्वयन अधिक प्रभावी, समग्र और टिकाऊ बनाया जाता है । यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रयास अच्छी तरह से समन्वित हों, संसाधन अधिकतम हों और दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतें विकास प्रक्रिया के केंद्र में हों।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

9) शिक्षण शैलियों किस आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए ?

.....

.....

10) सहकर्मी शिक्षण और नेटवर्किंग का महत्व बताइए ।

.....

.....

11) समुदाय आधारित पुनर्वास का कार्यान्वन क्यों आवश्यक है?

.....

.....

12) सहयोग प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों को क्यों शामिल किया जाना चाहिए?

.....

.....

3.6 वकालत और जागरूकता

नीति निर्माताओं, हितधारकों और आम जनता के बीच समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) के लिए समझ और समर्थन बढ़ाने के लिए जागरूकता और वकालत के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता है । सीबीआर के महत्व और लाभों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करके, हम व्यापक समर्थन प्राप्त कर सकते हैं और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वकालत और जागरूकता के लिए यहां कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं:

- **जन जागरूकता अभियान:** सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया जैसे विभिन्न चैनलों का उपयोग करके लक्षित जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाता है । इन अभियानों में सीबीआर के महत्व को उजागर किया जाता है तथा, सफलता की कहानियां साझा की जाती है और दिव्यांगता

के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है ।

- **मीडिया और प्रभावशाली लोगों को शामिल करना:** समाचार लेखों, साक्षात्कारों और विभिन्न रायों को सीबीआर पहलों और कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए मीडिया आउटलेट्स और प्रभावशाली हस्तियों के साथ सहयोग किया जाता है। यह प्रदर्शन संदेश को बढ़ा सकता है और व्यापक दर्शकों तक पहुंच बनाने की क्षमता रखता है।

- **शैक्षिक सामग्री बनाना:** विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए सीबीआर के बारे में जानकारीपूर्ण और सुलभ शैक्षिक सामग्री विकसित किया जाता है। जागरूकता बढ़ाने के लिए इन सामग्रियों को स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर वितरित किया जाता है।

- **कार्यशालाएँ और सेमिनार:** सीबीआर सिद्धांतों और प्रथाओं के बारे में गहन जानकारी प्रदान करने के लिए नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों और हितधारकों के लिए कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित करना। ये आयोजन इंटरैक्टिव चर्चाओं और जुड़ाव के अवसर प्रदान करते हैं।

- **गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के साथ साझेदारी:** वकालत के प्रयासों को मजबूत करने के लिए दिव्यांगता–केंद्रित गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। उनकी विशेषज्ञता और जमीनी स्तर पर संपर्क हाशिए पर मौजूद समुदायों तक पहुंचने में अमूल्य अमूल्य योगदान दे सकते हैं।

- **गठबंधन बनाना:** सामूहिक संसाधनों का लाभ उठाने और वकालत संदेश को बढ़ाने के लिए अन्य दिव्यांगता अधिकार संगठनों और वकालत समूहों के साथ गठबंधन बनाया जाता है।

- **दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करना:** वकालत के प्रयासों में दिव्यांग व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित की जाती है । यह उनके जीवन के अनुभव और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में शक्तिशाली हैं।

- **नीति प्रभाव पर प्रकाश डालना:** समावेशी नीतियों के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों पर सीबीआर के सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित किया जाता है। वकालत के तर्कों का समर्थन करने के लिए साक्ष्य–आधारित डेटा का उपयोग किया जाता है।

- **नीति निर्माताओं के साथ बैठक:** सीबीआर के मामले को प्रस्तुत करने और समावेशी नीतियों की वकालत करने के लिए नीति निर्माताओं के साथ बैठकें आयोजित करना। व्यक्तिगत बातचीत निर्णयों को आकार देने में प्रभावशाली हो सकती है।

- **अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस:** सीबीआर पहलों की ओर ध्यान आकर्षित करने और अधिक समर्थन की वकालत करने के लिए दिव्यांगता और समावेशन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवसों का आयोजन किया जाता है।

- **सोशल मीडिया जुडाव:** सीबीआर के बारे में नवीनीकरण, सफलता की कहानियां और जानकारीपूर्ण सामग्री साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय प्रयोग किया जाता है। एक सहायक समुदाय बनाने के लिए दर्शकों के साथ जुड़ाव अति आवश्यक है।

- **वकालत प्रशिक्षण:** सीबीआर को बढ़ावा देने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों और संगठनों को वकालत प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है। अधिवक्ताओं को अपने संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के कौशल से सशक्त किया जाता है। इन रणनीतियों को लागू करके, हम सीबीआर के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं, समावेशी नीतियों की वकालत कर सकते हैं, और समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए व्यापक समर्थन जुटा सकते हैं।

3.7 संसाधनों का आवंटन

समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन और स्थिरता के लिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण हैं। पर्याप्त संसाधन प्रभावी सेवा वितरण, क्षमता निर्माण और समावेशी पहल के विस्तार को सक्षम बनाते हैं। संसाधन आवंटन के लिए यहां कुछ प्रमुख विचार दिए गए हैं:

- **बजटीय योजना:** सरकारी बजट में सीबीआर कार्यक्रमों को शामिल करना जिससे दिव्यांगता समावेशन और पुनर्वास सेवाओं के लिए धन का समर्पित आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।
- **दीर्घकालिक निर्धारण:** अल्पकालिक परियोजनाओं से परे सीबीआर कार्यक्रमों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक फंडिंग प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करना।
- **बाहरी निर्धारण का लाभ उठाना:** घरेलू संसाधनों की पूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों, दाता एजेंसियों और परोपकारी फाउंडेशनों के साथ साझेदारी के अवसरों का पता लगाना।
- **लागत–लाभ विश्लेषण:** समग्र विकास और सामाजिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हुए सी.बी.आर कार्यक्रमों में निवेश के आर्थिक लाभों को प्रदर्शित करने के लिए लागत–लाभ विश्लेषण करना।
- **क्षमता निर्माण:** सी.बी.आर पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकारी अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और समुदाय के सदस्यों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए संसाधन आवंटित करना ।
- **सामुदायिक गतिशीलता:** सी.बी.आर कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए सामुदायिक गतिशीलता प्रयासों में निवेश करना जिससे उन्हें टिकाऊ और समुदाय–संचालित बनाया जा सके।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** सी.बी.आर कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र के लिए संसाधन आवंटित करना ।
- **अनुसंधान और नवाचार:** सी.बी.आर कार्यक्रम के परिणामों में निरंतर सुधार के लिए दिव्यांगता–समावेशी प्रथाओं में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन कराना ।
- **समावेशी बुनियादी ढाँचा:** यह सुनिश्चित करने के लिए धन आवंटित कि बुनियादी ढाँचा और सार्वजनिक स्थान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ और समावेशी हों।
- **सहयोग और समन्वय:** संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय के लिए तंत्र स्थापित करने में निवेश करना ।
- **स्टाफिंग:** गुणवत्तापूर्ण सी.बी.आर सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित पेशेवरों और सहायक कर्मचारियों को सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन आवंटित करना।
- **जागरूकता अभियान:** आम जनता के बीच सी.बी.आर की समझ और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियानों के लिए संसाधन आवंटित करना ।
- **शिक्षा में समावेशिता:** दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए धन आवंटित करना, जिससे उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच संभव हो सके।
- **वकालत के प्रयास:** नीति निर्माताओं के लिए नीति एजेंडा में दिव्यांगता को शामिल करने को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से वकालत के प्रयासों के लिए संसाधन आवंटित करना। वित्तीय और मानव संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करके, सरकारें और संगठन स्थायी सी.बी.आर कार्यक्रम बनाते हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं, समावेशिता को बढ़ावा देते हैं और समाज के समग्र विकास

और कल्याण में योगदान करते हैं।

3.8 डेटा संग्रहण और निगरानी

साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने और समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) कार्यक्रमों में निरंतर सुधार के लिए डेटा संग्रह और निगरानी के लिए मजबूत सिस्टम स्थापित करना आवश्यक है। सटीक और समय पर डेटा हितधारकों को हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का आकलन करने, सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने और सूचित नीति और कार्यक्रम संबंधी निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। प्रभावी डेटा संग्रह और निगरानी के लिए यहां मुख्य विचार दिए गए हैं:-

- **परिणाम संकेतकों को परिभाषित करना :** प्रासंगिक परिणाम संकेतकों की पहचान करना जो सी.बी.आर कार्यक्रमों के प्रभाव को मापते हैं, जैसे जीवन की गुणवत्ता में सुधार, सेवाओं की पहुंच और दिव्यांग व्यक्तियों का सामाजिक समावेश।
- **डेटा संग्रह उपकरण:** मानकीकृत डेटा संग्रह उपकरण विकसित करना जो विभिन्न सीबीआर पहलों में लगातार आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन उपकरणों में सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन और फोकस समूह चर्चा शामिल हो सकते हैं।
- **डेटा संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण:** सरकारी अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और समुदाय के सदस्यों सहित डेटा संग्रहकर्ताओं को डेटा संग्रह उपकरणों का प्रभावी ढंग से और नैतिक रूप से उपयोग करने के बारे में प्रशिक्षित करना ।
- **नियमित डेटा संग्रह:** सूचना के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए डेटा संग्रह के लिए एक नियमित कार्यक्रम स्थापित करना । इसमें आवधिक सर्वेक्षण, सतत निगरानी और आवधिक मूल्यांकन शामिल हो सकते हैं।
- **डेटा प्रबंधन:** डेटा को संग्रहीत और विश्लेषण करने के लिए सुरक्षित डेटा प्रबंधन प्रणाली लागू करना । सुनिश्चित करना कि डेटा की गोपनीयता और बनाए रखी जाए।
- **डेटा विश्लेषण:** एकत्रित डेटा से सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए उचित सांख्यिकीय तरीकों और डेटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करना। इस विश्लेषण को परिभाषित परिणाम संकेतकों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।
- **फीडबैक तंत्र:** कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं, नीति निर्माताओं और समुदाय के सदस्यों सहित प्रासंगिक हितधारकों के साथ डेटा निष्कर्षों को साझा करने के लिए फीडबैक तंत्र स्थापित करना ।
- **डेटा से सीखना:** एक सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करना जहां हितधारक सूचित निर्णय लेने, रणनीतियों को अनुकूलित करने और सीबीआर कार्यक्रम के परिणामों में सुधार करने के लिए डेटा निष्कर्षों का उपयोग करते हैं।
- **प्रभाव आकलन:** सी.बी.आर कार्यक्रमों की समग्र प्रभावशीलता और स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए समय–समय पर प्रभाव आकलन आयोजित करना ।
- **हितधारक जुडाव:** डेटा संग्रह और निगरानी प्रक्रिया में सभी हितधारकों को शामिल करना प्रक्रिया के प्रति उनका स्वामित्व और प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना ।
- **गुणवत्ता आश्वासन:** एकत्रित डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन उपायों को लागू करना ।
- **निष्कर्षों का प्रसार:** पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट, प्रकाशनों और प्रस्तुतियों के माध्यम से डेटा निष्कर्षों को साझा करना ।

- **तुलनात्मक विश्लेषण:** सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और सीखे गए पाठों को साझा करने के लिए विभिन्न सी.बी.आर पहलों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण करना। डेटा संग्रह और निगरानी को प्राथमिकता देकर, सी.बी.आर कार्यक्रम साक्ष्य–आधारित निर्णय ले सकते हैं, प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन पर उनके प्रभाव में लगातार सुधार कर सकते हैं। यह डेटा–संचालित दृष्टिकोण समावेशी पहल की प्रभावशीलता और स्थिरता को मजबूत करता है और समुदायों में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देता है।

- **सेवाओं तक पहुंचः** सेवाओं तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है जो सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति आवश्यक समर्थन, संसाधन और अवसर प्राप्त कर सकें। यह सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने, समानता को बढ़ावा देने और समाज के सभी सदस्यों के समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सेवाओं तक पहुंच में विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **स्वास्थ्य सेवाएँ:** अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आवश्यक है। इसमें चिकित्सा परामर्श, नैदानिक परीक्षण, उपचार, निवारक देखभाल और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं।

- **शिक्षा:** शिक्षा तक पहुंच व्यक्तियों को व्यक्तिगत विकास और कार्यबल में सक्रिय भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि दिव्यांग छात्रों सहित सभी छात्रों को सीखने के समान अवसर प्राप्त हों।

- **सामाजिक सेवाएँ:** सामाजिक सेवाओं में सहायता प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, परामर्श सेवाएँ, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और कमजोर आबादी के लिए कार्यक्रम शामिल हैं।

- **रोजगार के अवसर:** सभ्य और न्यायसंगत रोजगार के अवसरों तक पहुंच व्यक्तियों को अर्थव्यवस्था में योगदान करने, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और आत्म–संतुष्टि प्राप्त करने की अनुमति देती है।

- **कानूनी सेवाएं:** कानूनी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति न्याय मांग सकें, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और कानूनी मुद्दों या विवादों का समाधान कर सकें।

- **सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकियां:** सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच दिव्यांग व्यक्तियों की स्वतंत्रता और गतिशीलता को बढ़ाती है, जिससे वे दैनिक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम होते हैं।

- **परिवहन:** व्यक्तियों के लिए आवश्यक सेवाओं, रोजगार और सामाजिक अवसरों तक पहुँचने के लिए सुलभ और किफायती परिवहन प्रणालियाँ महत्वपूर्ण हैं।

- **सूचना और संचार:** सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, साथ ही सांकेतिक भाषा व्याख्या और सुलभ प्रारूप जैसे संचार समर्थन, डिजिटल युग में समान भागीदारी सुनिश्चित करता है।

- **सामुदायिक सहायता:** समुदाय–आधारित सहायता नेटवर्क और सेवाओं तक पहुंच जरूरत के समय अपनेपन, सामाजिक कनेक्शन और सहायता की भावना प्रदान करती है।

- **वित्तीय सेवाएँ:** बैंकिंग और माइक्रोफाइनेंस जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, व्यक्तियों और व्यवसायों को वित्त प्रबंधित करने और अवसरों में निवेश करने में सक्षम बनाती है।

- **बाल देखभाल और पारिवारिक सहायता:** बाल देखभाल सेवाओं और पारिवारिक सहायता कार्यक्रमों तक पहुंच माता–पिता और देखभाल करने वालों को काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है।

- **पौष्टिक भोजन और पानी:** अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन और

स्वच्छ पानी तक पहुंच आवश्यक है। सभी व्यक्तियों के लिए सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, उनकी पृष्ठभूमि, क्षमताओं या सामाजिक–आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, एक समावेशी और न्यायसंगत समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीति निर्माताओं, सरकारों और समुदायों को बाधाओं को दूर करने, कमियों को पाटने और एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जो सभी के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा दे सके ।

3.9 समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा सीखने का एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं, दिव्यांगताओं या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अवसर प्रदान करना है। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है जहां प्रत्येक छात्र का स्वागत, महत्व और समायोजन किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग ले सकें। समावेशी शिक्षा भौतिक पहुंच से परे जाती है और एक सहायक और पोषण वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है जो सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती है। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:-

- **विविधता और समावेशन:** समावेशी शिक्षा विविधता को अपनाती है और प्रत्येक छात्र की अद्वितीय शक्तियों और चुनौतियों को पहचानती है। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व देता है और उनका जश्न मनाता है, सभी शिक्षार्थियों के लिए अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है।

- **व्यक्तिगत समर्थन:** समावेशी शिक्षा दिव्यांग या सीखने में भिन्नता वाले छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत समर्थन और स्थान प्रदान करती है। इसमें सहायक प्रौद्योगिकियाँ, संशोधित शिक्षण सामग्री और व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएँ शामिल हो सकती हैं।

- **सहयोग और टीम वर्क :** शिक्षकों, विशेषज्ञों, अभिभावकों और सहायक कर्मचारियों के बीच सहयोग समावेशी शिक्षा का अभिन्न अंग है। एक टीम के रूप में काम करने से यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक समर्थन और सेवाएँ प्राप्त हों।

- **सुलभ शिक्षण वातावरण:** समावेशी कक्षाएँ शारीरिक और सामाजिक रूप से सुलभ हैं, जिससे छात्रों को स्वतंत्र रूप से घूमने और गतिविधियों में आराम से भाग लेने की अनुमति मिलती है। इसमें भौतिक बाधाओं को दूर करना, सुलभ सामग्री प्रदान करना और एक समावेशी स्कूल संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।

- **विभेदित निर्देश:** समावेशी शिक्षा में शिक्षक विभिन्न शिक्षण शैलियों और क्षमताओं को पूरा करने के लिए विभेदित निर्देश रणनीतियों को नियोजित करते हैं। वे अपने छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों को अपनाते हैं।

- **सकारात्मक व्यवहार समर्थन:** समावेशी शिक्षा सकारात्मक व्यवहार समर्थन पर जोर देती है, सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक सीखने के माहौल को बढ़ावा देती है। सहकर्मी समर्थन और सहभागितापूर्ण समावेशी कक्षाएँ,सहकर्मी समर्थन और बातचीत को प्रोत्साहित करती हैं, छात्रों के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देती हैं और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देती हैं।

- **शिक्षक व्यावसायिक विकास:** समावेशी प्रथाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास महत्वपूर्ण है।

- **प्रारंभिक हस्तक्षेप:** प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम प्रारंभिक चरण में सीखने की चुनौतियों की पहचान करते हैं और उनका समाधान करते हैं, जिससे विविध आवश्यकताओं वाले छात्रों को समय पर सहायता मिलती है।

- **डेटा–संचालित निर्णय–निर्माण:** समावेशी शिक्षा छात्र प्रगति की निगरानी करने, हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन करने और तदनुसार शिक्षण रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए

डेटा–संचालित निर्णय लेने पर निर्भर करती है। समावेशी शिक्षा सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है; यह एक मानव अधिकार है। यह एक समावेशी समाज को बढ़ावा देता है जहां प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, उसे महत्व दिया जाता है और उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देकर, हम एक अधिक न्यायसंगत और उचित शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ते हैं जो सभी शिक्षार्थियों को लाभान्वित करती है और समग्र रूप से समुदायों को मजबूत करती है।

3.10 रोजगार और आजीविका

रोजगार और आजीविका के अवसर एक समावेशी और संपन्न समाज के आवश्यक घटक हैं। यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी व्यक्तियों को सार्थक रोजगार और स्थायी आजीविका तक पहुंच प्राप्त हो, उनके आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन के लिए महत्वपूर्ण है। यहां रोजगार और आजीविका से संबंधित कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं:-

- **समान रोजगार के अवसर:** दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, भेदभाव को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना कि उनकी विभिन्न प्रकार की नौकरियों और व्यवसायों तक पहुँच बन सके।
- **कार्यस्थल पहुंच:** सुलभ और समावेशी कार्यस्थल बनाया जायें जो शारीरिक पहुंच और सहायक तकनीकों सहित दिव्यांग कर्मचारियों की जरूरतों को समायोजित कर सके।
- **उचित आवास:** दिव्यांग व्यक्तियों को अपने कार्य कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाने के लिए कार्यस्थल में उचित आवास प्रदान किया जाना चाहिए।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण:** दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना। उन्हें रोजगार के लिए प्रासंगिक कौशल से लैस करना।
- **समावेशी नियुक्ति प्रथाएँ:** नियोक्ताओं को समावेशी नियुक्ति प्रथाएँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना जो दिव्यांग उम्मीदवारों की क्षमता और क्षमताओं पर विचार करती हैं।
- **स्व–रोजगार और उद्यमिता:** दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्व–रोजगार और उद्यमिता के अवसरों का समर्थन और प्रचार करना, उन्हें अपनी आजीविका बनाने के लिए सशक्त बनाना।
- **वित्तीय समावेशन:** दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी आजीविका गतिविधियों को स्थापित करने और बनाए रखने में सहायता करने के लिए माइक्रोफाइनेंस और ऋण जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना ।

3.11 आपातकालीन प्रतिक्रिया

आपातकालीन प्रतिक्रिया प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों या अन्य संकटों के दौरान और उसके बाद व्यक्तियों और समुदायों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने और प्रबंधित करने का समन्वित प्रयास है। इसमें आपातकाल से प्रभावित लोगों को उनकी सुरक्षा, कल्याण और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए समय पर सहायता, राहत और सहायता प्रदान करना शामिल है। आपातकालीन प्रतिक्रिया के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:-

- **तीव्र मूल्यांकन:** आपातकाल के पैमाने और गंभीरता को निर्धारित करने और प्रभावित आबादी की तत्काल जरूरतों की पहचान करने के लिए तेजी से मूल्यांकन करना।
- **खोज और बचाव:** ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने और उनकी सहायता करने के लिए खोज और बचाव दल तैनात करना जो फंसे हुए हों या जीवन–घातक स्थितियों में हों।
- **बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान:** प्रभावित व्यक्तियों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन, स्वच्छ पानी, आश्रय और चिकित्सा देखभाल जैसी तत्काल सहायता प्रदान करना।

- **चिकित्सा प्रतिक्रिया:** आपातकाल के परिणामस्वरूप होने वाली चोटों और बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करना और चिकित्सा टीमों को तैनात करना।
- **मनोवैज्ञानिक सहायता:** व्यक्तियों को आघात और भावनात्मक संकट से निपटने में मदद करने के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श प्रदान करना
- **समन्वय और संचार:** एक सामंजस्यपूर्ण और कुशल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रतिक्रिया एजेंसियों, संगठनों और सरकारों के बीच संचार नेटवर्क स्थापित करना और प्रयासों का समन्वय करना।
- **रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन:** प्रभावित क्षेत्रों में राहत वस्तुओं और संसाधनों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए रसद और आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करना।
- **कमजोर आबादी की सुरक्षा:** बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित कमजोर समूहों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना।
- **सूचना प्रसार:** सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए प्रभावित आबादी को महत्वपूर्ण जानकारी और सुरक्षा निर्देश संप्रेषित करना।
- **निकासी और सुरक्षित स्थान:** सुरक्षित निकासी प्रक्रियाओं का आयोजन करना और महिलाओं और बच्चों सहित कमजोर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित स्थान स्थापित करना।
- **क्षति का आकलन और पुनर्प्राप्ति योजना:** आपातकाल के कारण हुई क्षति की सीमा का आकलन करना और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए पुनर्प्राप्ति योजनाएं विकसित करना।
- **पुनर्वास और पुनर्निर्माण:** बुनियादी ढांचे, सेवाओं और आजीविका को बहाल करने के लिए पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयास शुरू करना।
- **क्षमता निर्माण:** प्रशिक्षण, अभ्यास और समुदाय–आधारित प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना के माध्यम से आपात स्थिति का जवाब देने के लिए स्थानीय समुदायों की क्षमता को मजबूत करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहायता के साथ समन्वय:** अतिरिक्त संसाधनों और विशेषज्ञता तक पहुँचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों और दाताओं के साथ सहयोग करना। प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अच्छी तरह से समन्वित प्रयासों, पर्याप्त संसाधनों और एक जन–केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो प्रभावित आबादी की जरूरतों और सम्मान को प्राथमिकता देता है। तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देकर, आपातकालीन उत्तरदाता आपदाओं और संकटों के प्रभाव को कम कर सकते हैं, जीवन बचा सकते हैं, और समुदायों की वसूली और लचीलेपन में योगदान कर सकते हैं।

3.12 सारांश:–

सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में समुदाय–आधारित पुनर्वास (सीबीआर) के दायरे और समावेशन में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक सेवाओं और रोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सीबीआर सिद्धांतों को एकीकृत करना शामिल है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना और उन्हें मुख्यधारा के समाज में शामिल करना है। यह दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ सेवाओं, सहायता और अवसरों को बढ़ावा देता है, उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और एक अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देता है। सरकारी नीतियों में सीबीआर को शामिल करना दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों और अधिकारों को संबोधित करने, समुदाय में उनकी सक्रिय भागीदारी और योगदान पर जोर देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सार्थक और टिकाऊ प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों में सफल एकीकरण के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी महत्वपूर्ण है।

3.13 बोध– प्रश्नों के उत्तर

1. नीति एकीकरण मौजूदा दिव्यांगता, स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन नीतियों के भीतर समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. सीबीआर के मूल सिद्धांत, जैसे सशक्तिकरण, सामुदायिक भागीदारी और समावेशिता, दिव्यांगता, स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन नीतियों के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप हैं। यह संरेखण दिव्यांगता समावेशन के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।
3. अलग–अलग दिव्यांगता–विशिष्ट नीतियों के बजाय विभिन्न नीतियों में एक क्रॉस–कटिंग थीम के रूप में दिव्यांगता समावेशन को शामिल करना। मुख्यधारा का यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांगता संबंधी विचारों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत किया जाए।
4. सीबीआर कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। समुदाय के सदस्यों को शामिल करके, सीबीआर प्रत्येक समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति अधिक टिकाऊ और उत्तरदायी बन सकता है।
5. समावेशी पहल की प्रभावशीलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन और संसाधन आवंटन आवश्यक है।
6. **दिव्यांग**ता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रम संचालित करें। विकास के लिए समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए नकारात्मक दृ श्टिकोणऔर भेदभाव को कम करना महत्वपूर्ण है।
7. समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश आवश्यक है। सरकारी अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और समुदायों को शिक्षा और सहायता प्रदान करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके पास समावेशिता को बढ़ावा देने और दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हैं।
8. स्थानीय समुदायों को दिव्यांगता अधिकारों और सीबीआर के लाभों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए समुदाय–आधारित कार्यशालाएं और जागरूकता सत्र आयोजित करें।
9. विभिन्न शिक्षण शैलियों और दिव्यांगता–संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करें कि सभी प्रशिक्षण सामग्री सुलभ और समावेशी हैं। इसमें ब्रेल, सांकेतिक भाषा और पढ़ने में आसान प्रारूपों जैसे विभिन्न प्रारूपों में सामग्री प्रदान करना शामिल हो सकता है।
10. सहकर्मी शिक्षण और नेटवर्किंग से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है और अभ्यास के एक सहायक समुदाय को बढ़ावा मिल सकता है।
11. समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। सहयोग तालमेल को बढ़ावा देता है, संसाधनों को अधिकतम करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाए।
12. सहयोग प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी आवाज सुनी जाए और निर्णय लेने में उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाए।

3.14 अभ्यास– कार्य

1. न्याय संगत रोजगार के अवसर व्यक्ति को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करते हैं?
2. दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकियों का महत्व बताइए।

3. सामुदायिक सहायता से आप क्या समझते हैं?
4. समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है?
5. रोजगार और आजीविका के अवसर क्या सुनिश्चित करते हैं?
6. आपातकालीन प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं?

3.15 चर्चा के बिन्दु

❖ दिव्यांगों से सम्बंधित सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में समुदाय आधारित पुनर्वास को शामिल करने का क्षेत्र की चर्चा कीजिये।

3.16 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- Elwan, A. (1999). Disability and poverty: A review of the literature. World Bank. Retrieved fromhttps://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/1475414687376/disability-and-poverty-a-review-of-the-literature
- Global Partnership for Education. (2020). Inclusive education policies: A global review. Retrieved from https://www.globalpartnership.org/content/inclusive-education-policies-global-review
- Gordon, R. (2020). Community-based rehabilitation and its role in national disability policy frameworks: A review. International Journal of Disability and Development, 67(1), 45-59. https://doi.org/10.1177/0968776020908759
- Harris, J., & Tew, J. (Eds.). (2017). Community-based rehabilitation: A guide for policymakers. Routledge.
- International Labour Organization. (2021). Community-based rehabilitation and employment policies. Retrieved from https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/community-based-rehabilitation

इकाई 4 जागरूकता कार्यक्रम– प्रकार, तरीके और वकालत

इकाई संरचना

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 जागरूकता कार्यक्रम की अवधारणा

4.4 जागरूकता कार्यक्रमों के प्रकार

4.5 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के तरीके

4.6 कार्यशाला और सेमिनार

4.7 सामुदायिक कार्यक्रम

4.8 लोक सेवा घोषणाएं (पीएसए)

4.9 प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करना

4.10 दीर्घकालिक साझेदारी

4.11 जागरूकता कार्यक्रम में कार्यक्रमों में वकालत की रणनीति

4.12 जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाना

4.13 मीडिया सहभागिता

4.14 पैरवी और नीति वकालत

4.15 कहानी

4.16 सारांश

4.17 बोध– प्रश्नों के उत्तर

4.18 अभ्यास– कार्य

4.19 चर्चा के बिन्दु

4.20 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.1 प्रस्तावना:–

पिछली इकाई में हमने सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में समुदाय आधारित पुनर्वास को शामिल करने के क्षेत्र की चर्चा की। प्रस्तुत इकाई में हम जागरूकता कार्यक्रम की विभिन्न प्रकारों तथा जागरूकता कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत हम जागरूकता कार्यक्रम की अवधारणा ,प्रकार, सामान्य जागरूकता,लक्षित जागरूकता, मुद्दे–विशिष्ट जागरूकता, वकालत जागरूकता, तथा रोकथाम जागरूकता आदि की चर्चा करेंगे। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के तरीके, कार्यालय और सेमिनार, सामुदायिक कार्यक्रम, लोक सेवा घोषणाएं, जागरूकता रैली, शैक्षिक सामग्री, जागरूकता कार्यक्रमों में वकालत की रणनीति, मीडिया सहभागिता, नीति गठबंधन, कहानी आदि के विषय में चर्चा करेंगे।

4.2 उद्देश्य:–

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप सक्षम हो सकेंगे:–

- समुदाय आधारित पुनर्वास से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे।

- समुदाय आधारित पुनर्वास के जागरूकता कार्यक्रम के विभिन्न प्रकारों के विषय में समझ सकेंगे।
- समुदाय आधारित पुनर्वास के जागरूकता कार्यक्रम के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकेंगे।

4.3 जागरूकता कार्यक्रम की अवधारणा:–

विशेष शिक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम एक केंद्रित प्रयास है जिसका उद्देश्य विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए समझ और सहानुभूति और समावेशी शिक्षा के महत्व को बढ़ाना है। प्राथमिक लक्ष्य विशेष शिक्षा, इसकी चुनौतियों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान करने में इसके महत्व के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम को माता–पिता, शिक्षकों, छात्रों, नीति निर्माताओं, समुदाय के सदस्यों और व्यवसायों सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को लक्षित करना आवश्यक होता है। विशेष शिक्षा के बारे में जानकारी साझा करने के लिए विभिन्न संचार चैनलो जैसे कार्यशालाओं, सेमिनारों, वेबिनार, सोशल मीडिया, सूचनात्मक ब्रोशर और स्थानीय सामुदायिक कार्यक्रमों का उपयोग करना शामिल होता है।

जागरूकता कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

- विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं, दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों और शक्तियों और विशेष शिक्षा को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- समावेशी शिक्षा के महत्व को बताना तथा, जहां दिव्यांग लोगों को जब भी संभव हो, उनके दिव्यांग साथियों के साथ शिक्षा प्रदान करना, जिससे विविधता और स्वीकार्यता को बढ़ावा मिल सके।
- माता–पिता को अपने बच्चे की शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल होने, उनके अधिकारों को समझने और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं (आईईपी) बनाने के लिए शिक्षकों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना।
- समावेशी वातावरण बनाने में समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डालना । व्यवसायों और संगठनों को समावेशी नौकरी के अवसर और सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- विशेष शिक्षा कार्यक्रमों और सेवाओं का समर्थन करने वाली नीतियों और संसाधनों की वकालत को प्रोत्साहित करना।
- समावेशी कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि, दिव्यांग छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक परिणाम और सफलता के संकेतक के रूप में नकारात्मक दृष्टिकोण में कमी जैसे मेट्रिक्स का उपयोग करना।
- नियमित अपडेट, आयोजनों और स्थानीय संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से चल रही जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देकर कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित करना ।
- विशेष शिक्षा के लिए एक प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम बाधाओं को तोड़ने, नकारात्मक दृष्टिकोण को कम करने और सभी छात्रों के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत शैक्षिक वातावरण बनाने में मदद कर सकता है।

उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते है कि अंततः, कार्यक्रम का लक्ष्य सहानुभूति और स्वीकार्यता को बढ़ावा देना, भेदभाव को कम करना और एक अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देना होना चाहिए जहां विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों को महत्व दिया जाए और शामिल किया जाए।

4.4 जागरूकता कार्यक्रमों के प्रकार–

जागरूकता कार्यक्रम के निम्न प्रकार हैं –

- सामान्य जागरूकता
- लक्षित जागरूकता
- मुद्दे–विशिष्ट जागरूकता
- वकालत जागरूकता
- रोकथाम जागरूकता आदि ।

➢ **सामान्य जागरूकता:-**

सामान्य जागरूकता कार्यक्रम जनता को विभिन्न मुद्दों के बारे में शिक्षित और सूचित करने के लिए कई विषयों की जानकारी दे सकते हैं। कुछ प्रकार के सामान्य जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल हैं:-

- **स्वास्थ्य जागरूकता:** स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, बीमारी की रोकथाम और विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **पर्यावरण जागरूकता:** इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों, संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना है।
- **वित्तीय साक्षरता जागरूकता:** बजट, बचत, निवेश और व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के बारे में ज्ञान प्रदान करना। सामाजिक जागरूकता: गरीबी, असमानता और भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना और सहानुभूति , समझ को बढ़ावा देना।
- **साइबर सुरक्षा जागरूकता:** ऑनलाइन सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और साइबर खतरों से बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सड़क सुरक्षा जागरूकता: सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं, यातायात नियमों और दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में शिक्षित करना।
- **आपदा तैयारी जागरूकता:** लोगों को प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के लिए तैयारी के बारे में जानकारी देना।
- **मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता:** मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में समझ पैदा करना और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े गलत अवधारणाओं को कम करना।
- **लिंग और विविधता जागरूकता:** समावेशिता को बढ़ावा देना और लिंग, नस्ल और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- **शैक्षिक जागरूकता:** शिक्षा के महत्व और सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। ये कार्यक्रम एक सुविज्ञ और जिम्मेदार समाज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

➢ **लक्षित जागरूकता**

लक्षित जागरूकता कार्यक्रम विशिष्ट पहल हैं जिनका उद्देश्य किसी विशेष दर्शक वर्ग को किसी केंद्रित विषय या मुद्दे के बारे में शिक्षित करना और सूचित करना है। कुछ प्रकार के लक्षित जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल हैं:

- **किशोर गर्भावस्था जागरूकता:** किशोरों को जल्दी माता–पिता बनने के जोखिमों और प्रजनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना ।
- **नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता:** मादक द्रव्यों के सेवन के खतरों और उपलब्ध सहायता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जोखिम वाले या लत से जूझ रहे

व्यक्तियों को लक्षित करना।

- **स्तन कैंसर जागरूकता:** इसका उद्देश्य शीघ्र पता लगाने को स्तन कैंसर की रोकथाम, लक्षण और उपचार के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
- **गलत–हरकत विरोधी जागरूकता:** गलत–हरकत के मुद्दे का समाधान करने एवं दया और सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना।
- **एचआईवी/एड्स जागरूकता:** समुदायों को एचआईवी/एड्स संचरण, रोकथाम और वायरस के साथ रहने वाले लोगों को हतोउत्साहित ना करने के बारे में शिक्षित करना।
- **कार्यस्थल सुरक्षा जागरूकता:** कार्यस्थल के खतरों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को लक्षित करना।
- **बुजुर्ग देखभाल जागरूकता:** देखभाल करने वालों और परिवार के सदस्यों को बुजुर्ग व्यक्तियों की जरूरतों और चुनौतियों के बारे में शिक्षित करना।
- **बाल दुर्व्यवहार की रोकथाम:** बाल दुर्व्यवहार की पहचान करने और उसे रोकने के लिए माता–पिता, शिक्षकों और समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
- **बच्चों के लिए इंटरनेट सुरक्षा जागरूकता:** युवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सुरक्षा और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार के बारे में सिखाने के लिए लक्षित करना।
- **ऊर्जा संरक्षण जागरूकता:** ऊर्जा–कुशल प्रथाओं और स्थिरता के बारे में जनता को शिक्षित करना।

ये लक्षित जागरूकता कार्यक्रम विशिष्ट समूहों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने और विशेष मुद्दों को संबोधित करने, सकारात्मक परिवर्तन और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

➢ **मुद्दे–विशिष्ट जागरूकता**

मुद्दा–विशिष्ट जागरूकता किसी विशेष समस्या या विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य जनता को मुद्दे, इसके प्रभाव और संभावित समाधानों के बारे में सूचित करना है। कुछ प्रकार की समस्या–विशिष्ट जागरूकता में शामिल हैं:

- **जलवायु परिवर्तन जागरूकता:** लोगों को जलवायु परिवर्तन के परिणामों के बारे में शिक्षित करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने को बढ़ावा देना।
- **मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता:** मानसिक स्वास्थ्य विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, नकारात्मक दृश्टिकोणको कम करना और समर्थन एवं समझ को प्रोत्साहित करना।
- **घरेलू हिंसा जागरूकता:** घरेलू हिंसा की व्यापकता, पीड़ितों पर इसके प्रभाव और सहायता के लिए उपलब्ध संसाधनों के बारे में जनता को सूचित करना।
- **मानव तस्करी जागरूकता:** विभिन्न सामाजिक मुद्दों को शामिल करना। मानव तस्करी जागरूकता के अलावा, अन्य उदाहरणों में पर्यावरण जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और लैंगिक समानता जागरूकता शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार की जागरूकता का उद्देश्य समाज में विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने और उनका मुकाबला करने के लिए लोगों को शिक्षित करना और संलग्न करना है।

➢ **वकालत जागरूकता**

वकालत जागरूकता एक विशिष्ट कारण या मुद्दे को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य समर्थन जुटाना, सार्वजनिक चेतना बढ़ाना और नीतियों एवं कार्यों को प्रभावित करना है। कुछ प्रकार की वकालत जागरूकता में शामिल हैं:

- **दिव्यांगता अधिकारों की वकालत:** समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांग लोगों के अधिकारों और जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- **पर्यावरण वकालत:** जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- **महिला अधिकारों की वकालत:** लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण की वकालत करना और लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव का मुकाबला करना।
- **लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर अधिकारों की वकालत:** उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समान अधिकारों एवं स्वीकृति की वकालत करना।
- **स्वास्थ्य देखभाल वकालत:** गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए अभियान चलाना।
- **शिक्षा वकालत:** शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना और बढ़ी हुई फंडिंग और शैक्षिक अवसरों की वकालत करना।
- **पशु अधिकार वकालत:** जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना और पशु क्रूरता के खिलाफ वकालत करना।
- **मानसिक स्वास्थ्य वकालत:** बेहतर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की वकालत करना, नकारात्मक दृष्टिकोण को कम करना और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता का समर्थन करना।
- **सामाजिक न्याय वकालत:** न्यायसंगत उपचार के लिए अभियान चलाना और नस्लवाद, गरीबी और असमानता जैसे सामाजिक अन्याय के खिलाफ वकालत करना।
- **गरीबी और भूख की वकालत:** गरीबी और भूख के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की वकालत करना। वकालत जागरूकता समुदायों को एकजुट करने, सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

➢ **रोकथाम जागरूकता**

रोकथाम जागरूकता कुछ मुद्दों या समस्याओं के जोखिम से बचने या कम करने के लिए निवारक उपायों के बारे में जनता को शिक्षित करने पर केंद्रित है। कुछ प्रकार की रोकथाम जागरूकता में रोग निवारण जागरूकता शामिल है: लोगों को टीकाकरण, स्वस्थ आदतों और बीमारियों का शीघ्र पता लगाने के बारे में शिक्षित करना ताकि ऐसी घटनाओं को कम किया जा सके। कुछ रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम निम्नवत है :-

- **मादक द्रव्य दुरुपयोग रोकथाम जागरूकता:** नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ मुकाबला तंत्र को बढ़ावा देना।
- **अग्नि सुरक्षा रोकथाम जागरूकता:** आग की घटनाओं को कम करने के लिए अग्नि सुरक्षा उपायों और रोकथाम तकनीकों के बारे में शिक्षित करना।
- **सडक सुरक्षा रोकथाम जागरूकता:** सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को बढ़ावा देना और यातायात नियमों के पालन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- **साइबर सुरक्षा रोकथाम जागरूकता:** व्यक्तियों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रथाओं और साइबर खतरों से बचाव के बारे में जानकारी देना।
- **कार्यस्थल चोट निवारण जागरूकता:** दुर्घटनाओं और चोटों को रोकने के लिए कर्मचारियों को

कार्यस्थल सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में शिक्षित करना।

- **पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम जागरूकता:** प्रदूषण को कम करने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- **बाल दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता:** माता–पिता, देखभाल करने वालों और समुदायों को बाल दुर्व्यवहार को पहचानने और रोकने के बारे में शिक्षित करना।
- **पहचान की चोरी रोकथाम जागरूकता:** पहचान की चोरी से बचने के लिए लोगों को व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के बारे में सूचित करना।
- **मानसिक स्वास्थ्य रोकथाम जागरूकता:** मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और तनाव से निपटने और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए उपकरण प्रदान करना। रोकथाम जागरूकता अभियानों का उद्देश्य व्यक्तियों को सशक्त बनाना है।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

1) विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम क्या भूमिका निभाता है?

.....

.....

2) विशेष शिक्षा का प्रसार किन माध्यमों से किया जा सकता हैं?

.....

.....

3) जागरूकता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है?

.....

.....

4) विशेष शिक्षा में वकालत से क्या तात्पर्य होता है?

.....

.....

4.5 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के तरीके

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के व्यापक उपयोग के कारण सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाना तेजी से लोकप्रिय और प्रभावी हो गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के कुछ तरीकों में शामिल हैं:

- **आकर्षक सामग्री निर्माण:** दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ग्राफिक्स, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और लेख जैसी जानकारीपूर्ण और दृष्टि से आकर्षक सामग्री बनाना।

- **हैशटैग अभियान:** जागरूकता कार्यक्रम को आसानी से खोजने, योग्य बनाने और उपयोगकर्ता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रासंगिक और आकर्षक हैशटैग का उपयोग करना।
- **प्रभावशाली सहयोग:** सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों और अधिवक्ताओं के साथ साझेदारी करना, जिनके पास संदेश को बढ़ाने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण अनुयायी हैं।
- **लाइव प्रश्नोत्तर सत्र:** दर्शकों के प्रश्नों को संबोधित करने और वास्तविक समय की सहभागिता प्रदान करने के लिए लाइव प्रश्न और उत्तर सत्र की मेजबानी करना।
- **उपयोगकर्ता–जनित सामग्री:** उपयोगकर्ताओं को जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित अपने अनुभव, कहानियां या विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- **ऑनलाइन कार्यक्रम और वेबिनार:** जानकारी प्रसारित करने, गहन चर्चा प्रदान करने और दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए आभासी कार्यक्रम और वेबिनार आयोजित करना।
- **सोशल मीडिया चुनौतियाँ:** उपयोगकर्ताओं को संलग्न करने और उन्हें संदेश फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम की थीम के अनुरूप चुनौतियाँ बनाना।
- **सहयोगात्मक अभियान:** बड़ा प्रभाव पैदा करने और अभियान की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए अन्य संगठनों, व्यवसायों या प्रभावशाली लोगों के साथ साझेदारी करना।
- **डेटा और सांख्यिकी साझा करना:** जागरूकता कार्यक्रम के संदेश का समर्थन करने वाले प्रासंगिक डेटा और आंकड़े साझा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** इसकी प्रभावशीलता को मापने के लिए एनालिटिक्स के माध्यम से सोशल मीडिया अभियान की भागीदारी और प्रभाव को ट्रैक करना। सोशल मीडिया अभियान विविध दर्शकों तक पहुंचने, उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ने और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सार्थक बदलाव लाने का एक लागत प्रभावी और सुलभ तरीका प्रदान करते हैं।

4.6 कार्यशालाएँ और सेमिनार

कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से लक्षित दर्शकों के साथ जुड़ने और विशिष्ट विषयों पर गहन जानकारी प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका है। कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के कुछ तरीकों में शामिल हैं:

- **विषय चयन:** प्रासंगिक और प्रभावशाली विषय चुनना जो इच्छित दर्शकों की आवश्यकताओं और रुचियों को संबोधित करते हों।
- **विशेषज्ञ वक्ता:** मूल्यवान अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए जानकार और अनुभवी विशेषज्ञों को वक्ता के रूप में आमंत्रित करना।
- **इंटरएक्टिव सत्र:** प्रश्नोत्तर सत्र, समूह चर्चा और व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से दर्शकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **मल्टीमीडिया प्रस्तुतियाँ:** समझ और जुड़ाव बढ़ाने के लिए दृश्य सहायता, स्लाइड शो, वीडियो और मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग करना।
- **केस अध्ययन:** जागरूकता कार्यक्रम के संदेश के महत्व और प्रभावशीलता को दर्शाने के लिए वास्तविक जीवन के मामलो का अध्ययन और सफलता की कहानियों को शामिल करना।
- **प्रचार सामग्री:** प्रतिभागियों को घर ले जाने और दूसरों के साथ साझा करने के लिए सूचनात्मक ब्रोशर, पैम्फलेट और हैंडआउट तैयार करें।

- **नेटवर्किंग के अवसर:** प्रतिभागियों के लिए एक–दूसरे के साथ जुड़ने और नेटवर्क बनाने के अवसर बनानां, जिससे समुदाय और समर्थन की भावना को बढ़ावा मिले।
- **पूर्व और बाद के मूल्यांकन:** जागरूकता और ज्ञान बढ़ाने में कार्यशाला या सेमिनार की प्रभावशीलता को मापने के लिए घटना से पहले और बाद के मूल्यांकन का संचालन करना।
- **स्थान और समय:** एक सुलभ और उपयुक्त स्थान चुनना और लक्षित दर्शकों के लिए सुविधाजनक समय पर कार्यक्रम निर्धारित करना।
- **ऑनलाइन कार्यशालाएँ:** व्यापक दर्शकों तक पहुँचने और विभिन्न स्थानों से प्रतिभागियों को समायोजित करने के लिए आभासी कार्यशालाएँ और वेबिनार का आयोजन करना।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

5) जागरूकता के प्रकार बताइए।

.....

.....

6) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के तरीके बताइए।

.....

.....

7) कार्यशालाएँ और सेमिनार के चरण बताइए।

.....

.....

4.7 सामुदायिक कार्यक्रम

सामुदायिक कार्यक्रम विविध दर्शकों के साथ जुड़ने और समुदाय के भीतर एकता और समर्थन की भावना पैदा करने का एक प्रभावी तरीका है। सामुदायिक आयोजनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के कुछ तरीकों में शामिल हैं:

- **कार्यक्रम योजना:** जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित स्पष्ट उद्देश्यों, विषयों और वांछित परिणामों के साथ अच्छी तरह से संरचित कार्यक्रम आयोजित करना।
- **सहयोग:** संसाधनों की पहुंच को अधिकतम करने के लिए स्थानीय संगठनों, व्यवसायों और सामुदायिक नेताओं के साथ साझेदारी करना ।
- **सूचना बूथ:** जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित शैक्षिक सामग्री, संसाधन और इंटरैक्टिव डिस्प्ले प्रदान करने के लिए सूचना बूथ या स्टॉल स्थापित करना।
- **अतिथि वक्ता:** समुदाय के साथ अपने ज्ञान और कहानियों को साझा करने के लिए अतिथि वक्ताओं, विशेषज्ञों या व्यक्तिगत अनुभव वाले व्यक्तियों को आमंत्रित करना।

- **प्रदर्शन और प्रदर्शन:** कलात्मक प्रदर्शन, या प्रदर्शनियों को शामिल करना जो जागरूकता कार्यक्रम के संदेश को रचनात्मक रूप से व्यक्त करते हैं।
- **सामुदायिक कार्यशालाएँ:** समुदाय के सदस्यों को व्यावहारिक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए इंटरैक्टिव कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।
- **आकर्षक गतिविधियाँ:** प्रतिभागियों को संलग्न करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम की थीम के अनुरूप खेल, प्रतियोगिता या गतिविधियाँ आयोजित करना।
- **स्थानीय मीडिया को शामिल करना:** कार्यक्रम को कवर करने और समुदाय में इसकी दृश्यता बढ़ाने के लिए स्थानीय मीडिया आउटलेट्स को आमंत्रित करना।
- **स्वयंसेवी सहभागिता:** समुदाय के सदस्यों को स्वयंसेवकों के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेने, स्वामित्व की भावना और उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना।

4.8 लोक सेवा घोषणाएँ (पीएसए)

सार्वजनिक सेवा घोषणाएँ (पीएसए) विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुँचने का एक प्रभावी तरीका है। पीएसए के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के कुछ तरीकों में शामिल हैं:

- **टेलीविजन और रेडियो:** देखने या सुनने के चरम समय के दौरान टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर प्रसारित करने के लिए लघु, प्रभावशाली ऑडियो या वीडियो पीएसए बनाना।
- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म:** व्यापक ऑनलाइन दर्शकों तक पहुंचने के लिए लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संक्षिप्त और आकर्षक पीएसए बनाना और साझा करना।
- **सार्वजनिक परिवहन:** बसों, ट्रेनों और अन्य सार्वजनिक वाहनों पर पीएसए प्रदर्शित करें, जिससे यात्रियों को उनकी दैनिक यात्रा के दौरान संदेश देखने को मिल सके।
- **डिजिटल बिलबोर्ड:** गतिशील और ध्यान आकर्षित करने वाले पीएसए प्रदर्शित करने के लिए उच्च–यातायात वाले क्षेत्रों में डिजिटल बिलबोर्ड का उपयोग करना।
- **प्रिंट मीडिया:** सभी उम्र के पाठकों को लक्षित करने के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और सामुदायिक समाचार पत्रों में आकर्षक पीएसए प्रकाशित करें।

4.9 प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करना

प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का एक प्रभावी तरीका है, खासकर डिजिटल युग में, जहां सोशल मीडिया व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के कुछ तरीकों में शामिल हैं:

- **प्रासंगिक प्रभावशाली लोगों की पहचान करना:** उन प्रभावशाली लोगों पर शोध कार्य करना और उनकी पहचान करना जिनके पास लक्षित दर्शकों के बीच एक मजबूत अनुयायी और विश्वसनीयता है और जिनके मूल्य जागरूकता कार्यक्रम के संदेश के साथ संरेखित हैं।
- **प्रभावशाली लोगों को शामिल करना:** वैयक्तिकृत संदेशों के माध्यम से प्रभावशाली लोगों तक पहुंचें, जागरूकता कार्यक्रम के कारण और उद्देश्य को समझना और सहयोग का प्रस्ताव रखना ।
- **प्रायोजित सामग्री:** प्रायोजित सामग्री बनाने के लिए प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करें जो उनके अनुयायियों को जागरूकता कार्यक्रम के संदेश और लक्ष्यों के बारे में शिक्षित करना ।

- **हैशटैग अभियान:** जागरूकता कार्यक्रम के लिए एक अद्वितीय हैशटैग बनाएं और प्रभावशाली लोगों से इसे अपने पोस्ट में शामिल करने के लिए कहें, जिससे दृश्यता और जुड़ाव बढ़े।
- **मेट्रिक्स और विश्लेषण:** जागरूकता कार्यक्रम की सफलता को मापने के लिए एनालिटिक्स का उपयोग करके प्रभावशाली सहयोग के प्रदर्शन और प्रभाव को ट्रैक करना।
- **दीर्घकालिक साझेदारी:** जागरूकता कार्यक्रम के लिए निरंतर समर्थन और प्रचार बनाए रखने के लिए प्रभावशाली लोगों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने पर विचार करना। प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करने से जागरूकता कार्यक्रम की पहुंच और विश्वसनीयता बढ़ती है, जिससे यह व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ और भरोसेमंद बन जाता है। प्रभावशाली लोगों की प्रामाणिक सहभागिता सार्थक संबंधों को बढ़ावा दे सकती है और संबोधित मुद्दे पर सकारात्मक कार्रवाई को प्रेरित कर सकती है।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

8) सामुदायिक कार्यक्रम से क्या तात्पर्य है?

.....

.....

9) जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के कौन से तरीके हैं?

.....

.....

10) लोक सेवा घोषणाओं से आप क्या समझतें हैं?

.....

.....

11) लोक सेवा घोषणाओं से आप क्या समझतें हैं?

.....

.....

12) जागरूकता कार्यक्रमों में वकालत की कौन कौनसी रणनीतियाँ होती हैं?

.....

.....

4.10 शैक्षणिक सामग्री वितरण

शैक्षिक सामग्री वितरण के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना मूल्यवान जानकारी के साथ व्यापक दर्शकों तक पहुंचने का एक पारंपरिक लेकिन प्रभावी तरीका है। शैक्षिक सामग्री वितरण के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने की कुछ विधियों में शामिल हैं:

- **ब्रोशर और फ्लायसं:** जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित मुख्य संदेशों, आँकड़ों और संसाधनों वाले सूचनात्मक ब्रोशर और फ्लायर्स को डिजाइन और प्रिंट करना ।
- **पोस्टर और बैनर:** इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों, सामुदायिक केंद्रों, स्कूलों और कार्यालयों में आकर्षक पोस्टर और बैनर प्रदर्शित करना।
- **पुस्तिकाएं और हैंडबुक:** विषय पर गहन जानकारी, दिशानिर्देश और व्यावहारिक युक्तियों के साथ व्यापक पुस्तिकाएं या हैंडबुक बनाना।
- **सूचना बूथ:** शैक्षिक सामग्री वितरित करने और जनता के साथ बातचीत करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों, मेलों और सार्वजनिक स्थानों पर सूचना बूथ स्थापित करना।
- **स्कूल और शैक्षणिक संस्थान:** कम उम्र से ही जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शैक्षिक सामग्री वितरित करने के लिए स्कूलों के साथ साझेदारी करना ।
- **स्थानीय पुस्तकालय:** स्थानीय पुस्तकालयों को शैक्षिक सामग्री प्रदान करें, जिससे वे समुदाय के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकें।
- **कार्यस्थल वितरण:** कर्मचारियों तक पहुंचने और कार्यबल के भीतर जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों में शैक्षिक सामग्री वितरित करना।

4.11 जागरूकता कार्यक्रमों में वकालत की रणनीति

- **हितधारकों को शामिल करना:** जागरूकता कार्यक्रमों में, हितधारकों को शामिल करने के लिए एक प्रभावी वकालत रणनीति में प्रमुख व्यक्तियों, संगठनों और समूहों की पहचान करना, स्पष्ट संचार के माध्यम से संबंध बनाना, सम्मोहक जानकारी साझा करना और उन्हें कार्यक्रम के लक्ष्यों के साथ संरेखित गतिविधियों में शामिल करना शामिल है। इसमें एकीकृत आवाज बनाने और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए कार्यशालाएं, कार्यक्रम, सहयोग और सोशल मीडिया का लाभ उठाना शामिल हो सकता है।

4.12 जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाना

जागरूकता कार्यक्रमों में शक्तिशाली वकालत रणनीति जो महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकती है और जमीनी स्तर से बदलाव ला सकती है। जागरूकता कार्यक्रम में जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने के कुछ प्रभावी तरीके यहां दिए गए हैं:-

- **सामुदायिक आउटरीच:** मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समर्थन बनाने के लिए घर–घर जाकर, सामुदायिक बैठकों और स्थानीय कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय के सदस्यों के साथ जुड़ना
- **स्थानीय नेता और प्रभावशाली व्यक्ति:** स्थानीय नेताओं, प्रभावशाली लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ साझेदारी करना जिनकी समुदाय के भीतर विश्वसनीयता और प्रभाव है ताकि वे इस मुद्दे को उठा सकें।
- **स्वयंसेवक भर्ती :** समुदाय से स्वयंसेवकों की भर्ती करना और उन्हें प्रशिक्षित करना जो इस मुद्दे के बारे में भावुक हों और जागरूकता कार्यक्रम के संदेश को फैलाने में मदद कर सकें।
- **जमीनी स्तर पर अभियान:** मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने और स्थानीय समुदाय से समर्थन जुटाने के लिए जमीनी स्तर पर अभियान, रैलियां और जागरूकता पदयात्रा आयोजित करना।
- **कहानी सुनाना:** जागरूकता कार्यक्रम की प्रासंगिकता और प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए समुदाय से जुड़ने के लिए व्यक्तिगत कहानियों और अनुभवों का उपयोग करना।
- **जमीनी स्तर का मीडिया:** समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रसारित करने के

लिए स्थानीय मीडिया आउटलेट, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और समाचार पत्रों का उपयोग करना।

4.13 मीडिया सहभागिता

जागरूकता कार्यक्रमों में मीडिया की भागीदारी एक शक्तिशाली वकालत रणनीति है, क्योंकि यह व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और मुद्दे की दृश्यता और प्रभाव को बढ़ाने की अनुमति देती है। कवरेज के लिए मीडिया आउटलेट्स से जुड़ने के कुछ प्रभावी तरीके यहां दिए गए हैं:

- **प्रेस विज्ञप्तियाँ:** आकर्षक प्रेस विज्ञप्तियाँ तैयार करें जो जागरूकता कार्यक्रम के प्रमुख संदेशों और उद्देश्यों को उजागर करें, और उन्हें प्रासंगिक मीडिया आउटलेट्स में वितरित करें।
- **मीडिया किट:** पत्रकारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम तक आसानी से पहुंचने और रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक जानकारी, आंकड़े, दृश्य और संपर्क युक्त मीडिया किट बनाएं।
- **मीडिया साझेदारी:** विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से कवरेज सुरक्षित करने और जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मीडिया संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करें।
- **साक्षात्कार:** मुद्दे और जागरूकता कार्यक्रम के लक्ष्यों के बारे में गहन जानकारी प्रदान करने के लिए पत्रकारों और संवाददाताओं को साक्षात्कार की पेशकश करें।
- **ऑप–एड और अतिथि लेख:** ऑप–एड और अतिथि लेख लिखें जो जागरूकता कार्यक्रम के विषय से संबंधित विशेषज्ञ राय और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, एवं मीडिया आउटलेट्स को उन्हें प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- **मीडिया कार्यक्रम:** मीडिया कवरेज और रुचि पैदा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया ब्रीफिंग या प्रमुख प्रवक्ताओं के साथ साक्षात्कार जैसे मीडिया कार्यक्रम आयोजित करना ।
- **मीडिया टूर:** जमीनी स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए मीडिया टूर आयोजित करें और मीडिया आउटलेट्स को प्रत्यक्ष अनुभवों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **सोशल मीडिया जुडाव:** मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्रकारों और मीडिया संगठनों के साथ जुड़ने, अपडेट और प्रासंगिक सामग्री साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना।
- **प्रोएक्टिव मीडिया आउटरीच:** पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स तक सक्रिय रूप से पहुंचें, उन्हें जागरूकता कार्यक्रम को कवर करने के लिए आमंत्रित करें और उन्हें प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना।
- **निगरानी करें और प्रतिक्रिया दें:** जागरूकता कार्यक्रम के मीडिया कवरेज की निगरानी करें और पत्रकारों की किसी भी पूछताछ या अनुरोध का तुरंत जवाब दें। मीडिया जुड़ाव जागरूकता कार्यक्रम को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने, सार्वजनिक रुचि पैदा करने और मुद्दे के इर्द–गिर्द एक कथा बनाने की अनुमति देता है, जो अंततः जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव में योगदान देता है।

4.14 पैरवी और नीति वकालत

प्रणालीगत परिवर्तन को प्रभावित करने और सार्थक नीति सुधार लाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों में लॉबिंग और नीति वकालत महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं। लॉबिंग और नीति वकालत में शामिल होने के कुछ प्रभावी तरीके यहां दिए गए हैं:

- **अनुसंधान और डेटा:** समुदाय पर इसके महत्व और प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए, कारण का समर्थन करने के लिए साक्ष्य और डेटा इकट्ठा करना।
- **प्रमुख निर्णय निर्माताओं की पहचान करना:** नीति निर्माताओं, विधायकों और सरकारी अधिकारियों

की पहचान करना जिनके पास संबंधित नीतियों को प्रभावित करने का अधिकार है।

- **स्पष्ट नीति लक्ष्य विकसित करें:** विशिष्ट और प्राप्त करने योग्य नीति लक्ष्यों को परिभाषित करें जो जागरूकता कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ संरेखित कर सके।
- **संबंध बनाएं:** बैठकों, ब्रीफिंग और सहभागिता के अवसरों के माध्यम से नीति निर्माताओं के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना।
- **साक्ष्य के साथ वकालत:** यह दिखाने के लिए साक्ष्य–आधारित तर्क और प्रेरक संदेश प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित नीतियां व्यापक सार्वजनिक हित के साथ कैसे संरेखित होती हैं।

4.15 कहानी

जागरूकता कार्यक्रमों में वकालत की रणनीति दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ सकती है, सहानुभूति पैदा कर सकती है और भावनात्मक संबंधों को बढ़ावा दे सकती है। जागरूकता कार्यक्रम में कहानी कहने को शामिल करने के कुछ प्रभावी तरीके यहां दिए गए हैं:

- **व्यक्तिगत साक्ष्य:** मुद्दे से सीधे प्रभावित व्यक्तियों की व्यक्तिगत कहानियाँ और अनुभव साझा करना, उनकी चुनौतियों, जीत और लचीलेपन को प्रदर्शित करना।
- **प्रभावशाली कथाएँ:** सम्मोहक कथाएँ गढ़ें जो इस मुद्दे से प्रभावित व्यक्तियों या समुदायों की यात्रा को उजागर करती हैं, जिससे कहानी प्रासंगिक और प्रेरक बन जाती है।
- **प्रामाणिकता और भेद्यता:** कहानीकारों को प्रामाणिक और संवेदनशील होने, अपनी भावनाओं और संघर्षों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें, जो गहरा भावनात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है।
- **विजुअल स्टोरीटेलिंग:** स्टोरीटेलिंग को पूरक करने और भावनात्मक संबंध बढ़ाने के लिए फोटो, वीडियो या एनिमेशन जैसे दृश्य तत्वों का उपयोग करना।
- **आवाजों की विविधता:** मुद्दे के विभिन्न आयामों और विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों पर इसके प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए विविध दृष्टिकोणों से कहानियाँ शामिल करना।
- **कार्रवाई के लिए आह्वान:** कार्रवाई के लिए उत्प्रेरक के रूप में कहानी कहने का उपयोग करना, दर्शकों को इसमें शामिल होने, उद्देश्य का समर्थन करने और बदलाव की वकालत करने के लिए प्रेरित करना। कहानी सुनाना जागरूकता कार्यक्रम को मानवीय बनाता है, जिससे यह अधिक प्रासंगिक और प्रभावशाली बनता है। व्यक्तिगत कहानियों और अनुभवों को साझा करके, जागरूकता कार्यक्रम दिलों को छू सकता है, कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकता है और अंततः समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

4.16 सारांश:–

संक्षेप में, एक सफल जागरूकता कार्यक्रम में समुदाय–आधारित, ऑनलाइन और शैक्षिक दृष्टिकोण जैसे विभिन्न प्रकार शामिल होते हैं। सोशल मीडिया अभियान, कार्यशालाएं और सूचनात्मक सामग्री जैसे तरीकों को लागू करने से प्रभावशीलता बढ़ती है। समर्थन जुटाने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए वकालत महत्वपूर्ण है। इन घटकों का तालमेल जागरूकता को बढ़ावा देने और सार्थक प्रभाव को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाता है।

4.17 बोध–प्रश्नों के उत्तर:–

1) विशेष शिक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम एक केंद्रित प्रयास है जिसका उद्देश्य विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए समझ और सहानुभूति और समावेशी शिक्षा के महत्व को बढ़ाना है। प्राथमिक लक्ष्य विशेष शिक्षा, इसकी चुनौतियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान करने में इसके महत्व के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है।

2) विशेष शिक्षा के बारे में जानकारी साझा करने के लिए विभिन्न संचार चौनलों जैसे कार्यशालाओं, सेमिनारों, वेबिनार, सोशल मीडिया, सूचनात्मक ब्रोशर और स्थानीय सामुदायिक कार्यक्रमों का उपयोग करें।

3) जागरूकता कार्यक्रम का लक्ष्य सहानुभूति और स्वीकार्यता को बढ़ावा देना, भेदभाव को कम करना और एक अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देना होना चाहिए जहां विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों को महत्व दिया जाए और शामिल किया जाए। विशेष शिक्षा के लिए एक प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम बाधाओं को तोड़ने, नकारात्मक दृष्टिकोण को कम करने और सभी छात्रों के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत शैक्षिक वातावरण बनाने में मदद कर सकता है।

4) वकालत का तात्पर्य विकलांग छात्रों के अधिकारों और जरूरतों के समर्थन और बोलने के कार्य से है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना शामिल है कि इन छात्रों को स्कूल में सफल होने में मदद करने के लिए उचित शैक्षिक सेवाएं, आवास और सहायता प्राप्त हो। विशेष शिक्षा के अधिवक्ताओं में माता–पिता, अभिभावक, शिक्षक या पेशेवर शामिल हो सकते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं, अक्सर स्कूलों और शैक्षिक एजेंसियों के साथ सहयोग करके यह सुनिश्चित करते हैं कि विकलांग छात्रों को वे सेवाएँ और आवास प्राप्त हों जिनके वे हकदार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम (आईडीईए) जैसे कानून के तहत हकदार हैं।

5) जागरूकता कार्यक्रमों के निम्नलिखित प्रकार हैं सामान्य जागरूकताए स्वास्थ्य जागरूकताए पर्यावरण जागरूकताए वित्तीय साक्षरता जागरूकताए साइबर सुरक्षा जागरूकताए आपदा तैयारी जागरूकताए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकताए लिंग और विविधता जागरूकताए लक्षण जागरूकताए किशोर गर्भावस्था जागरूकताए नशीली दावों और मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकताए स्तन कैंसर जागरूकताए बदमाशी विरोधी जागरूकताए एचआईवी जागरूकताए कार्यस्थल सुरक्षा जागरूकताए बाल दुर्व्यवहार जागरूकताए बच्चों के लिए इंटरनेट सुरक्षा जागरूकताए ऊर्जा संरक्षण जागरूकताए मुद्दे विशिष्ट जागरूकताए जलवायु परिवर्तन जागरूकताए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकताए घरेलू हिंसा जागरूकताए मानव तस्करी जागरूकताए वकालत जागरूकताए विकलांगता अधिकारों की वकालतए पर्यावरण वकालतए महिला अधिकारों की वकालतए स्वास्थ्य देखभाल वकालतए शिक्षा वकालतए पशु अधिकार वकालतए मानसिक स्वास्थ्य वकालतए सामाजिक न्याय वकालतए गरीबी और भूख की वकालतए रोकथाम जागरूकताए मादक द्रव्य दुरुपयोगए रोकथाम जागरूकताए मादक द्रव्य दुरुपयोग रोकथाम जागरूकताए अग्नि सुरक्षा रोकथाम जागरूकताए सड़क सुरक्षा रोकथाम जागरूकताए साइबर सुरक्षा रोकथाम जागरूकताए कार्यस्थल चोट निवारण जागरूकताए पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम जागरूकताए बाल दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकताए पहचान की चोरी रोकथाम जागरूकताए मानसिक स्वास्थ्य रोकथाम जागरूकता ।

6) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के तरीके आकर्षक सामग्री निर्माण ए हेस्टैग अभियान ए प्रभावशाली सहयोग ए लाइव प्रश्नोत्तर सत्र ए उपयोगकर्ता जनित सामग्रीए ऑनलाइन कार्यक्रम और वेबीनार ए सोशल मीडिया चुनौतियां सहयोगात्मक अभियान ए डाटा और सांख्यिकी साझा करना ए निगरानी और मूल्यांकन ।

7) कार्यशालाएँ और सेमिनार के चरण रू विषय चयनए विशेषज्ञ वक्ताए इंटरएक्टिव सत्र ए मल्टीमीडिया प्रस्तुतियां ए केस अध्ययन प्रचार सामग्री ए नेटवर्किंग के अवसर ए पूर्व और बाद में मूल्यांकन स्थान और समय ए ऑनलाइन कार्यशालाएं ।

8) सामुदायिक कार्यक्रम विविध दर्शकों के साथ जुड़ने और समुदाय के भीतर एकता और समर्थन की भावना पैदा करने का एक प्रभावी तरीका है।

9) सामुदायिक आयोजनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के कुछ तरीकों में शामिल हैं: कार्यक्रम आयोजन ,सहयोग, सूचना बूथ ,अतिथि वक्ता ,प्रदर्शन और प्रदर्शन, सामुदायिक कार्यशालाएं ,आकर्षक गतिविधियां ,स्थानीय मीडिया को शामिल करना ,स्वयंसेवी सहभागिता, प्रतिक्रिया और मूल्यांकन, सामुदायिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर प्रदर्शन, इंटरएक्टिव खेल और गतिविधियां, अतिथि वक्ता, कला और प्रदर्शनियां ,जागरूकता पदयात्रा दौड़ ,कहानी सुनाने के सत्र, पैनल चर्चाएं, सूचना बूथ,सहयोग।

10) सार्वजनिक सेवा घोषणाएँ (पीएसए) विभिन्न मीडिया चौनलों के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुँचने का एक प्रभावी तरीका है।

11) लोक सेवा घोषणाओं के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के कुछ तरीकों में शामिल हैं टेलीविजन और रेडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉमर्रू सार्वजनिक स्पष्ट और यादगार संदेशरवहन डिजिटल बिलबोडर्रू प्रिंट मीडिया सार्वजनिक कार्यक्रम मशहूर हस्तियों या प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग।

12) जागरूकता कार्यक्रमों में, हितधारकों को शामिल करने के लिए एक प्रभावी वकालत रणनीति में प्रमुख व्यक्तियों, संगठनों और समूहों की पहचान करना, स्पष्ट संचार के माध्यम से संबंध बनाना, सम्मोहक जानकारी साझा करना और उन्हें कार्यक्रम के लक्ष्यों के साथ संरेखित गतिविधियों में शामिल करना शामिल है। इसमें एकीकृत आवाज बनाने और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए कार्यशालाएं, कार्यक्रम, सहयोग और सोशल मीडिया का लाभ उठाना शामिल हो सकता है।

4.18 अभ्यास– कार्य

1. जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने के तरीके बताइए।
2. साक्ष्य आधारित संदेश से क्या तात्पर्य है?
3. जागरूकता कार्यक्रमों में कहानी के कुछ प्रभावी तरीके बताइए।

4.19 चर्चा के बिन्दु

❖ विशेष शिक्षा के जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के तरीकों की चर्चा कीजिये।

4.22 संदर्भ ग्रंथ/कुछ उपयोगी पुस्तकें:–

- American Association of People with Disabilities. (2023). Strategies for effective advocacy and awareness programs. Retrieved from https://www.aapd.com/resources/advocacy-awareness
- Cohen, A. (2016). Advocacy and social justice: An introduction. Routledge.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2017). Research methods in education (8th ed.). Routledge.
- Disability Rights Education & Defense Fund. (2022). Awareness campaigns and advocacy for disability rights. Retrieved from https://dredf.org/resources/awareness-campaigns-advocacy
- Kaufman, J., & DeFino, M. (Eds.). (2021). Public awareness campaigns: Strategies, methodologies, and advocacy. Springer.
- McCool, J., & Fink, J. (2020). Effective methods for disability advocacy: A comparative analysis of traditional and digital strategies. Journal of Disability Policy Studies, 30(2), 89-102. https://doi.org/10.1177/1044207319895662
- World Health Organization. (2016). Global disability action plan 2014-2021: Better health for all people with disability. World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/disabilities/action_plan/en/

इकाई 5 फोकस समूह चर्चा और परिवार परामर्श

इकाइ संरचना–

5.1 प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 फोकस समूह का अर्थ प्रकार एवं उपयोगिता

5.4 फोकस समूह संचालन की प्रणाली

5.5 फोकस समूहों की भूमिका

5.6 संभावित और सीमाए

5.7 फोकस ग्रुप कार्यप्रणाली की प्रकृति

5.8 परिवार परामर्श की अवधारणा

5.9 फैमिली थेरेपी और फैमिली काउंसलिंग में क्या अंतर है?

5.10 परिवार परामर्श के प्रकार

5.11 पारिवारिक चिकित्सा के चार चरण

5.12 आघात सहायता के लिए तीन बुनियादी कथा अभ्यास लागू किए जा सकते हैं

5.13 परिवार परामर्श का महत्व

5.14 परिवार परामर्श के लाभ

5.15 सारांश

5.16 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.17 अभ्यास– कार्य

5.18 चर्चा के बिन्दु

5.19 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.1 प्रस्तावना :–

प्रस्तुत ईकाई में हम आपका परिचय जिसके अंतर्गत विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) बच्चों की शिक्षा और विकास में फोकस समूह चर्चा और पारिवारिक परामर्श से कराएँगे। विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) बच्चों की शिक्षा और विकास में फोकस समूह चर्चा और पारिवारिक परामर्श को शामिल करना अधिक समावेशी और सहायक वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य इन बच्चों और उनके परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करना है, यह सुनिश्चित करना है कि उनकी जरूरतें समग्र रूप से पूरी हों। फोकस समूह चर्चाओं में शिक्षकों, देखभाल करने वालों, चिकित्सकों और कभी–कभी खुद बच्चों सहित हितधारकों के छोटे समूहों को एक साथ लाना शामिल है, ताकि अनुभवों, चुनौतियों और रणनीतियों पर चर्चा और साझा किया जा सके। ये चर्चाएँ विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) की जरूरतों और दृष्टिकोणों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जिससे अधिक अनुकूलित और प्रभावी शैक्षिक दृष्टिकोणों की अनुमति मिलती है। वे सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव समाधानों को साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करते हैं जिन्हें विभिन्न शैक्षिक समायोजन में लागू किया जा सकता है। पारिवारिक परामर्श

विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के परिवारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह माता–पिता और अभिभावकों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने, अपने बच्चे की जरूरतों को प्रबंधित करने के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करने और एक सहायक घरेलू वातावरण को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों को सीखने के लिए एक स्थान प्रदान करता है। परामर्श परिवारों को भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है जो विशेष रूप से सक्षम बच्चे (दिव्यांग) की परवरिश के साथ आती हैं, जिससे बच्चे और परिवार दोनों के लिए बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिलता है। साथ में, ये दृष्टिकोण एक पोषण और समझदार वातावरण बनाने में योगदान करते हैं जो विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) को शैक्षणिक और व्यक्तिगत रूप से अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने के लिए सशक्त बनाता है।

5.2 उद्देश्य :–

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप सक्षम हो सकेंगे–

- फोकस समूह का अर्थ, प्रकार, एवं प्रकृति से अवगत हो सकेंगे।
- परिवार परामर्श के प्रकार, महत्व, एवं लाभ को समझ सकेंगे।
- फोकस समूह संचालन की प्रणाली एवं पारिवारिक चिकित्सा के चरणो का उपयोग कर सकेंगे।

5.3 फोकस समूह का अर्थ

विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) बच्चों के लिए एक फोकस समूह एक सावधानीपूर्वक आयोजित चर्चा है जो इन बच्चों के एक छोटे समूह, या कभी–कभी उनके माता–पिता, देखभाल करने वालों, या शिक्षकों को उनकी जरूरतों, अनुभवों और चुनौतियों से संबंधित विशिष्ट विषयों का पता लगाने के लिए एक साथ लाता है। इन चर्चाओं का उद्देश्य विस्तृत और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि एकत्र करना है जो दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर कार्यक्रमों, सेवाओं और नीतियों के विकास को सूचित कर सकती है। विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के लिए एक फोकस समूह का प्राथमिक लक्ष्य उनके अद्वितीय दृष्टिकोणों को समझना है। ये समूह इस बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं कि विभिन्न दिव्यांगता वाले बच्चे शैक्षिक वातावरण, संसाधनों तक पहुँच और सामाजिक संपर्क का अनुभव कैसे करते हैं? उनकी आवाज सुनकर, शिक्षक, नीति निर्माता और सेवा प्रदाता जैसे हितधारक मौजूदा सहायता प्रणालियों में अंतराल की पहचान कर सकते हैं और इन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियाँ विकसित कर सकते हैं। एक फोकस समूह में आम तौर पर 6 से 10 प्रतिभागी होते हैं और इसका नेतृत्व एक प्रशिक्षित सुविधाकर्ता करता है जो चर्चा का मार्गदर्शन करता है। सुविधाकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है; उन्हें एक आरामदायक और समावेशी वातावरण बनाना चाहिए जहाँ सभी प्रतिभागी अपने विचार और राय व्यक्त करने में सुरक्षित महसूस करें। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है कि बच्चे प्रश्नों को समझें और अपनी प्रतिक्रियाएँ बता सकें, चाहे मौखिक रूप से या सांकेतिक भाषा या सहायक तकनीक जैसे वैकल्पिक संचार विधियों के माध्यम से। कुछ मामलों में, माता–पिता या देखभाल करने वाले बच्चों के साथ भाग ले सकते हैं, खासकर अगर बच्चों को गंभीर संचार चुनौतियाँ हों। इससे सुविधाकर्ता को न केवल बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभवों से बल्कि उन लोगों के अवलोकन और ज्ञान से भी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिलती है जो उनकी दैनिक देखभाल करते हैं। इन फोकस समूहों में चर्चा किए गए विषय अनुसंधान या कार्यक्रम विकास के विशिष्ट लक्ष्यों के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। सामान्य विषयों में शैक्षिक सामग्री की पहुँच, वर्तमान शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता, सामाजिक समावेशन, सहायक तकनीक का उपयोग और सीखने और विकास पर भौतिक वातावरण का प्रभाव शामिल हो सकता है। इन विषयों की गहराई से खोज करके, सुविधाकर्ता इस बात की व्यापक समझ हासिल कर सकते हैं कि क्या अच्छा काम करता है और किसमें सुधार की आवश्यकता है। फोकस समूहों से एकत्रित जानकारी का उपयोग आमतौर पर डेटा–संचालित निर्णय लेने के लिए किया जाता है जो विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के जीवन को बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, इन चर्चाओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि से अधिक समावेशी पाठ्यक्रम का निर्माण, भौतिक स्थानों को अधिक सुलभ बनाने के लिए पुनः डिजाइन करना, या नई सहायता सेवाओं का विकास हो सकता है जो पहले पूरी न हुई जरूरतों को पूरा करती हैं। संक्षेप में, विशेष रूप से सक्षम बच्चों

(दिव्यांग) के लिए फोकस समूह अंतर्दृष्टि एकत्र करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हैं जो अधिक समावेशी और प्रभावी प्रथाओं को जन्म दे सकते हैं। बातचीत में इन बच्चों और उनके देखभाल करने वालों को सीधे शामिल करके, संगठन यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके कार्यक्रम और सेवाएँ वास्तव में उन लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को दर्शाती हैं जिनकी वे सेवा करना चाहते हैं।

फोकस समूह के प्रकार

विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के लिए फोकस समूहों को उनके उद्देश्यों, शामिल प्रतिभागियों और चर्चा के विषयों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार दिए गए हैं:

1. जरूरतों का आकलन फोकस समूह

उद्देश्य: विभिन्न संदर्भों (शैक्षिक, सामाजिक या मनोरंजक) में विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) की विशिष्ट जरूरतों, चुनौतियों और प्राथमिकताओं की पहचान करना।

प्रतिभागी: दिव्यांग बच्चे, देखभाल करने वाले, शिक्षक और कभी–कभी चिकित्सक।

विषय: संसाधनों तक पहुँच, शैक्षिक सुविधाएँ, भागीदारी में बाधाएँ और आवश्यक सहायता सेवाएँ।

2. कार्यक्रम विकास फोकस समूह

उद्देश्य: विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के लिए अनुकूलित कार्यक्रमों, सेवाओं या पाठ्यक्रमों के डिजाइन या सुधार पर इनपुट इकट्ठा करना।

प्रतिभागी: बच्चे, शिक्षक, कार्यक्रम निर्माणकर्ता और दिव्यांगता विशेषज्ञ।

विषय: पाठ्यक्रम डिजाइन, पाठ्येतर गतिविधियाँ, समावेशी शिक्षण रणनीतियाँ और अनुकूली प्रौद्योगिकियाँ।

3. सेवा मूल्यांकन फोकस समूह

उद्देश्य: विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) को प्रदान की जाने वाली मौजूदा सेवाओं या हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन करना।

प्रतिभागी: सेवा उपयोगकर्ता (बच्चे और देखभाल करने वाले), सेवा प्रदाता और मूल्यांकनकर्ता।

विषय: वर्तमान सेवाओं से संतुष्टि, हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता, सुधार के क्षेत्र और बच्चों के विकास पर प्रभाव।

4. सहकर्मी संपर्क फोकस समूह

उद्देश्य: सामाजिक गतिशीलता, सहकर्मी संपर्क और समूह सेटिंग में विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) को शामिल करने का पता लगाना।

प्रतिभागी: विशेष रूप से सक्षम बच्चे (दिव्यांग) और कभी–कभी दिव्यांगता रहित उनके साथी।

विषय: सामाजिक समावेश, बदमाशी, सहकर्मी समर्थन और सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ।

5. प्रौद्योगिकी और पहुँच फोकस समूह

उद्देश्य: विभिन्न वातावरणों (स्कूल, सार्वजनिक स्थान, आदि) में सहायक प्रौद्योगिकी और पहुँच सुविधाओं के उपयोग पर प्रतिक्रिया एकत्र करना।

प्रतिभागी: सहायक उपकरणों का उपयोग करने वाले बच्चे, प्रौद्योगिकी निर्माणकर्ता और पहुँच विशेषज्ञ।

विषय: सहायक प्रौद्योगिकियों की उपयोगिता, डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहुँच और सुधार के लिए सुझाव।

6. संक्रमण फोकस समूह

उद्देश्य: प्रमुख संक्रमण अवधियों के दौरान विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के अनुभवों और जरूरतों को समझना, जैसे कि बचपन के कार्यक्रमों से स्कूल में जाना, या स्कूल से वयस्कता में जाना।

प्रतिभागीः विभिन्न संक्रमण चरणों में बच्चे, देखभाल करने वाले, शिक्षक और संक्रमण विशेषज्ञ।

विषयः संक्रमण योजना, सहायता प्रणाली, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आत्म निर्भरता की तैयारी।

7. स्वास्थ्य और कल्याण फोकस समूह

उद्देश्यः विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों का पता लगाना।

प्रतिभागीः बच्चे, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर और देखभाल करने वाले।

विषयः स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, शारीरिक गतिविधि, पोषण और समग्र कल्याण।

8. नीति विकास फोकस समूह

उद्देश्यः विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) की शिक्षा, देखभाल और अधिकारों से संबंधित नीतिगत निर्णयों को सूचित करने वाली अंतर्दृष्टि एकत्र करना।

प्रतिभागीः बच्चे, वकालत समूह, नीति निर्माता और शिक्षक।

विषयः कानूनी अधिकार, शैक्षिक नीतियाँ, दिव्यांगता समायोजन और वकालत रणनीतियाँ।

9. माता–पिता और देखभाल करने वाले सहायता फोकस समूह

उद्देश्यः विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के माता–पिता और देखभाल करने वालों की चुनौतियों और जरूरतों को समझना।

प्रतिभागीः माता–पिता, देखभाल करने वाले, सहायता कर्मी और कभी–कभी बच्चे।

विषयः पालन–पोषण की चुनौतियाँ, सहायता नेटवर्क, संसाधनों तक पहुँच और देखभाल करने वाले की भलाई।

प्रत्येक प्रकार के फोकस समूह को विशिष्ट अंतर्दृष्टि एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है जो विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के जीवन में सार्थक सुधार ला सकते हैं। फोकस समूह के प्रकार का चुनाव शोध या कार्यक्रम संबंधी लक्ष्यों और शामिल बच्चों की विशिष्ट जरूरतों पर निर्भर करता है।

फोकस समूह की उपयोगिता

विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग बच्चों) को शामिल करने वाले फोकस समूह चर्चा (FGD) शैक्षिक और अनुसंधान संदर्भों में मूल्यवान उपकरण हैं। यहाँ बताया गया है कि वे क्यों उपयोगी हैंः

समावेशी डेटा संग्रहः फोकस समूह चर्चा एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जहाँ विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) की आवाज सीधे सुनी जा सकती है। यह समावेशिता सुनिश्चित करती है कि शैक्षिक नीतियों, कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों के विकास में उनके अद्वितीय दृष्टिकोण, जरूरतों और चुनौतियों पर विचार किया जाता है।

अनुभवों में अंतदृष्टिः ये चर्चाएँ विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के जीवित अनुभवों में अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकती हैं जिन्हें सर्वेक्षणों या व्यक्तिगत साक्षात्कारों के माध्यम से कैप्चर नहीं किया जा सकता है। उनकी दिन–प्रतिदिन की चुनौतियों, सफलताओं और जरूरतों को समझना अधिक प्रभावी और सहानुभूतिपूर्ण शैक्षिक प्रथाओं का मार्गदर्शन कर सकता है।

सहकर्मी बातचीतः एक समूह सेटिंग में, बच्चे अपने विचारों को साझा करने में अधिक सहज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वे ऐसे साथियों के बीच होते हैं जिनके समान अनुभव हो सकते हैं। यह अधिक खुले और ईमानदार संचार को प्रोत्साहित कर सकता है।

सामान्य मुद्दों की पहचान करनाः फोकस समूह चर्चा विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य मुद्दों की पहचान करने में मदद कर सकता है, जैसे कि पहुँच संबंधी चुनौतियाँ, सामाजिक एकीकरण या विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएँ। ये निष्कर्ष लक्षित हस्तक्षेपों को सूचित कर सकते हैं।

सशक्तिकरण और समावेशनः फोकस समूह चर्चा में भाग लेने से विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) को अपनी राय व्यक्त करने और अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों को प्रभावित करने के लिए एक मंच देकर सशक्त बनाया जा सकता है। यह उनकी एजेंसी और समावेशन की भावना में योगदान देता है।

हस्तक्षेपों पर प्रतिक्रियाः फोकस समूह चर्चा का उपयोग मौजूदा कार्यक्रमों या हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। विशेष रूप से सक्षम बच्चे (दिव्यांग) इस बारे में प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, जिससे सेवाओं में निरंतर सुधार होता है।

अनुकूलित शैक्षिक रणनीतियाँः फोकस समूह चर्चा से प्राप्त अंतर्दृष्टि शिक्षकों और नीति निर्माताओं को अधिक अनुकूलित शैक्षिक रणनीतियाँ विकसित करने में मदद कर सकती है जो विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) की विविध आवश्यकताओं को समायोजित करती हैं, जिससे बेहतर शैक्षिक परिणाम सुनिश्चित होते हैं।

कुल मिलाकर, विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) को शामिल करने वाले फोकस समूह चर्चा शैक्षिक समानता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं कि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को सार्थक तरीके से पूरा किया जाए।

5.4 फोकस समूह संचालन की प्रणाली

विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के लिए फोकस समूह आयोजित करने के लिए पहुँच, आराम और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ एक संरचित दृष्टिकोण दिया गया जो निम्नवत हैः–

1. उद्देश्य परिभाषित करना :-

फोकस समूह के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना (जैसे, जरूरतों को समझना, प्रतिक्रिया एकत्र करना, आदि)। प्रतिभागियों की विशिष्ट दिव्यांगताओं की पहचान करना (जैसे, दृश्य, श्रवण, संज्ञानात्मक हानि)।

2. प्रतिभागियों की भर्ती :-

माता–पिता/अभिभावकों से सहमति प्राप्त करना, उद्देश्य, प्रक्रिया और जानकारी का उपयोग कैसे किया जाएगा, यह समझाते हुए, विभिन्न क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले बच्चों के एक विविध समूह को सुनिश्चित करना। प्रतिभागियों को उम्र, दिव्यांगता के प्रकार और शोध विषय से प्रासंगिकता के आधार पर चुनना ।

3. तैयारी

किसी भी आवश्यक समायोजन की व्यवस्था करना (जैसे, सांकेतिक भाषा दुभाषिए, ब्रेल सामग्री, सुलभ स्थान)। सुलभ प्रारूपों का उपयोग करके प्रतिभागियों और उनके माता–पिता/अभिभावकों को फोकस समूह के बारे में पहले से जानकारी प्रदान करना। सुनिश्चित करना कि सुविधाकर्ता दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित हैं, उनकी संचार आवश्यकताओं और व्यवहार संबंधी बारीकियों को समझते हैं।

4. फोकस समूह गतिविधियों का डिजाइन

दिव्यांग बच्चों के लिए डिजाइन किए गए दृश्य एड्स, स्पर्शनीय सामग्री या डिजिटल टूल का उपयोग करना। सभी प्रतिभागियों द्वारा आसानी से समझे जाने वाले प्रश्नों और निर्देशों को अनुकूलित करें। ध्यान अवधि और थकान के स्तर को ध्यान में रखते हुए सत्रों को छोटा और आकर्षक रखना।

5. फोकस समूह का संचालन

एक स्वागत योग्य और गैर–निर्णयात्मक स्थान तैयार करना जहाँ बच्चे खुद को व्यक्त करने में सहज महसूस करें। प्रतिभागियों की जरूरतों और आराम के आधार पर चर्चा के प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए तैयार रहना। कुशल सुविधाकर्ता की नियुक्ति करना जो बच्चों को विभिन्न माध्यमों (जैसे, ड्राइंग, कहानी सुनाना)

के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने में मदद कर सकें।

6. डेटा संग्रह

गोपनीयता और सहमति सुनिश्चित करते हुए चर्चा को रिकॉर्ड करने के लिए उचित तरीकों का उपयोग करना (जैसे, कैप्शन के साथ वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग)। पर्यवेक्षकों को गैर–मौखिक संकेतों और बातचीत पर नोट्स लेने के लिए कहना।

7. पोस्ट–फोकस समूह

प्रतिभागियों और उनके माता–पिता/अभिभावकों को संक्षेपीकरण प्रदान करना तथा अगले चरणों की व्याख्या करना। भविष्य के फोकस समूहों को बेहतर बनाने की प्रक्रिया पर प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया एकत्र करना। बच्चों के अनूठे दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए डेटा का विश्लेषण करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी आवाज का सही ढंग से प्रतिनिधित्व किया गया है।

8. रिपोर्टिंग

निष्कर्षों को इस तरह से रिपोर्ट करना कि वे शामिल बच्चों के माता–पिता और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों के लिए सुलभ हों। फोकस समूह के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रदान करना, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के लिए शैक्षिक या सामाजिक वातावरण में सुधार करना है।

यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि फोकस समूह विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) की अनूठी जरूरतों के प्रति प्रभावी और सम्मानजनक दोनों हो, जिससे मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त हो।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

1) फोकस समूह से क्या तात्पर्य है?

.....

.....

2) फोकस समूह के प्रकार बताइए।

.....

.....

3) विशेष रूप से सक्षम बालकों (दिव्यांग) के लिए फोकस समूह की क्या उपयोगिता है?

.....

.....

4) फोकस समूह संचालन के चरण बताइए।

.....

.....

5.5 फोकस समूहों की भूमिका

फोकस समूह विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख भूमिकाएँ दी गई हैं जो वे निभाते हैं:–

1. आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझना

फोकस समूह विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) को वयस्कों के दृष्टिकोण पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय सीधे अपने विचार, अनुभव और प्राथमिकताएँ व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। प्राप्त अंतदृष्टि सेवाओं, उत्पादों और शैक्षिक दृष्टिकोणों को विकसित करने या परिष्कृत करने में मदद करती है जो इन बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सके।

2. कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों का मूल्यांकन

विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) को फोकस समूहों में शामिल करके, शिक्षक और सेवा प्रदाता मौजूदा कार्यक्रमों या हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन कर सकते हैं। ये समूह इस बात पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देते हैं कि क्या काम करना है और क्या नहीं, जिससे निरंतर सुधार की अनुमति मिलती है।

3. समावेशन और पहुँच को बढावा देना

फोकस समूह स्कूलों, मनोरंजक स्थानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न वातावरणों में समावेशन और पहुँच में बाधाओं की पहचान करने में मदद करते हैं। फीडबैक अधिक समावेशी और सुलभ प्रणालियों के डिजाइन का मार्गदर्शन करने में सहायता करता है, यह सुनिश्चित करता है कि नीति और नियोजन में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है।

4. संचार रणनीतियों को बढाना

विशेष रूप से सक्षम बच्चे (दिव्यांग) कैसे संवाद करते हैं ? कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं? उनकी जरूरतों के अनुरूप बेहतर संचार रणनीतियों को विकसित करने में मदद कर सकता है। फोकस समूह सांस्कृतिक और प्रासंगिक कारकों को प्रकट कर सकते हैं जो प्रभावित करते हैं कि ये बच्चे दुनिया को कैसे देखते हैं और उससे कैसे बातचीत करते हैं।

5. आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल का निर्माण

फोकस समूहों में भाग लेने से विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों पर स्वामित्व की भावना देकर सशक्त बनाया जा सकता है। ये समूह बच्चों को अपने साथियों के साथ बातचीत करने के लिए एक स्थान भी प्रदान करते हैं जो समान अनुभव साझा कर सकते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास बनाने में मदद मिलती है।

6. नीति और वकालत को आकार देना

फोकस समूहों से प्राप्त निष्कर्ष स्कूल, समुदाय या यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को सूचित कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि विधालयी और शैक्षिक सुधारों में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की जरूरतों को संबोधित किया जाता है। इन बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक अनुभवों और चुनौतियों को उजागर करके, फोकस समूह उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से वकालत के प्रयासों का समर्थन करता हैं।

7. अनुसंधान और विकास

फोकस समूह मूल्यवान गुणात्मक डेटा प्रदान करते हैं जो विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के अनुभवों और आवश्यकताओं में आगे के शोध का मार्गदर्शन कर सकते हैं। एकत्र किए गए विचार और प्रतिक्रिया इन बच्चों का समर्थन करने के लिए नए उपकरणों, प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों के विकास को प्रेरित कर सकते हैं।

8. परिवारों और देखभाल करने वालों का समर्थन करना

फोकस समूहों में माता–पिता और देखभाल करने वाले भी शामिल हो सकते हैं, जो परिवार की गतिशीलता और पूरे परिवार इकाई को बेहतर तरीके से समर्थन देने के तरीके के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप परिवारों के लिए बेहतर संसाधनों के निर्माण की ओर ले जा सकते हैं, जिससे उन्हें विशेष रूप से सक्षम बच्चे की परवरिश की चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है।

संक्षेप में, फोकस समूह विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) को समझने, उनका समर्थन करने और उनकी वकालत करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी जरूरतों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए।

5.6 संभावित और सीमाएं

विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) को शामिल करने वाले फोकस समूह चर्चा (FGD) अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और उनके अनुभवों, आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को समझने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं।

फोकस समूह चर्चा की संभावनाः

1. समृद्ध, गुणात्मक डेटाः फोकस समूह चर्चाएँ विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के सूक्ष्म अनुभवों, भावनाओं और विचारों को पकड़ सकता है, जो गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो सर्वेक्षण जैसे अन्य तरीकों से नहीं उभर सकता है।

2. सहकर्मी बातचीतः बच्चे अपने विचारों को समूह समायोजन में उन साथियों के साथ साझा करने में अधिक सहज महसूस कर सकते हैं जिनके पास समान अनुभव हैं। इससे अधिक खुला और ईमानदार संचार हो सकता है।

3. सशक्तिकरणः फोकस समूह चर्चाओं में भाग लेने से विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) को सशक्तीकरण की भावना मिल सकती है, यह जानकर कि उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों को आकार देने में महत्व दिया जा रहा है।

4. सामाजिक गतिशीलता की खोजः फोकस समूह चर्चाएँ यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि विशेष रूप से सक्षम बच्चे (दिव्यांग) एक–दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, सामाजिक गतिशीलता, सहकर्मी समर्थन और समूह व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

5. साझा चुनौतियों की पहचान करनाः फोकस समूह चर्चाएँ विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) द्वारा सामना की जाने वाली आम चुनौतियों और जरूरतों को उजागर कर सकते हैं, जो नीति–निर्माण, कार्यक्रम विकास और शैक्षिक रणनीतियों को तैयार करने में सहायक हो सकता है।

फोकस समूह चर्चाओं की सीमाएँः

1. **संचार बाधाएँः** कुछ विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) को मौखिक संचार में कठिनाइयाँ हो सकती हैं या उन्हें वैकल्पिक संचार विधियों की आवश्यकता हो सकती है, जिससे उचित समायोजन के बिना फोकस समूह चर्चाएँ में भागीदारी चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
2. **समूह की गतिशीलताः** प्रमुख आवाजें शांत प्रतिभागियों को दबा सकती हैं, जिससे चर्चा में असंतुलन हो सकता है। कुछ बच्चे समूह समायोजन में बोलने से भयभीत या असहज महसूस कर सकते हैं।
3. **भावनात्मक संवेदनशीलताः** व्यक्तिगत अनुभवों पर चर्चा करना कुछ बच्चों के लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर चर्चा उनकी दिव्यांगता से संबंधित संवेदनशील विषयों को छूती है।
4. **सुविधा की चुनौतियाँः** सुविधाकर्ता को समूह की गतिशीलता को प्रबंधित करने, समावेशिता सुनिश्चित

करने और सभी प्रतिभागियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त संचार रणनीतियों का उपयोग करने में अत्यधिक कुशल होना चाहिए।

5. **प्रतिनिधित्वः** फोकस समूह चर्चाएँ हमेशा विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के बीच अनुभवों की पूरी विविधता को नहीं दर्शा सकते हैं। व्यक्त किए गए विचार सभी दिव्यांग बच्चों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, खासकर अगर समूह छोटा या समरूप है।

6. **तार्किक मुद्देः** विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के लिए फोकस समूह चर्चाएँ का आयोजन तार्किक रूप से जटिल हो सकता है, जिसके लिए सुलभ स्थानों, परिवहन और संभवतः देखभाल करने वालों या सहायक कर्मचारियों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है।

उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि फोकस समूह चर्चाएँ विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के अनुभवों को समझने के लिए एक मूल्यवान तरीका हो सकती हैं, उन्हें इस आबादी की अनूठी जरूरतों और चुनौतियों को संबोधित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और निष्पादित किया जाना चाहिए। जब सोच–समझकर रणनीतियों को आयोजित किया जाता है, तो फोकस समूह चर्चाएँ समृद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं जो अधिक समावेशी और उत्तरदायी शैक्षिक, सामाजिक और नीति हस्तक्षेपों में योगदान करते हैं।

5.7 फोकस ग्रुप कार्यप्रणाली की प्रकृति

विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) पर लागू होने वाले फोकस समूह कार्यप्रणाली की प्रकृति को यह सुनिश्चित करने के लिए एक विचारशील और अनुकूली दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है कि चर्चा सुलभ, समावेशी और प्रतिभागियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। यहाँ विचार करने के लिए मुख्य पहलू हैंः

1. प्रतिभागी चयन और संरचनाः

शोध लक्ष्यों के आधार पर, समूह एक आरामदायक वातावरण बनाने के लिए समरूप (जैसे, एक ही प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चे) हो सकते हैं, या विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए विविध हो सकते हैं। प्रतिभागियों को समान आयु सीमा और विकासात्मक अवस्थाओं के अनुसार समूहीकृत किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चर्चा आयु–उपयुक्त है और सभी बच्चे सार्थक रूप से भाग ले सकते हैं। प्रत्येक बच्चे की संवाद करने, समझने और समूह चर्चा में भाग लेने की क्षमता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इसमें संज्ञानात्मक और भावनात्मक तत्परता के लिए जाँच शामिल हो सकती है।

2. सुविधा तकनीकः

सुविधाकर्ताओं को विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के साथ काम करने में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। उन्हें अनुकूली संचार विधियों, जैसे कि सांकेतिक भाषा, संवर्द्धक और वैकल्पिक संचार (AAC) उपकरण, या दृश्य सहायता का उपयोग करने में कुशल होना चाहिए। एक सुरक्षित, गैर–निर्णयात्मक वातावरण बनाना आवश्यक है। सुविधाकर्ताओं को प्रतिभागियों के साथ विश्वास का निर्माण करना चाहिए, जिससे उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति मिले। सुविधाकर्ताओं को धैर्यवान और लचीला होना चाहिए, प्रतिक्रियाओं के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए और प्रतिभागियों की जरूरतों के आधार पर चर्चा के प्रवाह को अनुकूलित करना चाहिए।

3. संचार विधियाँः

दिव्यांगता की प्रकृति के आधार पर, विभिन्न संचार सहायताएँ और रणनीतियाँ आवश्यक हो सकती हैं, जैसे कि चित्र बोर्ड, संचार ऐप वाले टैबलेट, या दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल सामग्री। सरल, स्पष्ट भाषा का उपयोग करना और जटिल विचारों को समझने योग्य भागों में तोड़ना प्रतिभागियों को चर्चा का अनुसरण करने और उसमें शामिल होने में मदद कर सकता है। चेहरे के भाव या हाव–भाव जैसे गैर–मौखिक संकेतों का अवलोकन करना महत्वपूर्ण है, खासकर उन बच्चों के लिए जो मौखिक संचार में संघर्ष कर सकते हैं।

4. समूह की गतिशीलता और सहभागिताः

छोटे समूह (3–6 प्रतिभागी) अक्सर अधिक प्रबंधनीय होते हैं और प्रत्येक बच्चे को खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अधिक समय देते हैं। कुछ मामलों में, सहकर्मी सहायता भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकती है। ऐसे बच्चों को जोड़ना या समूह बनाना जिनकी पहले से ही दोस्ती है या जो एक–दूसरे का समर्थन करते हैं, एक अधिक आरामदायक चर्चा का माहौल बना सकते हैं। सुविधाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए चर्चा को सक्रिय रूप से प्रबंधित करना चाहिए कि सभी की समस्याएं सुनी जाएँ, और अधिक मुखर प्रतिभागियों को बातचीत पर हावी होने से रोका जाए।

5. नैतिक विचारः

बच्चों (जितना संभव हो) और उनके अभिभावकों दोनों से सूचित सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। सहमति प्रक्रिया को बच्चों की समझ के अनुसार बनाया जाना चाहिए, जिसमें उम्र के अनुसार उपयुक्त भाषा और स्पष्टीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों की गोपनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बच्चों और उनके अभिभावकों को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि उनके योगदान को गुमनाम रखा जाएगा और सम्मानपूर्वक उपयोग किया जाएगा। देखभाल करने वालों या सहायक कर्मचारियों की उपस्थिति आवश्यक हो सकती है, खासकर यदि संवेदनशील विषयों पर चर्चा की जाती है। सुविधाकर्ताओं को भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए और संकट को प्रबंधित करने की योजना बनानी चाहिए।

6. डेटा संग्रह और विश्लेषणः

मौखिक प्रतिक्रियाओं के अलावा, सुविधाकर्ता प्रतिभागियों की क्षमताओं के आधार पर चित्र, लिखित प्रतिक्रियाओं या भूमिका निभाने वाली गतिविधियों के माध्यम से डेटा एकत्र कर सकते हैं। डेटा विश्लेषण प्रक्रिया पुनरावृत्तीय होनी चाहिए, जिसमें इस बात पर निरंतर चिंतन हो कि बच्चों की क्षमताएँ डेटा व्याख्या को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। शोधकर्ताओं को मान्यताओं के बारे में सतर्क रहना चाहिए और प्रत्येक बच्चे की प्रतिक्रियाओं के संदर्भ पर विचार करना चाहिए।

7. व्यावहारिक और तार्किक विचारः

स्थान पूरी तरह से सुलभ होना चाहिए, जिसमें गतिशीलता सहायता, संवेदी आवश्यकताओं और प्रतिभागियों की किसी भी अन्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए समायोजन शामिल हो। सत्र ऐसे समय पर निर्धारित किए जाने चाहिए जो बच्चों और उनके परिवारों के लिए सुविधाजनक हों, जिसमें स्कूल के घंटे और चिकित्सा नियुक्तियों जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। सत्र की अवधि बच्चों के ध्यान अवधि और आराम के स्तर के अनुसार समायोजित की जानी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो लगातार ब्रेक के साथ की जानी चाहिए।

विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के लिए फोकस समूह पद्धति अत्यधिक अनुकूलनीय होनी चाहिए, जिसमें प्रतिभागियों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। उनकी संचार शैलियों के लिए दृष्टिकोण को ढालकर, एक सहायक वातावरण सुनिश्चित करके, और नैतिक विचारों को संबोधित करके, शोधकर्ता शामिल बच्चों की गरिमा और आराम का सम्मान करते हुए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

5.8 परिवार परामर्श की अवधारणा

विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के लिए पारिवारिक परामर्श एक व्यापक और सहानुभूतिपूर्ण चिकित्सीय दृष्टिकोण है जो न केवल दिव्यांग बच्चे को बल्कि पूरे परिवार को भी सहायता प्रदान करना चाहता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक सदस्य की भलाई आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। परामर्श का यह रूप समझता है कि विशेष रूप से सक्षम बच्चे (दिव्यांग) की परवरिश भावनात्मक तनाव, वित्तीय तनाव और सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत गतिशीलता को मार्गदर्शन करने की जटिलताओं जैसी अनूठी चुनौतियाँ ला सकती है। पूरे परिवार पर ध्यान केंद्रित करके, परामर्श का उद्देश्य एक सहायक और पोषण करने वाला वातावरण विकसित करना है जहाँ सभी सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, लचीलापन विकसित कर सकें और संवाद करने और जुड़ने के प्रभावी तरीके खोज सकें। यह परिवारों को बच्चे की स्थिति से उत्पन्न होने वाले तनाव और दुःख

से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण और रणनीतियाँ प्रदान करता है, जिससे उन्हें स्वीकृति और सकारात्मक अनुकूलन की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। परामर्श सत्रों में अक्सर परिवार को बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं और क्षमता के बारे में शिक्षित करना, विकासात्मक मील के पत्थरों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करना और दीर्घकालिक देखभाल और वित्तीय सुरक्षा सहित भविष्य की योजना बनाने में सहायता करना शामिल होता है। इसके अलावा, यह भाई–बहनों की अनूठी जरूरतों को संबोधित करता है, जो उपेक्षित या भ्रमित महसूस कर सकते हैं, उन्हें अपने भाई–बहन की स्थिति को समझने और खुले, ईमानदार संचार को प्रोत्साहित करने में मदद करके। यह दृष्टिकोण व्यावहारिक भी है, जो अनुरूप अभिभावक रणनीतियों, व्यवहार प्रबंधन तकनीकों की पेशकश करता है, और परिवारों को बाहरी संसाधनों जैसे कि सहायता समूहों, शैक्षिक सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है। यह समग्र और समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सभी परिवार के सदस्यों की बात सुनी जाए, उनका समर्थन किया जाए और उन्हें विशेष रूप से सक्षम बच्चे (दिव्यांग) की परवरिश की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाए, जिससे अंततः एक मजबूत, अधिक एकजुट परिवार इकाई बनेगी जहाँ बच्चा और उनका परिवार एक साथ पनप सकें।

5.9 फैमिली थेरेपी और फैमिली काउंसलिंग में क्या अंतर है?

विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के लिए पारिवारिक परामर्श और पारिवारिक चिकित्सा में समानताएं हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य दिव्यांग बच्चे की परवरिश से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में परिवार इकाई का समर्थन करना है। हालाँकि, वे अपने दायरे, दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भिन्न हैं:

पारिवारिक परामर्श	पारिवारिक चिकित्सा
फोकस: पारिवारिक परामर्श अधिक अल्पकालिक और समस्या–केंद्रित होता है। यह अक्सर उन विशिष्ट मुद्दों या चिंताओं को संबोधित करता है जिनका परिवार सामना कर रहा है, जैसे संचार संबंधी कठिनाइयाँ, तनाव प्रबंधन, या बच्चे की दिव्यांगता के अनुकूल होना।	**फोकस:** पारिवारिक चिकित्सा आम तौर पर अधिक गहन और दीर्घकालिक होती है, जो परिवार के भीतर अंतर्निहित पैटर्न और गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करती है जो चल रहे मुद्दों में योगदान दे सकती है। यह अक्सर परिवार की बातचीत और कल्याण को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारकों की खोज करती है।
दृष्टिकोण: परामर्श में आम तौर पर परिवार को तत्काल चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन, सलाह और समर्थन शामिल होता है। परामर्शदाता परिवार की गतिशीलता में सुधार, परिवार को बच्चे की स्थिति के बारे में शिक्षित करने और उन्हें संसाधनों से जोड़ने के लिए व्यावहारिक रणनीतियाँ प्रदान कर सकता है। लक्ष्य: पारिवारिक परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य वर्तमान कठिनाइयों का प्रबंधन करने, संचार को बढ़ाने और एक सहायक पारिवारिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सहायता और उपकरण प्रदान करना है।	**दृष्टिकोण:** चिकित्सा में गहरी जड़ें वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न चिकित्सीय तकनीकों (जैसे संज्ञानात्मक–व्यवहार चिकित्सा, प्रणालीगत चिकित्सा, या मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा) का उपयोग करते हुए अधिक संरचित और अक्सर नैदानिक दृष्टिकोण शामिल होता है। इसका उद्देश्य परिवार के व्यवहार, संचार और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के पैटर्न में बदलाव लाना है।

तीव्रताः परामर्श आमतौर पर कम गहन होता है और इसमें परिवार की जरूरतों और लक्ष्यों के आधार पर कम सत्र शामिल हो सकते हैं। इसका उपयोग अक्सर गहरी मनोवैज्ञानिक चिंताओं के बजाय विशिष्ट, परिस्थितिजन्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जाता है।	**तीव्रताः** पारिवारिक चिकित्सा आम तौर पर अधिक गहन होती है और इसमें उपचार की लंबी अवधि शामिल हो सकती है। चिकित्सीय प्रक्रिया में शामिल होने के लिए परिवार की ओर से गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका उद्देश्य अधिक जटिल और पुराने मुद्दों को संबोधित करना होता है।
लक्ष्यः पारिवारिक परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य वर्तमान कठिनाइयों का प्रबंधन करने, संचार को बढ़ाने और एक सहायक पारिवारिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सहायता और उपकरण प्रदान करना है।	**लक्ष्यः** पारिवारिक चिकित्साके लक्ष्य व्यापक हैं, जिनका उद्देश्य न केवल तत्काल मुद्दों का प्रबंधन करना है बल्कि परिवार के कामकाज में स्थायी बदलाव हासिल करना है। यह परिवार के सदस्यों के समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और मौजूद किसी भी मनोवैज्ञानिक मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास करता है।

संक्षेप में, पारिवारिक परामर्श आम तौर पर विशिष्ट मुद्दों के लिए तत्काल सहायता और व्यावहारिक समाधान प्रदान करने पर अधिक केंद्रित होता है, जबकि पारिवारिक चिकित्सा अंतर्निहित गतिशीलता में गहराई से जाती है और परिवार के कामकाज में अधिक गहन, दीर्घकालिक परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखती है। दोनों दृष्टिकोण विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के परिवारों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जो उनकी जरूरतों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों की प्रकृति पर निर्भर करता है।

5.10 परिवार परामर्श के प्रकार

विशेष रूप से सक्षम बच्चे (दिव्यांग) विभिन्न रूप ले सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक परिवार और बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार के पारिवारिक परामर्श दिए गए हैं जो विशेष रूप से लाभकारी हो सकते हैं:

1. सहायक परामर्श

परिवार के सदस्यों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है क्योंकि वे विशेष रूप से सक्षम बच्चे (दिव्यांग) की परवरिश की चुनौतियों का सामना करते हैं। परिवार के सदस्यों को तनाव, चिंता और भावनात्मक कठिनाइयों से निपटने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें अक्सर परिवार की भावनाओं, भय और चिंताओं के बारे में चर्चा शामिल होती है। खुले संचार और भावनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं, परिवार के सदस्यों को अपने अनुभव साझा करने और मान्यता प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं।

2. शैक्षिक परामश

परिवार को बच्चे की विशिष्ट दिव्यांगता, दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव और प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों के बारे में शिक्षित करना। बच्चे की स्थिति, विकास और रोग का निदान की प्रकृति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए घर के माहौल और अभिभावक प्रथाओं को कैसे अनुकूलित किया जाए, इस पर मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इनमें कार्यशालाएँ, सूचनात्मक सत्र या विशेषज्ञों के साथ आमने–सामने की चर्चाएँ शामिल हो सकती हैं जो बच्चे की स्थिति और जरूरतों के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं।

3. व्यवहार परामर्श

परिवारों को चुनौतीपूर्ण व्यवहारों को प्रबंधित करने और संशोधित करने में मदद करता है जो बच्चे की दिव्यांगता के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ व्यवहारों के ट्रिगर्स को समझने और उन्हें संबोधित करने के लिए

रणनीतियाँ विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य सुसंगत व्यवहार प्रबंधन योजनाएँ बनाना है जिसका पालन सभी परिवार के सदस्य कर सकें। सकारात्मक सुदृढीकरण, व्यवहार संशोधन योजनाएँ, और वांछित व्यवहारों को प्रोत्साहित करने और विघटनकारी व्यवहारों को कम करने के लिए स्पष्ट अपेक्षाएँ और सीमाएँ निर्धारित करने जैसी तकनीकों का उपयोग करनां।

4. संकट परामर्श

तीव्र तनाव या संकट के समय, जैसे कि नया निदान, बच्चे की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव, या पारिवारिक आपातकाल के दौरान तत्काल सहायता प्रदान करता है। संकट के दौरान परिवार को स्थिर करने, उन्हें तीव्र भावनाओं को प्रबंधित करने, तत्काल निर्णय लेने और तत्काल चुनौतियों से निपटने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें अल्पकालिक, समाधान–केंद्रित हस्तक्षेप शामिल हैं, जो परिवार को नियंत्रण की भावना को पुनः प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए एक योजना विकसित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

5. भाई–बहन परामर्श

विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के भाई–बहनों की जरूरतों और चिंताओं को संबोधित करता है। भाई–बहनों को उनके भाई या बहन की स्थिति को समझने, ईष्या, अपराध बोध या उपेक्षा की भावनाओं से निपटने और परिवार की गतिशीलता को समायोजित करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इनमें व्यक्तिगत परामर्श सत्र, भाई–बहन सहायता समूह या सहानुभूति, समझ और स्वस्थ भाई–बहन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं।

6. वैवाहिक या युगल परामश

विशेष रूप से दिव्यांग बच्चे की परवरिश की चुनौतियों से निपटने के दौरान माता–पिता को एक स्वस्थ संबंध बनाए रखने में सहायता करता है। संचार में सुधार, संघर्षों को हल करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि दोनों साथी अपने पालन–पोषण की भूमिकाओं में समर्थित और समझे जाने का अनुभव करें। इसमें संयुक्त परामर्श सत्र शामिल किया जाता है, जहाँ जोड़े अपने रिश्ते को मजबूत बनाने, एक साथ तनाव का प्रबंधन करने और पालन–पोषण के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण बनाने पर काम करते हैं।

7. समूह परामश

साझा समर्थन और सीखने के लिए समान चुनौतियों का सामना कर रहे कई परिवारों को एक साथ लाना। समर्थन के एक समुदाय के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ परिवार अनुभव साझा कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं और एक–दूसरे से सीख सकते हैं। यह परिवारों को अपने अनुभवों में कम अलग–थलग महसूस करने में भी मदद करता है। इसमें परामर्शदाता, सहकर्मी सहायता समूहों और कार्यशालाओं के नेतृत्व में समूह चर्चाएँ शामिल हैं, जो विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य मुद्दों को संबोधित करती हैं।

8. भविष्य की योजना परामर्श

विशेष रूप से दिव्यांग बच्चे की दीर्घकालिक देखभाल और कल्याण के लिए योजना बनाने में परिवारों की सहायता करता है, खासकर जब बच्चा वयस्कता में प्रवेश करता है। बच्चे के भविष्य के लिए कानूनी, वित्तीय और व्यावहारिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें संरक्षकता, वित्तीय योजना और रहने की व्यवस्था शामिल है। इसमें कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श, वयस्क सेवाओं में संक्रमण के बारे में चर्चा, और बच्चे की स्वतंत्रता और दीर्घकालिक देखभाल आवश्यकताओं के लिए योजना बनाना शामिल हो सकता है।

9. सांस्कृतिक–संवेदनशील परामर्श

दिव्यांगता के प्रति परिवार के अनुभव और दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक, धार्मिक या जातीय कारकों को पहचानना और संबोधित करना। परामर्श प्रक्रिया में परिवार के सांस्कृतिक मूल्यों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि हस्तक्षेप उनके सांस्कृतिक संदर्भ के लिए सम्मानजनक और प्रासंगिक हैं। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त संचार रणनीतियों का उपयोग करता है, और परिवार की जरूरतों

का समर्थन करने के लिए समुदाय या धार्मिक नेताओं के साथ सहयोग शामिल कर सकता है।

परिवार परामर्श के इन विभिन्न प्रकारों का उपयोग व्यक्तिगत रूप से या संयोजन में किया जा सकता है, जो परिवार और विशेष रूप से सक्षम बच्चे (दिव्यांग) की विशिष्ट जरूरतों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्रकार के परामर्श का उद्देश्य अनुकूलित सहायता प्रदान करना है जो परिवार को पोषण और एकजुट पारिवारिक वातावरण को बढ़ावा देते हुए विशेष जरूरतों वाले बच्चे की परवरिश की जटिलताओं को नेविगेट करने में मदद करता है।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

5) फोकस समूह की क्या भूमिका है?

.....

.....

6) विशेष रूप से सक्षम बालकों (दिव्यांग) के लिए फोकस समूह चर्चा की प्रकृति क्या है?

.....

.....

7) परिवारिक परामर्श व परिवारिक चिकित्सा में दो अन्तर बताइए।

.....

.....

8) परिवार परामर्श के प्रकार बताइए।

.....

.....

5.11 पारिवारिक चिकित्सा के चार चरण

विशेष रूप से सक्षम बच्चों के (दिव्यांग) लिए पारिवारिक चिकित्सा आमतौर पर परिवार और बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए डिजाइन की गई एक संरचित प्रक्रिया का पालन करती है। इस चिकित्सीय दृष्टिकोण में शामिल चार प्रमुख चरण इस प्रकार हैंः–

1. मूल्यांकन और समझः

पहला चरण परिवार की गतिशीलता, बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का गहन मूल्यांकन करना है। चिकित्सक बच्चे की दिव्यांगता, पारिवारिक इतिहास, संचार पैटर्न और भावनात्मक माहौल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से और एक साथ साक्षात्कार करता है। इस चरण में मेडिकल रिकॉर्ड, शैक्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा करना भी शामिल हो सकता है। चिकित्सक को परिवार की ताकत, चुनौतियों और लक्ष्यों की व्यापक समझ मिलती है, जो चिकित्सा प्रक्रिया के लिए आधार के रूप में काम करती है।

2. लक्ष्य निर्धारण और उपचार योजनाः

मूल्यांकन के आधार पर, चिकित्सक और परिवार मिलकर चिकित्सा प्रक्रिया के लिए विशिष्ट, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्यों में संचार में सुधार, तनाव को कम करना, व्यवहार संबंधी मुद्दों का प्रबंधन करना या पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाना शामिल हो सकता है। चिकित्सक एक अनुकूलित उपचार योजना विकसित करता है, जिसमें उपयोग की जाने वाली रणनीतियों और हस्तक्षेपों, प्रत्येक परिवार के सदस्य की भूमिकाओं और प्रगति के लिए अपेक्षित समय–सीमा का विवरण होता है। एक स्पष्ट, संरचित योजना जो परिवार की जरूरतों और अपेक्षाओं के साथ संरेखित होती है, जो चिकित्सा सत्रों के लिए दिशा प्रदान करती है।

3. हस्तक्षेप और कार्यान्वयनः

चिकित्सक उपचार योजना को लागू करता है, विभिन्न चिकित्सीय हस्तक्षेपों और रणनीतियों के माध्यम से परिवार का मार्गदर्शन करता है। इस चरण में नियमित चिकित्सा सत्र शामिल हैं, जहाँ चिकित्सक परिवार के साथ संचार कौशल, संघर्ष समाधान, व्यवहार प्रबंधन और भावनात्मक विनियमन पर काम करता है। विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए भूमिका निभाने, मॉडलिंग और संज्ञानात्मक–व्यवहार रणनीतियों जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। चिकित्सक बच्चे की दिव्यांगता के बारे में शिक्षा भी प्रदान करता है और परिवार को मुकाबला करने के तंत्र विकसित करने में मदद करता है। परिवार अपने दैनिक जीवन में नए कौशल और रणनीतियों को लागू करना शुरू कर देता है, जिससे परिवार के कामकाज और बच्चे की भलाई में धीरे–धीरे सुधार होता है।

4. मूल्यांकन और समायोजनः

चिकित्सा लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति का आकलन करना और उपचार योजना में कोई भी आवश्यक समायोजन करना। चिकित्सक नियमित रूप से परिवार से फीडबैक, अवलोकन और आकलन के माध्यम से हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। यदि कुछ रणनीतियाँ वांछित परिणाम नहीं दे रही हैं, तो चिकित्सक दृष्टिकोण को समायोजित कर सकता है, नई तकनीकें पेश कर सकता है या लक्ष्यों को परिष्कृत कर सकता है। चिकित्सा प्रक्रिया में निरंतर सुधार और अनुकूलन, यह सुनिश्चित करना कि परिवार की विकसित होती जरूरतें पूरी हों और वे अधिक सामंजस्यपूर्ण और सहायक गतिशीलता की ओर बढ़ रहे हों।

ये चार चरण–मूल्यांकन और समझ, लक्ष्य निर्धारण और उपचार योजना, हस्तक्षेप और कार्यान्वयन, और मूल्यांकन और समायोजन–विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के लिए पारिवारिक चिकित्सा की सफलता के लिए आवश्यक हैं। इस संरचित दृष्टिकोण का पालन करके, चिकित्सक परिवारों को अपने बच्चे के विकास का समर्थन करने और उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक कौशल और लचीलापन विकसित करने में मदद कर सकते हैं।

5.12 आघात सहायता के लिए तीन बुनियादी कथा अभ्यास लागू किए जा सकते हैं

कथात्मक अभ्यास विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के लिए आघात समर्थन में प्रभावी हो सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने अनुभवों को समझने और समझने में मदद मिलती है। यहाँ तीन बुनियादी कथात्मक अभ्यास दिए गए हैं जिन्हें विभिन्न दिव्यांगताओं वाले बच्चों की सहायता के लिए अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. कहानी सुनाना और फिर से लिखनाः

बच्चों को उनके अनुभवों को फिर से परिभाषित करने और अपने आघात पर नियंत्रण की भावना प्राप्त करने में मदद करना। बच्चे को अपने अनुभवों के बारे में एक कहानी बनाने के लिए कहें, या तो ड्राइंग, लेखन या मौखिक कहानी के माध्यम से उन्हें अपने जीवन और अपनी दिव्यांगता के तत्वों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें। एक बार प्रारंभिक कहानी पूरी हो जाने के बाद, बच्चे के साथ मिलकर कहानी को फिर से लिखें या अनुकूलित करें, परिणाम बदलने या सकारात्मक तत्वों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे बच्चे को विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाने और अधिक आशावादी या सशक्त कथा की कल्पना करने में मदद मिल सकती है। यह अभ्यास बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, दर्दनाक अनुभवों को समझने और अपनी कथाओं को अधिक सकारात्मक या सशक्त तरीके से फिर से परिभाषित करने में मदद करता है।

2. जीवन समय रेखाः

बच्चों को आघात सहित अपने जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं को व्यवस्थित करने और समझने में मदद करना, और अपने अनुभवों को एक बड़ी कहानी के हिस्से के रूप में देखना। बच्चे के साथ एक समय रेखा बनाएँ जिसमें उनके जीवन की प्रमुख घटनाएँ शामिल हों, जैसे मील के पत्थर, चुनौतियाँ और सकारात्मक अनुभव। विभिन्न घटनाओं को दर्शाने के लिए चित्र, रेखाचित्र या स्टिकर जैसे दृश्य साधनों का उपयोग करें। चर्चा करें कि इन घटनाओं ने उनकी पहचान और अनुभवों को कैसे आकार दिया है ? इस अभ्यास को बच्चे की क्षमताओं के आधार पर विभिन्न संचार साधनों के साथ अनुकूलित किया जा सकता है। यह अभ्यास बच्चों को उनकी जीवन कहानी को समझने, उनके लचीलेपन को पहचानने और उनके दर्दनाक अनुभवों को एक सुसंगत कथा में एकीकृत करने का एक संरचित तरीका प्रदान करता है।

3. भूमिका निभाना और परिप्रेक्ष्य लेनाः

बच्चों को विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से आघात और उनकी दिव्यांगता के बारे में अपनी भावनाओं का पता लगाने और व्यक्त करने में मदद करना। बच्चे को उनके अनुभवों से संबंधित विभिन्न भूमिकाएँ निभाने के लिए भूमिका निभाने वाली गतिविधियों का उपयोग करें, जैसे कि किसी कहानी में एक चरित्र या उनके अपने जीवन के भीतर एक अलग दृष्टिकोण। उदाहरण के लिए, बच्चा एक अलग उम्र में खुद के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में या समान चुनौतियों का सामना करने वाले काल्पनिक चरित्र के रूप में भूमिका निभा सकता है। बच्चे को इन विभिन्न दृष्टिकोणों से भावनाओं, विचारों और समाधानों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह अभ्यास बच्चों को अपनी भावनाओं का पता लगाने, खुद के लिए और दूसरों के लिए सहानुभूति हासिल करने और अपने अनुभवों से निपटने के नए तरीके विकसित करने में मदद करता है।

ये कथात्मक अभ्यास – कहानी सुनाना और फिर से लिखना, जीवन का समय और भूमिका निभाना – विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) की क्षमताओं और जरूरतों के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है। वे बच्चों को आघात को संसाधित करने, परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने और सहायक और सशक्त तरीके से लचीलापन बनाने के लिए रचनात्मक और संरचित तरीके प्रदान करते हैं।

5.13 परिवार परामर्श का महत्व

विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के लिए पारिवारिक परामर्श कई कारणों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चे और उनके परिवार दोनों के सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करता है। इसके महत्व को उजागर करने वाले मुख्य पहलू इस प्रकार हैंः

1.बेहतर पारिवारिक सहायताः

पारिवारिक परामर्श परिवार के सदस्यों को भावनात्मक सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे (दिव्यांग) की परवरिश के तनाव और भावनात्मक बोझ से निपटने में मदद मिलती है। यह सहायता लचीलापन बढ़ाती है और परिवारों को उनके सामने आने वाली दैनिक चुनौतियों का प्रबंधन करने में मदद करती है। परामर्श सदस्यों के बीच संचार और समझ को बढ़ाकर पारिवारिक सामंजस्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे की जरूरतों और देखभाल के बारे में सभी एकमत हों, संघर्षों को कम करें और अधिक सहायक वातावरण को बढ़ावा दें।

2. प्रभावी मुकाबला रणनीतियाँः

परिवार अक्सर उच्च स्तर के तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं। परामर्श उन्हें तनाव को प्रबंधित करने, संघर्षों को हल करने और बच्चे की स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों से लैस करता है। चुनौतीपूर्ण व्यवहारों से जूझ रहे परिवारों के लिए, परामर्श प्रभावी व्यवहार प्रबंधन के लिए तकनीक और उपकरण प्रदान करता है, जिससे घर में अधिक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने में मदद मिलती है।

3. बच्चे की जरूरतों की बेहतर समझः

परामर्श बच्चे की दिव्यांगता के बारे में शिक्षा प्रदान करता है, परिवार के सदस्यों को स्थिति, उसके प्रभाव और बच्चे के विकास और कल्याण का समर्थन करने के सर्वोत्तम तरीकों को समझने में मदद करता है। यह परिवारों को अपने बच्चे की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने वाली अनुकूलित रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने में मदद करता है, जिससे बच्चे के जीवन की गुणवत्ता और पारिवारिक गतिविधियों में एकीकरण में वृद्धि होती है।

4. भाई–बहनों के लिए समर्थनः

विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के भाई–बहन उपेक्षा, ईष्या या भ्रम की भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। परामर्श भाई–बहनों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और समर्थन प्राप्त करने के लिए एक स्थान प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपने भाई–बहन की स्थिति को समझने और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

5. मजबूत माता–पिता के रिश्तेः

परामर्श से दंपत्तियों को संचार में सुधार, संघर्षों को संबोधित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि दोनों साथी माता–पिता के निर्णयों में समर्थित और शामिल महसूस करें।

6. भविष्य की योजना और मार्गदर्शनः

परामर्श परिवारों को भविष्य की योजना बनाने में सहायता करता है, जिसमें स्कूल, किशोरावस्था और वयस्कता में संक्रमण शामिल है। यह संरक्षकता, वित्तीय योजना और दीर्घकालिक देखभाल से संबंधित चिंताओं को दूर करने में भी मदद करता है। परामर्शदाता अक्सर परिवारों को अतिरिक्त संसाधनों से जोड़ते हैं, जैसे सहायता समूह, शैक्षिक सेवाएँ और सामुदायिक कार्यक्रम, जो आगे सहायता और सहायता प्रदान कर सकते हैं।

7. समग्र पारिवारिक कल्याणः

व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों जरूरतों को संबोधित करके, पारिवारिक परामर्श परिवार के समग्र कामकाज और कल्याण को बढ़ाता है। यह शामिल सभी लोगों के लिए अधिक संतुलित और सहायक वातावरण बनाता है।

विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) और उनके परिवारों के लिए पारिवारिक परामर्श आवश्यक है क्योंकि यह भावनात्मक समर्थन, व्यावहारिक रणनीतियाँ और शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है जो उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करते हैं। संचार में सुधार, तनाव प्रबंधन और सहायक वातावरण को बढ़ावा देने के माध्यम से, परिवार परामर्श परिवारों को उनके अनुभवों को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में मदद करता है तथा उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है।

5.14 परिवार परामर्श के लाभ

पारिवारिक परामर्श विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के परिवारों के लिए कई लाभ प्रदान करता है, जिससे उनकी समग्र भलाई और विशेष जरूरतों वाले बच्चे की परवरिश से जुड़ी चुनौतियों का प्रबंधन करने की क्षमता बढ़ती है। यहाँ कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैंः

1. भावनात्मक समर्थनः

परामर्श परिवार के सदस्यों को तनाव, चिंता और भावनात्मक बोझ का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है जो अक्सर विशेष रूप से सक्षम बच्चे (दिव्यांग) की परवरिश के साथ होता है। यह परिवार के सदस्यों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, मान्यता प्राप्त करने और अपने भावनात्मक अनुभवों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक स्थान प्रदान करता है।

2. बेहतर संचारः

परामर्श परिवार के सदस्यों के बीच संचार में सुधार करता है, समझ को बढ़ावा देता है और संघर्षों को कम

करता है। यह परिवार के सदस्यों को अपनी जरूरतों, चिंताओं और अपेक्षाओं को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। यह संघर्षों को हल करने और असहमति को रचनात्मक रूप से संबोधित करने के लिए रणनीतियाँ प्रदान करता है।

3. मजबूत पारिवारिक संबंधः

बेहतर संचार और समझ को बढ़ावा देकर, परामर्श पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है और समग्र पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाता है। परामर्श भाई–बहनों को सहायता प्रदान करता है, उन्हें उपेक्षा या ईर्ष्या की भावनाओं से निपटने में मदद करता है और परिवार के भीतर स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देता है।

4. प्रभावी व्यवहार प्रबंधनः

परिवारों को चुनौतीपूर्ण व्यवहारों को प्रबंधित करने और बच्चे के विकास और कल्याण का समर्थन करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को लागू करने के बारे में मार्गदर्शन मिलता है। परामर्श सुसंगत व्यवहार प्रबंधन प्रथाओं को स्थापित करने में मदद करता है, जिससे बच्चे के लिए अधिक सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

5. बढा हुआ ज्ञान और जागरूकताः

परामर्शदाता बच्चे की विशिष्ट दिव्यांगता के बारे में शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे परिवार को इसके प्रभाव को समझने और बच्चे का प्रभावी ढंग से समर्थन करने का तरीका सीखने में मदद मिलती है। परिवारों को उपलब्ध संसाधनों, सेवाओं और सामुदायिक कार्यक्रमों के बारे में सूचित किया जाता है जो बच्चे की जरूरतों को प्रबंधित करने में सहायता कर सकते हैं।

6. समस्या–समाधान कौशल में वृद्धिः

परामर्श परिवारों को तत्काल और दीर्घकालिक दोनों चुनौतियों का समाधान करने के लिए समस्या–समाधान कौशल और रणनीतियाँ विकसित करने में मदद करता है। यह परिवारों को संकटों से निपटने और परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए उपकरण प्रदान करता है, जैसे कि नए जीवन चरणों में संक्रमण या अप्रत्याशित मुद्दों से निपटना।

7. बेहतर अभिभावकीय कल्याणः

माता–पिता को अपनी भूमिकाओं को संतुलित करने, तनाव का प्रबंधन करने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता मिलती है। इससे अधिक प्रभावी पालन–पोषण और अधिक सहायक घरेलू वातावरण हो सकता है। परामर्श माता–पिता के रिश्तों को मजबूत कर सकता है, यह सुनिश्चित करता है कि दोनों साथी अपने पालन–पोषण के दृष्टिकोण में समर्थित और संरेखित महसूस करें।

8. भविष्य की योजनाः

परामर्श परिवारों को बच्चे के भविष्य की योजना बनाने में सहायता करता है, जिसमें शैक्षिक परिवर्तन, वित्तीय योजना और दीर्घकालिक देखभाल शामिल है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तनों को नेविगेट करने में मार्गदर्शन करता है, जैसे कि स्कूल या किशोरावस्था में प्रवेश करना और वयस्कता की तैयारी करना।

9. समग्र पारिवारिक कल्याणः

व्यक्तिगत और परिवार–व्यापी दोनों मुद्दों को संबोधित करके, परामर्श परिवार इकाई के समग्र कामकाज और कल्याण को बढ़ाता है, जिससे सभी के लिए एक स्वस्थ और अधिक सहायक वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

परिवार परामर्श विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के परिवारों को उनके जीवन के भावनात्मक, व्यावहारिक और संबंधपरक पहलुओं को संबोधित करते हुए व्यापक समर्थन प्रदान करता है। संचार में सुधार, भावनात्मक समर्थन प्रदान करने, तथा परिवारों को रणनीतियों और संसाधनों से सुसज्जित करने के माध्यम से, परामर्श एक पोषणकारी और लचीला पारिवारिक वातावरण बनाने में मदद करता है, जिससे अंततः बच्चे और उनके पूरे परिवार को लाभ मिलता है।

5.24 सारांश

फोकस समूह चर्चा और पारिवारिक परामर्श पूरक दृष्टिकोण हैं जो विशेष रूप से सक्षम बच्चों के परिवारों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। फोकस समूह चर्चा में अनुभवों को साझा करने, आम चुनौतियों की पहचान करने और सामूहिक समाधानों की खोज करने के लिए कई परिवारों या देखभाल करने वालों से जानकारी एकत्र करना शामिल है। यह विधि सहकर्मी समर्थन को बढ़ावा देती है, विविध दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, और विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) की परवरिश से संबंधित व्यापक मुद्दों को समझने में मदद करती है। दूसरी ओर, पारिवारिक परामर्श व्यक्तिगत परिवार की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है। यह भावनात्मक बोझ को संबोधित करता है, संचार में सुधार करता है, और बच्चे की दिव्यांगता से संबंधित विशिष्ट चुनौतियों के प्रबंधन के लिए व्यावहारिक रणनीति प्रदान करता है। परामर्श पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है, समस्या–समाधान कौशल को बढ़ाता है, और भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है, जिससे एक सहायक और लचीला पारिवारिक वातावरण बनता है। साथ में, ये दृष्टिकोण सामुदायिक शिक्षण और व्यक्तिगत सहायता दोनों की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे परिवारों और विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के लिए बेहतर परिणाम मिलते हैं।

5.25 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) बच्चों के लिए एक फोकस समूह एक सावधानीपूर्वक आयोजित चर्चा है जो इन बच्चों के एक छोटे समूह, या कभी–कभी उनके माता–पिता, देखभाल करने वालों, या शिक्षकों को उनकी जरूरतों, अनुभवों और चुनौतियों से संबंधित विशिष्ट विषयों का पता लगाने के लिए एक साथ लाता है।

2. फोकस समूहों के प्रकार निम्नलिखित हैं– जरूरतों का आकलन फोकस समूह, कार्यक्रम विकास फोकस समूह, सेवा मूल्यांकन फोकस समूह, सहकर्मी संपर्क फोकस समूह, प्रौद्योगिकी और पहुँच फोकस समूह, संक्रमण फोकस समूह, स्वास्थ्य और कल्याण फोकस समूह, नीति विकास फोकस समूह, माता–पिता और देखभाल करने वाले सहायता फोकस समूह आदि।

3. विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) को शामिल करने वाले फोकस समूह चर्चा शैक्षिक समानता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं कि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को सार्थक तरीके से पूरा किया जाए।

4. फोकस समूहों के चरण निम्नलिखित हैं– उद्देश्य परिभाषित करना, प्रतिभागियों की भर्ती, तैयारी, फोकस समूह गतिविधियों का डिजाइन, फोकस समूह का संचालन, डेटा संग्रह, पोस्ट–फोकस समूह, रिपोर्टिंग, आदि।

5. फोकस समूह विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) को समझने, उनका समर्थन करने और उनकी वकालत करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी जरूरतों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए।

6. विशेष रूप से सक्षम बच्चों (दिव्यांग) के लिए फोकस समूह पद्धति अत्यधिक अनुकूलनीय होनी चाहिए, जिसमें प्रतिभागियों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। उनकी संचार शैलियों के लिए दृष्टिकोण को ढालकर, एक सहायक वातावरण सुनिश्चित करके, और नैतिक विचारों को संबोधित करके, शोधकर्ता शामिल बच्चों की गरिमा और आराम का सम्मान करते हुए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

7. पारिवारिक परामर्श और पारिवारिक चिकित्सा में अंतर निम्नलिखित हैं–

पारिवारिक परामर्श	पारिवारिक चिकित्सा
फोकसः पारिवारिक परामर्श अधिक अल्पकालिक और समस्या–केंद्रित होता है। यह अक्सर उन विशिष्ट मुद्दों या चिंताओं को संबोधित करता है जिनका परिवार सामना कर रहा है, जैसे संचार संबंधी कठिनाइयाँ, तनाव प्रबंधन, या बच्चे की दिव्यांगता के अनुकूल होना।	**फोकसः** पारिवारिक चिकित्सा आम तौर पर अधिक गहन और दीर्घकालिक होती है, जो परिवार के भीतर अंतर्निहित पैटर्न और गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करती है जो चल रहे मुद्दों में योगदान दे सकती है। यह अक्सर परिवार की बातचीत और कल्याण को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारकों की खोज करती है।
दृष्टिकोणः परामर्श में आम तौर पर परिवार को तत्काल चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन, सलाह और समर्थन शामिल होता है। परामर्शदाता परिवार की गतिशीलता में सुधार, परिवार को बच्चे की स्थिति के बारे में शिक्षित करने और उन्हें संसाधनों से जोड़ने के लिए व्यावहारिक रणनीतियाँ प्रदान कर सकता है।	**दृष्टिकोणः** चिकित्सा में गहरी जड़ें वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न चिकित्सीय तकनीकों (जैसे संज्ञानात्मक–व्यवहार चिकित्सा, प्रणालीगत चिकित्सा, या मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा) का उपयोग करते हुए अधिक संरचित और अक्सर नैदानिक दृष्टिकोण शामिल होता है। इसका उद्देश्य परिवार के व्यवहार, संचार और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के पैटर्न में बदलाव लाना है।
लक्ष्यः पारिवारिक परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य वर्तमान कठिनाइयों का प्रबंधन करने, संचार को बढ़ाने और एक सहायक पारिवारिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सहायता और उपकरण प्रदान करना है।	**लक्ष्यः** पारिवारिक चिकित्साके लक्ष्य व्यापक हैं, जिनका उद्देश्य न केवल तत्काल मुद्दों का प्रबंधन करना है बल्कि परिवार के कामकाज में स्थायी बदलाव हासिल करना है। यह परिवार के सदस्यों के समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और मौजूद किसी भी मनोवैज्ञानिक मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास करता है।

8. परिवार परामर्श के प्रकार के प्रकार निम्नलिखित हैं– सहायक परामर्श, शैक्षिक परामर्श, व्यवहार परामर्शः, संकट परामर्श, भाई–बहन परामर्श, वैवाहिक या युगल परामर्श, समूह परामर्श, भविष्य की योजना परामर्श, सांस्कृतिक–संवेदनशील परामर्श आदि।

5.26 अभ्यास– कार्य

1. परिवार चिकित्सा के चरण बताइए।
2. परिवार परामर्श का क्या महत्व है?

5.27 चर्चा के बिन्दु

❖ दिव्यांगों के लिए फोकस ग्रुप चर्चा और पारिवारिक परामर्श की उपयोगिता की चर्चा कीजिये

5.28 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- American Psychological Association. (n.d.). Family counseling. Retrieved from https://www.apa.org/topics/family-counseling
- Disability Rights Education & Defense Fund. (2022). Focus group discussions and advocacy: Best practices. Retrieved from https://dredf.org/resources/focus-

group-discussions-advocacy-best-practices

- Kitzinger, J. (1995). Qualitative research: Introducing focus groups. BMJ, 311(7000), 299-302. https://doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299
- McGoldrick, M., Carter, B., & Garcia-Preto, N. (2016). The expanded family life cycle: Individual, family, and social perspectives (5th ed.). Pearson.
- Morgan, D. L. (1997). Focus groups as qualitative research (2nd ed.). Sage Publications.
- Murray, C., & de Jong, G. (2018). Family therapy for families of individuals with disabilities: An integrative approach. Journal of Family Therapy, 40(3), 294-312. https://doi.org/10.1111/1467-6427.12195
- National Council on Disability. (2013). The current state of healthcare for individuals with disabilities. Retrieved from https://www.ncd.gov/publications/2013/current-state-healthcare-individuals-disabilities
- Pope, C., & Mays, N. (1995). Reaching the parts other methods cannot reach: An introduction to qualitative methods in health and health services research. BMJ, 311(6996), 42-45. https://doi.org/10.1136/bmj.311.6996.4

इकाई : 6 समुदाय आधारित पुनर्वास व कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

इकाई संरचना

6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्देश्य

6.3 समुदाय आधारित पुनर्वास की आवश्यकता

6.4 समुदाय आधारित पुनर्वास को समझना

6.5 समुदाय आधारित पुनर्वास के घटक

6.6 संस्थान आधारित और समुदाय आधारित पुनर्वास के बीच अंतर

6.7 समुदाय आधारित पुनर्वास सेवा स्पेक्ट्रम

6.8 सीबीआर के अन्तर्गत सेवाओं की श्रृंखला

6.9 समुदाय पुनर्वास के पक्ष और विपक्ष

6.10 समुदाय आधारित पुनर्वास– एक आंदोलन

6.11 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा

6.12 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की परिभाषा

6.13 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार

6.14 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व

6.15 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे प्रस्तुत किया जाता है?

6.16 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका

6.17 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में सुधार के सुझाव

6.18 सारांश

6.19 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.20 अभ्यास कार्य

6.21 चर्चा के बिन्दु

6.22 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में हम आपका परिचय समुदाय आधारित पुनर्वास की अवधारणा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एक अभिनव वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पहचाना और ''सभी के लिए स्वास्थ्य'' अभियान के हिस्से के रूप में सीबीआर के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक सेवाओं और प्रशिक्षण के प्रावधान की सिफारिश की। इसमें दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों की स्वीकृति शामिल हैः कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को उच्चतम मानक की देखभाल प्रदान करने की तुलना में पूरी आबादी में छोटे सुधार लाना अधिक महत्वपूर्ण है। समुदाय आधारित पुनर्वास के लक्षण, संस्थान आधारित और समुदाय आधारित पुनर्वास के बीच अंतर, समुदाय आधारित पुनर्वास के घटक, सेवाओं की श्रृंखला, आवश्यकता, तथा पक्ष व विपक्ष की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विवेकाधीन

व्यावसायिक प्रथाओं और कॉर्पोरेट संसाधनों के माध्यम से समुदाय की भलाई में सुधार करने की प्रतिबद्धता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार, महत्व, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग, भूमिका, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का वर्णन करेंगे।

6.2 उद्देश्य–

इस इकाई को पूरा करने के बाद छात्र सक्षम हो सकेंगे

- समुदाय आधारित पुनर्वास के घटकों की व्याख्या कर सकेंगे।
- सीबीआर में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ सीख सकेंगे
- दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए तैयार करने के लिए उपयुक्त तरीके लागू का प्रयोग कर सकेंगे ।
- सीबीआर में सरकार और वैश्विक एजेंसियों की भूमिका की समझ विकसित कर सकेंगे।

6.3 सीबीआर की आवश्यकता

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) की आवश्यकता:-

1. **स्थानीय पहुँच और सुलभता:-** समुदाय–आधारित पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अपने समुदायों में पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध कराना है। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है उन दूर–दराज या कम संसाधन वाले क्षेत्रों के लिए, जहाँ पुनर्वास सुविधाएँ सीमित होती हैं और शहरी केंद्रों में ही उपलब्ध होती हैं।
2. **सामाजिक समावेश:-** समुदाय–आधारित पुनर्वास दिव्यांग व्यक्तियों की समाज में पूरी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण समाज में एकीकरण को बढ़ावा देता है, सामाजिक पूर्वाग्रह और नकारात्मक दृश्टिकोणसे निपटता है, और स्वीकृति को बढ़ावा देता है।
3. **समग्र दृष्टिकोण:-** समुदाय–आधारित पुनर्वास केवल चिकित्सा उपचार तक ही सीमित नहीं रहता। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक घटकों को एकीकृत करके एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है।
4. **सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता:-** समुदाय–आधारित पुनर्वास शिक्षा, कौशल विकास और समर्थन के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को सशक्त बनाता है। यह आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, जिससे वे अपने जीवन के निर्णयों में अधिक भूमिका निभा सकते हैं।
5. **स्थिरता और दीर्घकालिक सुधार:-** समुदाय–आधारित पुनर्वास दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्थायी और ठोस सुधारों को लागू करता है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और जीवनशैली में सुधार लाने में सहायक होते हैं।
6. **सामुदायिक भागीदारी और समर्थन:-** समुदाय–आधारित पुनर्वास की सफलता के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे पुनर्वास की पहल को स्थानीय जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
7. **अंतर्राष्ट्रीय मानक और नीतियाँ :-** समुदाय–आधारित पुनर्वास अंतर्राष्ट्रीय ढांचों, जैसे कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, के दिशा–निर्देशों का पालन करता है। यह वैश्विक प्रतिबद्धताओं को स्थानीय स्तर पर ठोस सुधारों में बदलने में सहायक होता है।

8. **पारिवारिक और सामाजिक समर्थन :-** समुदाय–आधारित पुनर्वास में परिवार और समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दिव्यांगता के प्रति जागरूकता फैलाना और परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रशिक्षित करना, पुनर्वास की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है।

इन आवश्यकताओं को पूरा करके, समुदाय–आधारित पुनर्वास दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण और स्थायी सुधार लाने में सक्षम होता है।

6.4 समुदाय आधारित पुनर्वास को समझना

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) 1970 के दशक में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित एक व्यापक रणनीति है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को उनके स्थानीय समुदायों में पुनर्वास सेवाओं को एकीकृत करके, संस्थागत देखभाल से समुदाय–केंद्रित सहायता में स्थानांतरित करके बढ़ाना है। समुदाय आधारित पुनर्वास के मुख्य पहलू निम्नवत हैः'–

1. **सामुदायिक एकीकरण :-** समुदाय आधारित पुनर्वास स्थानीय संसाधनों, कौशल और ज्ञान का लाभ उठाते हुए व्यक्ति के समुदाय के भीतर काम करता है। यह दृष्टिकोण सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और सुलभ पुनर्वास समाधान सुनिश्चित करता है।

2. **व्यापक दृष्टिकोण:-** समुदाय आधारित पुनर्वास न केवल चिकित्सा आवश्यकताओं बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक कारकों को भी संबोधित करता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक समावेशन सहित व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाना है।

3. **सामुदायिक भागीदारी:-** समुदाय आधारित पुनर्वास में परिवार के सदस्यों, सामुदायिक स्वयंसेवकों और स्थानीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। यह भागीदारी स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा करती है, जिससे अधिक प्रभावी और प्रासंगिक हस्तक्षेप होते हैं।

4. **सशक्तिकरण और समावेशन:-** समुदाय आधारित पुनर्वास समुदाय के जीवन में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह सामाजिक बाधाओं और पूर्वाग्रहों को दूर करने, समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए काम करता है।

5. **दीर्घकालिक एकीकरण:-** अल्पकालिक, गहन संस्थागत पुनर्वास के विपरीत, समुदाय आधारित पुनर्वास एक दीर्घकालिक, एकीकृत दृष्टिकोण है। यह व्यक्तियों और उनके समुदायों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाता है, जो निरंतर समर्थन और अनुकूलन प्रदान करता है।

6. **लागत–प्रभावशीलता:-** स्थानीय संसाधनों और सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करके, समुदाय आधारित पुनर्वास अक्सर संस्थागत देखभाल की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होता है, जो इसे कम संसाधन वाले या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से मूल्यवान बनाता है।

7. **वकालत और जागरूकता:-** समुदाय आधारित पुनर्वास दिव्यांगता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, दिव्यांग लोगों के अधिकारों की वकालत करने और एक समावेशी सामुदायिक वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समुदाय आधारित पुनर्वास का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ दिव्यांग व्यक्ति पूर्ण जीवन जी सकें, सामुदायिक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग ले सकें और अपनी क्षमता को प्राप्त कर सकें। यह पुनर्वास प्रयासों को सामुदायिक जीवन के ताने–बाने में एकीकृत करता है, और अधिक समावेशी और सहायक समाज को बढ़ावा देता है।

6.5 सीबीआर के घटक

स्वास्थ्य	शिक्षा	आजीविका	सामाजिक	सशक्तिकरण
पदोन्नति	बचपन	कौशल विकास	कार्मिक सहायता	वकालत और संचार
रोकथाम	प्राथमिक	स्व रोजगार	रिश्तेए विवाह और परिवार	सामुदायिक लामबंदी
चिकित्सा देखभाल	माध्यमिक एवं उच्चतर	मजदूरी रोजगार	संस्कृति और कला	राजनीतिक भागीदारी
पुनर्वास	अनौपचारिक	वित्तीय सहायता	मनोरंजनएअवकाश और खेल	स्वयं सहायता समूह
सहयोगी यन्त्र	आजीवन सीखना	सामाजिक सुरक्षा	न्याय	दिव्यांग लोगों का संगठन

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसे कई परस्पर जुड़े घटकों के माध्यम से अपने समुदायों के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ मुख्य तत्वों का सारांश दिया गया हैः

- **स्वास्थ्य:-** यह घटक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक चिकित्सा और उपचारात्मक सेवाएँ प्रदान करता है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, विशेष उपचार और स्वास्थ्य स्थितियों को प्रबंधित करने या सुधारने के लिए निवारक उपायों तक पहुँच शामिल है।
- **शिक्षा:-** शिक्षा घटक यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसमें विशेष शिक्षा सेवाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप समुदाय–आधारित शैक्षिक कार्यक्रम शामिल हैं।
- **आजीविका:-** यह पहलू आर्थिक अवसरों को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें नौकरी प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार या आय–उत्पादक गतिविधियों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना शामिल है, जिससे व्यक्तियों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है।

- **सामाजिक समावेशन:-** समुदाय–आधारित पुनर्वास का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सामुदायिक जीवन में पूरी तरह से एकीकृत करना है। यह घटक सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने, सहायक नेटवर्क बनाने और नकारात्मक दृष्टिकोण तथा भेदभाव से निपटने के लिए काम करता है, जिससे अधिक समावेशी और स्वीकार्य वातावरण बनाने में योगदान मिलता है।

- **सशक्तिकरण:-** यह घटक दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के निर्माण के लिए समर्पित है। यह प्रभावी पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के लिए समुदाय–आधारित संगठनों और सेवा प्रदाताओं की क्षमता को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

- **परिवार और समुदाय का समर्थन:-** परिवारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, यह घटक परिवार के सदस्यों को समर्थन और शिक्षा प्रदान करता है और पुनर्वास प्रक्रिया में व्यापक समुदाय को शामिल करता है। इसमें परिवारों के लिए परामर्श, प्रशिक्षण और संसाधन शामिल हैं, साथ ही समुदाय–आधारित पुनर्वास गतिविधियों में समुदाय के नेताओं और स्वयंसेवकों को शामिल करना भी शामिल है।

- **वकालत और जागरूकता:-** इस घटक का उद्देश्य दिव्यांगता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दिव्यांग लोगों के अधिकारों की वकालत करना और नीतिगत बदलावों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक दृष्टिकोण को प्रभावित करना, बाधाओं को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यक सेवाओं और अवसरों तक पहुँच प्राप्त हो।

साथ मिलकर, ये घटक पुनर्वास के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण बनाते हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक स्वतंत्र और संतुष्ट जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है, साथ ही एक अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देता है।

6.6 संस्थान आधारित और समुदाय आधारित पुनर्वास के बीच अंतर –

संस्था–आधारित पुनर्वास और समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) के बीच अंतर को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

– ''**संस्था–आधारित पुनर्वास**:'' इस पद्धति में किसी विशेष सुविधा या संस्थान के भीतर पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना शामिल है। मरीज आमतौर पर अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप केंद्रित, गहन देखभाल प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से सुविधा में रहते हैं।

– ''**समुदाय–आधारित पुनर्वास** (CBR):'' यह दृष्टिकोण व्यक्ति के अपने समुदाय के भीतर पुनर्वास प्रदान करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य समुदाय में पुनर्वास को एकीकृत करके और समावेशन को बढ़ावा देकर दिव्यांग लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। मुख्य अंतर हैं:

समुदाय–आधारित पुनर्वास	संस्थान आधारित (चिकित्सा)पुनर्वास
– **''सेटिंग**:'' संस्था–आधारित पुनर्वास एक विशेष सुविधा में होता है,	जबकि समुदाय–आधारित पुनर्वास व्यक्ति के घर और समुदाय के वातावरण में होता है।
''दृष्टिकोण:'' संस्था–आधारित पुनर्वास आमतौर पर अधिक चिकित्सा–केंद्रित होता है, जो मुख्य रूप से नैदानिक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है,	जबकि समुदाय–आधारित पुनर्वास एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, जो चिकित्सा देखभाल के अलावा सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक जरूरतों को संबोधित करता है।
''**अवधि**:'' संस्था–आधारित पुनर्वास आम तौर पर अल्पकालिक और गहन होता है,	जबकि सीबीआर आम तौर पर दीर्घकालिक होता है और व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन में सहज रूप से एकीकृत होता है।

पहुंचः'' संस्था–आधारित पुनर्वास अक्सर कम सुलभ और कम लागत प्रभावी होता है, खासकर ग्रामीण या कम सेवा वाले क्षेत्रों में।	संस्था–आधारित पुनर्वास की तुलना में सीबीआर अक्सर अधिक सुलभ और लागत प्रभावी होता है, खासकर ग्रामीण या कम सेवा वाले क्षेत्रों में।
समुदाय की भागीदारीः'' सीबीआर पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों और समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल करता है, एक सहयोगी प्रयास को बढ़ावा देता है,	जबकि संस्था–आधारित पुनर्वास में सीमित पारिवारिक भागीदारी शामिल हो सकती है।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

1) सी.बी. आर का पूर्ण नाम लिखियै।

.....

.....

2) सी.बी. आर की परिभाषा लिखियै।

.....

.....

3) संस्थान आधारित और समुदाय आधारित पुर्नवास में दो अन्तर लिखियै।

.....

.....

6.7 सीबीआर सेवा कार्यक्रम

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) सेवा कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों को उनके समुदायों में सहायता करने के लिए डिजाइन की गई परस्पर जुड़ी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इन सेवाओं का विवरण इस प्रकार दिया जा सकता हैः

- **स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं:-** समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के केंद्र में स्वास्थ्य और शैक्षिक सेवाएँ हैं। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, विशेष उपचार और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए निवारक उपाय शामिल हैं। शैक्षिक सेवाएँ विशेष शिक्षा कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और समुदाय–आधारित शिक्षण पहलों के माध्यम से समावेशी और उच्च–गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

- **आजीविका और सामाजिक समावेशन:-** समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम में ऐसी सेवाएँ भी शामिल हैं जो आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देती हैं। इसमें नौकरी प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना शामिल है। सामाजिक समावेशन सेवाओं का उद्देश्य सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देना, सहायक नेटवर्क बनाना और नकारात्मक दृष्टिकोण और भेदभाव को दूर करना है, जिससे दिव्यांग व्यक्ति सामुदायिक जीवन में पूरी तरह से शामिल हो सकें।

- **परिवार और समुदाय का समर्थन:-** परिवारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए,

समुदाय–आधारित पुनर्वास में ऐसी सेवाएँ शामिल हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को सहायता और शिक्षा प्रदान करती हैं। इसमें परामर्श, प्रशिक्षण और संसाधन शामिल हैं, ताकि परिवारों को अपने रिश्तेदारों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें पूरा करने में मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक लामबंदी सेवाएँ पुनर्वास प्रक्रिया में स्थानीय नेताओं, स्वयंसेवकों और संगठनों को शामिल करती हैं, जिससे व्यापक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है।

- **वकालत और सशक्तिकरण:-** वकालत और सशक्तिकरण समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं। ये सेवाएँ दिव्यांगता के मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत करने और अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बदलावों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सशक्तिकरण सेवाएँ दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए काम करती हैं, साथ ही समुदाय–आधारित संगठनों और सेवा प्रदाताओं की क्षमता को भी मजबूत करती हैं।

- **निगरानी और मूल्यांकन:-** समुदाय–आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, कार्यक्रम में निगरानी और मूल्यांकन सेवाएँ शामिल हैं। इसमें हस्तक्षेपों का नियमित मूल्यांकन, सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान और समुदाय की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए समायोजन करना शामिल है।

यह व्यापक सेवा कार्यक्रम समुदाय–आधारित पुनर्वास दृष्टिकोण की समग्र प्रकृति को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की विविध जरूरतों को पूरा करना और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देना है।

6.8 सीबीआर के अंतर्गत सेवाओं की श्रृंखला

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अपने समुदायों में सहायता करने के लिए एकीकृत सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इसमें प्राथमिक और विशेष उपचार और निवारक उपायों जैसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ शामिल हैं; विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और समुदाय–आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक सहायता और नौकरी प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार पहुँच के साथ आजीविका सहायता इत्यादि। समुदाय–आधारित पुनर्वास बातचीत को बढ़ावा देकर, नेटवर्क बनाकर और नकारात्मक दृष्टिकोण का मुकाबला करके सामाजिक समावेश पर भी जोर देता है। यह परामर्श, प्रशिक्षण और संसाधनों के माध्यम से परिवार का समर्थन प्रदान करता है, स्थानीय नेताओं को शामिल करके और भागीदारी को प्रोत्साहित करके समुदाय को जोड़ता है, और दिव्यांगता अधिकारों और नीति परिवर्तनों की वकालत करता है। इसके अतिरिक्त, समुदाय–आधारित पुनर्वास प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर निगरानी और मूल्यांकन के साथ–साथ सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी पूर्ण सामाजिक भागीदारी का समर्थन करना और अधिक समावेशी समुदायों को बढ़ावा देना है।

6.9 सामुदायिक पुनर्वास के पक्ष और विपक्ष में मत –

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) के सकारात्मक पहलू

1. **स्थानीय एकीकरण और पहुँच:-** समुदाय–आधारित पुनर्वास सेवाओं को सीधे स्थानीय समुदायों में लाता है, जिससे वे उन व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ हो जाती हैं जिन्हें अन्यथा शहरी केंद्रों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह स्थानीय एकीकरण दिव्यांग व्यक्तियों को समय पर और प्रासंगिक सहायता प्राप्त करने में मदद करता है।

2. **समग्र दृष्टिकोण:-** समुदाय–आधारित पुनर्वास केवल चिकित्सा उपचार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक समावेशन सहित कई कारकों को संबोधित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है।

3. **सशक्तिकरण और भागीदारी:-** सेवाओं की योजना और कार्यान्वयन में दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को शामिल करना उन्हें सशक्त बनाता है, उनकी स्वायत्तता का सम्मान करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि सेवाएँ उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी ढंग से तैयार की गई हैं।

4. **लागत–प्रभावशीलता:-** संस्थागत या विशेषीकृत शहरी सेवाओं की तुलना में समुदाय–आधारित पुनर्वास अधिक लागत–प्रभावी हो सकता है, विशेष रूप से कम संसाधन वाली समायोजन में, क्योंकि यह मौजूदा सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करता है और स्थानीय स्वयंसेवकों को शामिल करता है।

5. **नकारात्मक दृष्टिकोण में कमी:-** सामाजिक समावेशन और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देकर, समुदाय–आधारित पुनर्वास दिव्यांग लोगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और भेदभाव को कम करने में मदद करता है, जिससे एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण होता है।

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) की चुनौतियाँ:-

1. **सीमित संसाधन और विशेषज्ञता:-** कुछ समुदायों में, समुदाय–आधारित पुनर्वास को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों और पर्याप्त संसाधनों की कमी हो सकती है, जो प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और दायरे को सीमित कर सकती है।

2. **सेवाओं की असंगत गुणवत्ता:-** स्थानीय कार्यान्वयन के आधार पर समुदाय–आधारित पुनर्वास की प्रभावशीलता काफी भिन्न हो सकती है। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे या समर्थन वाले क्षेत्रों में, पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता असंगत हो सकती है।

3. **सामुदायिक सहभागिता पर निर्भरता:-** समुदाय–आधारित पुनर्वास की सफलता सक्रिय सामुदायिक सहभागिता और समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ऐसे समुदायों में जहाँ जागरूकता कम है या सहभागिता करने की इच्छा नहीं है, समुदाय–आधारित पुनर्वास के प्रयासों को गति प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

4. **सामुदायिक–आधारित समाधानों पर अत्यधिक जोर देने की संभावना:-** समुदाय–आधारित पुनर्वास कभी–कभी प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और विशेष देखभाल प्रदान करने की कीमत पर समुदाय–आधारित समाधानों पर अत्यधिक जोर देता है जो कुछ स्थितियों के लिए आवश्यक होता है।

5. **हाशिये पर डाले जाने का जोखिम:-** मजबूत सामाजिक पदानुक्रम या प्रचलित नकारात्मक दृष्टिकोण वाले समुदायों में, समुदाय–आधारित पुनर्वास अनजाने में हाशिये पर डाले जाने को मजबूत कर सकता है यदि यह व्यापक सामाजिक मुद्दों और शक्ति गतिशीलता को संबोधित करने में विफल रहता है।

निष्कर्ष में, जबकि समुदाय–आधारित पुनर्वास बढ़ी हुई पहुँच, समग्र समर्थन और सशक्तिकरण जैसे लाभ प्रदान करता है, यह संसाधन सीमाओं, परिवर्तनशील सेवा गुणवत्ता और सामुदायिक सहभागिता पर निर्भरता से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करता है।

6.10 सीबीआर – एक आंदोलन के रुप में –

समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) एक अभूतपूर्व आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है जो स्थानीय संसाधनों के उपयोग और समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को उनके समुदायों में एकीकृत करने पर केंद्रित है। यह पारंपरिक संस्थागत देखभाल से हटकर ऐसे मॉडल की ओर बढ़ने की वकालत करता है जो स्थानीय समायोजन के भीतर पहुंच, भागीदारी और सशक्तिकरण पर जोर देता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक समावेश जैसे पहलुओं को एकीकृत दृष्टिकोण से संबोधित करके, समुदाय–आधारित पुनर्वास का उद्देश्य दिव्यांग लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह आंदोलन दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों की सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देता है, नकारात्मक दृष्टिकोण को कम करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है और टिकाऊ और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त समाधानों का समर्थन करता है। नतीजतन, समुदाय–आधारित पुनर्वास न केवल दिव्यांग लोगों के अधिकारों और सम्मान को कायम रखता है बल्कि एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज की दिशा में व्यापक सामाजिक

परिवर्तन को भी आगे बढ़ाता है।

6.11 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें कंपनियाँ अपने संगठनों और व्यापक समुदाय दोनों में एक समावेशी और न्यायसंगत वातावरण बनाने का प्रयास करती हैं। यह सिद्धांत केवल कानूनी अनुपालन से आगे बढ़कर व्यवसायों से सक्रिय उपायों को लागू करने का आग्रह करता है जैसे कि सुलभ कार्यस्थलों को डिजाइन करना, विभिन्न आवश्यकताओं को समायोजित करने वाली नीतियाँ स्थापित करना और समावेश और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना। इसमें न केवल भौतिक बाधाओं को दूर करना शामिल है, बल्कि व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रहों को संबोधित करना और यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि भर्ती, प्रशिक्षण और कैरियर में उन्नति के अवसर सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से सुलभ हों। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए Corporate Social Responsiblity में सामुदायिक पहलों का समर्थन करना शामिल है, जैसे कि सुलभता बढ़ाने के लिए धन मुहैया कराना और दिव्यांगता अधिकार संगठनों के साथ सहयोग करना। इन प्रथाओं को अपने मुख्य संचालन और सामुदायिक जुड़ाव प्रयासों में एकीकृत करके, कंपनियाँ सामाजिक समानता के लिए एक वास्तविक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती हैं। यह दृष्टिकोण न केवल उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और एक विविध प्रतिभा पूल को आकर्षित करता है बल्कि कर्मचारी जुड़ाव और वफादारी को भी बढ़ाता है। अंततः, ऐसी CSR प्रथाएँ एक अधिक समावेशी समाज बनाने में मदद करती हैं, जिससे दिव्यांग व्यक्ति जीवन और कार्य के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग ले पाते हैं।

बोध प्रश्न टिप्पणी –

(क) नीचे दिये हुए रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिए ।

(ख) इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना कीजिए ।

9) सामुदायिक पुनर्वास के पक्ष व विपक्ष के संबन्ध में अपने मत दीजिये ।

.....

.....

10) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है?

.....

.....

11) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसे बढावा देता है?

.....

.....

12) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या शामिल है?

.....

.....

6.12 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की परिभाषा

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में दिव्यांग कर्मचारियों और हितधारकों के लिए समान अवसर और सहायता सुनिश्चित करने के लिए समावेशी प्रथाओं और नीतियों को अपनाने वाली कंपनियाँ शामिल हैं। यह दृष्टिकोण केवल कानूनी अनुपालन से परे है, इसमें सुलभ कार्य

वातावरण विकसित करने, उचित सुविधाएँ प्रदान करने और सम्मान और समावेश की संस्कृति को बढ़ावा देने जैसी सक्रिय रणनीतियाँ शामिल हैं। सीएसआर में सामुदायिक पहलों का समर्थन करना भी शामिल है जो पहुँच को बढ़ाते हैं, दिव्यांगता अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित संगठनों के साथ साझेदारी बनाते हैं और दिव्यांगता मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। इन प्रथाओं को अपने संचालन और पहुँच में शामिल करके, कंपनियाँ न केवल सामाजिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ाती हैं, एक विविध कार्यबल को आकर्षित करती हैं, और एक अधिक समावेशी समाज में योगदान देती हैं जहाँ दिव्यांग लोग जीवन और काम के सभी पहलुओं में पूरी तरह से शामिल हो सकते हैं।

- **समर्थित मूल्य और दिव्यांगता रोजगार**

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में दिव्यांग कर्मचारियों और हितधारकों के लिए समान अवसर और सहायता सुनिश्चित करने के लिए समावेशी प्रथाओं और नीतियों को अपनाने वाली कंपनियाँ शामिल हैं। यह दृष्टिकोण केवल कानूनी अनुपालन से परे है, इसमें सुलभ कार्य वातावरण विकसित करने, उचित सुविधाएँ प्रदान करने और सम्मान और समावेश की संस्कृति को बढ़ावा देने जैसी सक्रिय रणनीतियाँ शामिल हैं। सीएसआर में सामुदायिक पहलों का समर्थन करना भी शामिल है जो पहुँच को बढ़ाते हैं, दिव्यांगता अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित संगठनों के साथ साझेदारी बनाते हैं और दिव्यांगता मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। इन प्रथाओं को अपने संचालन और पहुँच में शामिल करके, कंपनियाँ न केवल सामाजिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ाती हैं, एक विविध कार्यबल को आकर्षित करती हैं, और एक अधिक समावेशी समाज में योगदान देती हैं जहाँ दिव्यांग लोग जीवन और काम के सभी पहलुओं में पूरी तरह से शामिल हो सकते हैं।

6.13 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार

दिव्यांग बच्चों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) पहल में उनकी जरूरतों को पूरा करने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं। यहाँ कुछ प्रकार के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयास दिए गए हैं जो कंपनियाँ दिव्यांग बच्चों के समर्थन में कर सकती हैं:

- **पहुँच में सुधारः** स्कूलों, खेल के मैदानों और सामुदायिक केंद्रों में सुलभ संरचनाओं और बुनियादी ढाँचे के निर्माण का समर्थन करना। इसमें रैंप, अनुकूली उपकरण और सुलभ शिक्षण उपकरणों के लिए धन शामिल है। कम गतिशीलता वाले बच्चों को समायोजित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों को फिर से डिजाइन करने वाले संगठनों के साथ सहयोग एवं भागीदारी करना।

- **शिक्षा सहायताः** दिव्यांग बच्चों की जरूरतों के अनुकूल विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों और सामग्रियों के लिए संसाधन प्रदान करना। इसमें सहायक तकनीक, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए धन शामिल हो सकता है। छात्रवृत्ति या अनुदान प्रायोजित करना ताकि दिव्यांग बच्चे विशेष स्कूलों में जा सकें या स्कूल के बाद के कार्यक्रमों में भाग ले सकें।

- **स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमः** दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई चिकित्सा देखभाल, चिकित्सा और कल्याण कार्यक्रम प्रदान करने वाली पहलों का समर्थन करता है। इसमें चिकित्सा उपचार, फिजियोथेरेपी और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए धन शामिल है। दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क या रियायती सेवाएँ प्रदान करने के लिए अस्पतालों या क्लीनिकों के साथ भागीदारी करना।

- **सामुदायिक सहभागिता और वकालतः** दिव्यांग बच्चों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समुदाय में समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों में भाग लेंना । इसमें जागरूकता अभियान और आयोजनों का आयोजन या समर्थन करना शामिल है। दिव्यांगता जागरूकता अभियान चलाना या दिव्यांग बच्चों की उपलब्धियों और जरूरतों को उजागर करने वाले सामुदायिक आयोजनों को प्रायोजित करना।

- **कार्यस्थल में समावेश के लिए पहलः** ऐसे कार्यक्रम विकसित करना जो दिव्यांग बच्चों के परिवारों का समर्थन करते हैं, जैसे कि लचीली कार्य व्यवस्था या कर्मचारी सहायता कार्यक्रम। इससे देखभाल करने वाले कर्मचारियों को अपने काम और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलती है। ऐसी नीतियों को लागू करना जो दिव्यांग बच्चों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों के लिए भुगतान किए गए अवकाश या लचीले समय प्रदान करती हैं।

- **गैर–लाभकारी संगठनों के साथ भागीदारीः** गैर–लाभकारी संगठनों के साथ सहयोग जो दिव्यांग बच्चों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें वित्तीय दान, स्वयंसेवा या निःशुल्क सेवाएँ प्रदान करना शामिल हो सकता है। दिव्यांग बच्चों के लिए मनोरंजक गतिविधियाँ या ग्रीष्मकालीन शिविर प्रदान करने वाले संगठनों के साथ भागीदारी करना।

- **पूर्ण उत्पाद विकासः** दिव्यांग बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डिजाइन किए गए उत्पादों और सेवाओं के विकास को बनाना या वित्तपोषित करना। इसमें अनुकूली खिलौने, शैक्षिक उपकरण और संचार उपकरण शामिल हैं। विभिन्न दिव्यांग बच्चों की सेवा करने वाले समावेशी खेल उपकरण के निर्माण को विकसित या प्रायोजित करें।

  इस प्रकार की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों में शामिल होकर, कंपनियाँ दिव्यांग बच्चों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं, उनके समावेश, कल्याण और विकास को बढ़ावा दे सकती हैं।

6.14 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्त्वः

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) आवश्यक है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय नैतिक रूप से संचालित हों और लाभ कमाने के अलावा समाज में सकारात्मक योगदान दें। इसमें सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक समस्याओं को हल करने की प्रतिबद्धता शामिल है, जो कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदायों सहित हितधारकों के साथ विश्वास बनाने और संबंधों को मजबूत करने में मदद करती है। CSR स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देता है, कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, और कंपनी की गतिविधियों को व्यापक सामाजिक मूल्यों और लक्ष्यों के साथ जोड़कर प्रतिभाओं को आकर्षण बनाए रखता है। नैतिक व्यवहार, पर्यावरण प्रबंधन और सामुदायिक जुड़ाव को प्राथमिकता देकर, CSR न केवल दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता को बढ़ावा देता है, बल्कि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है, जो अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया में योगदान देता है।

6.15 सीएसआर को विशेष शिक्षा क्षेत्र में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है?

विशेष शिक्षा क्षेत्र में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की शुरूआत का बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है, सकारात्मक बदलाव ला सकता है और दिव्यांग विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा कर सकता है। यहाँ बताया गया है कि सीएसआर को इस क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कैसे एकीकृत किया जा सकता हैः

1. **संसाधनों का वित्तपोषण और वितरण:-** कंपनियाँ विशेष शिक्षा कार्यक्रमों, स्कूलों और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती हैं या संसाधन दान कर सकती हैं। इसमें विशेष शिक्षण सामग्री, सहायक तकनीक और अनुकूली शिक्षण उपकरणों के लिए वित्तपोषण शामिल हो सकता है। स्कूलों को उपयुक्त उपकरण खरीदने या विशेष शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए वित्तपोषण के लिए प्रायोजित अनुदान।

2. **कर्मचारियों की स्वैच्छिकता और विशेषज्ञता':-** कंपनियाँ कर्मचारियों को विशेष शिक्षा पहलों का समर्थन करने के लिए अपना समय और कौशल स्वेच्छा से देने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। इसमें विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए ट्यूशन, मेंटरिंग या पेशेवर सेवाएँ जैसे कानूनी या वित्तीय सलाह प्रदान करना शामिल है। विशेष स्कूलों में कर्मचारी स्वयंसेवक दिवस आयोजित करना या विशेष शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवक परामर्श सेवाएँ प्रदान करना इत्यादि।

3. **विशेष शिक्षा संगठनों के साथ साझेदारी:-** गैर–लाभकारी संगठनों और विशेष शिक्षा के लिए समर्पित

संगठनों के साथ साझेदारी बनाना प्रयासों के प्रभाव को बढ़ा सकता है। कंपनियाँ परियोजनाओं पर सहयोग कर सकती हैं, कार्यक्रमों को सह–प्रायोजित कर सकती हैं और शोध और वकालत के प्रयासों का समर्थन कर सकती हैं। विशेष शिक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं पर शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं को निधि देने और मेजबानी करने के लिए संगठनों के साथ साझेदारी कर सकती है।

4. **व्यापक कार्य प्रथाएँ:-** कंपनी में समावेशी रोजगार प्रथाओं के कार्यान्वयन से दिव्यांग लोगों, जिनमें विशेष शिक्षा पृष्ठभूमि वाले लोग भी शामिल हैं, को सहायता मिल सकती है। इसमें उनकी जरूरतों के हिसाब से इंटर्नशिप और नौकरी के अवसर बनाना शामिल है। कंपनी में अलग–अलग भूमिकाओं में अनुभव प्राप्त करने के लिए दिव्यांग लोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इंटर्नशिप या नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

5. **जागरूकता और बचाव अभियान:-** दिव्यांग छात्रों की जरूरतों के लिए विशेष शिक्षा और वकालत के महत्व पर जोर देने के लिए जागरूकता अभियान चलाना समुदाय के बीच बेहतर समर्थन और समझ को बढ़ावा दे सकता है। कंपनी के संसाधनों और मीडिया द्वारा समर्थित विशेष शिक्षा की चुनौतियों और सफलताओं के बारे में एक सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू करना।

6. **शैक्षणिक पहलों का समर्थन करता है:-** दिव्यांग छात्रों को लाभ पहुँचाने वाली नवीन शैक्षिक पहलों में निवेश करना जैसे कि विशेष शिक्षण कार्यक्रम, नई शिक्षण विधियों पर शोध, या शैक्षिक ऐप और टूल का विकास करना। विशेष शिक्षा के लिए नई शैक्षिक रणनीतियों या तकनीकों को विकसित करने के उद्देश्य से अनुसंधान निधि या पायलट कार्यक्रम आयोजित करना।

7. **पहुँच में सुधार:-** शैक्षिक संस्थानों में बुनियादी ढाँचे के सुधार में योगदान देंना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सभी छात्रों के लिए सुलभ है। इसमें सीखने के माहौल को और अधिक समावेशी बनाने के लिए भौतिक संशाधनों या प्रौद्योगिकी सुधारों के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना। कक्षाओं के नवीनीकरण या स्कूलों को सहायक प्रौद्योगिकी और सुलभ सुविधाओं से लैस करने के लिए आर्थिक सहयोग करना। विशेष शिक्षा क्षेत्र में इन सीएसआर प्रथाओं को एकीकृत करके, कंपनियाँ दिव्यांग छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने, समावेश को बढ़ावा देने और अधिक न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभा सकती हैं।

6.16 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिकाः

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) दिव्यांग लोगों का समर्थन करने, कार्यस्थल और व्यापक समुदाय में समावेश और समान अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीएसआर पहलों के माध्यम से, कंपनियां सुलभ कार्य वातावरण बना सकती हैं, उचित सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं और सम्मान और विविधता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकती हैं। पहुँच में सुधार करने वाले सामुदायिक कार्यक्रमों का समर्थन करके, दिव्यांगता अधिकार संगठनों के साथ सहयोग करके और दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर, सीएसआर बाधाओं को तोड़ने और नकारात्मक दृष्टिकोण को कम करने में मदद करता है। यह प्रतिबद्धता न केवल दिव्यांग लोगों के जीवन को समृद्ध बनाती है, बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा को भी मजबूत करती है, एक विविध प्रतिभा को आकर्षित करती है और एक अधिक समावेशी और समान समाज में योगदान देती है।

6.17 सीएसआर के माध्यम से विशेष शिक्षा क्षेत्र में सुधार के सुझाव

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से विशेष शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के लिए लक्षित कार्यवाहियाँ शामिल हैं जो तत्काल आवश्यकताओं और दीर्घकालिक उद्देश्यों दोनों को संबोधित करती हैं। यहाँ कई तरीके दिए गए हैं जिनसे सीएसआर विशेष शिक्षा को बढ़ा सकता हैः

1. **वित्तीय सहायता और दान:-** विशेष शिक्षा कार्यक्रमों, स्कूलों और गैर–लाभकारी संस्थाओं को विशेष उपकरण, शैक्षिक सामग्री और कक्षा नवीनीकरण के लिए अनुदान या दान प्रदान करना। दिव्यांग छात्रों के लिए अनुकूली प्रौद्योगिकियों, संवेदी उपकरणों या सहायक उपकरणों के अधिग्रहण को प्रायोजित करना।

2. **कर्मचारी स्वयंसेवा और विशेषज्ञता:-** कर्मचारियों को विशेष शिक्षा पहलों में अपना समय और कौशल योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे ट्यूशन, मेंटरिंग, या कानूनी या वित्तीय सलाह जैसी निःशुल्क पेशेवर सेवाएँ प्रदान करना। विशेष शिक्षा स्कूलों में कंपनी द्वारा प्रायोजित स्वयंसेवी दिवस आयोजित करना या विशेष शिक्षा संगठनों के लिए निःशुल्क परामर्श प्रदान करना।

3. **विशेष शिक्षा संगठनों के साथ भागीदारी:-** विशेष शिक्षा के लिए समर्पित संगठनों के साथ रणनीतिक भागीदारी स्थापित करना। परियोजनाओं पर सहयोग करना, कार्यक्रमों को सह–प्रायोजित करना, और शोध या वकालत के प्रयासों का समर्थन करना। शैक्षिक कार्यशालाओं की सह–मेजबानी करने या विशेष शिक्षा प्रथाओं को बढ़ाने वाली पहलों को निधि देने के लिए स्थानीय गैर–लाभकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करना।

4. **समावेशी भर्ती प्रथाएँ:-** दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए समावेशी भर्ती प्रथाएँ विकसित करना। इसमें उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसर प्रदान करना शामिल है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से इंटर्नशिप या नौकरी प्रशिक्षण प्रदान करने वाला कार्यक्रम शुरू करना, जिसमें विशेष शिक्षा में अनुभव रखने वाले लोग भी शामिल हों।

5. **शैक्षिक कार्यक्रम और छात्रवृत्तियाँ:-** दिव्यांग छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों और छात्रवृत्तियों का समर्थन करना। विशेष शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण और कैरियर विकास प्रदान करने वाले कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों को निधि प्रदान करना। उच्च शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति निधि का निर्माण करना।

6. **जागरूकता और वकालत अभियान:-** विशेष शिक्षा के महत्व को उजागर करने और दिव्यांग छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जागरूकता और वकालत अभियान चलाना। जनता को शिक्षित करने और दिव्यांगता अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। दिव्यांग छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समावेशी शिक्षा की वकालत करने के लिए अभियान शुरू करना।

7. **पहुँच और बुनियादी ढाँचे में सुधार':-** पहुँच में सुधार के लिए शैक्षणिक संस्थानों के भौतिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने में निवेश करना। इसमें दिव्यांग छात्रों की सहायता के लिए रैंप, लिफ्ट और अन्य संशोधनों के लिए आर्थिक सहायता शामिल है। सुलभ सुविधाओं वाले स्कूलों को फिर से तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता करना या अनुकूल खेल के मैदानों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करना।

8. **नवीनतम शैक्षिक उपकरणों का विकास:-** दिव्यांग छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए अभिनव शैक्षिक उपकरणों और तकनीकों के निर्माण और कार्यान्वयन का समर्थन करना। इसमें सहायक तकनीकों के अनुसंधान और विकास को निधि देना शामिल है। शैक्षिक ऐप, सॉफ्टवेयर या अन्य उपकरण विकसित करने में निवेश करना जो विभिन्न दिव्यांगताओं वाले छात्रों के लिए सीखने की सुविधा प्रदान करता हैं।

9. **शिक्षक प्रशिक्षण के लिए समर्थन:-** दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निधि देना या व्यवस्थित करना। विशेष शिक्षा रणनीतियों और समावेशी प्रथाओं पर केंद्रित पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करना। विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए उन्नत प्रशिक्षण के लिए अनुदान प्रदान करना या नवीनतम समावेशी शिक्षण विधियों पर कार्यशालाओं को प्रायोजित करना।

उपरोक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रणनीतियों को अपनाकर, कंपनियाँ विशेष शिक्षा क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं, दिव्यांग छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों में सुधार कर सकती हैं और अधिक समावेशी और सहायक वातावरण को बढ़ावा दे सकती हैं।

6.18 सारांश–

दिव्यांग लोगों के लिए समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और दिव्यांग लोगों के समावेश को बढ़ावा देना है, लेकिन वे अलग–अलग तंत्रों के माध्यम से काम करते हैं। '' समुदाय–आधारित पुनर्वास '' स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके दिव्यांग

लोगों को उनके समुदायों में एकीकृत करने और समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह समन्वित तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक समावेश को संबोधित करता है। समुदाय–आधारित पुनर्वास सेवाओं में अंतराल को भरने में मदद करता है, विशेष रूप से कम संसाधन वाले क्षेत्रों में, घर के करीब सहायता पहुंचाता है और सामाजिक स्वीकृति और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में ऐसी प्रथाओं को अपनाने वाली कंपनियाँ शामिल हैं जो उनके संगठनों और व्यापक समुदाय के भीतर दिव्यांग लोगों का समर्थन करती हैं। इसमें सुलभ कार्य वातावरण बनाना, उचित आवास प्रदान करना और सामुदायिक दिव्यांगता पहलों का समर्थन करना शामिल है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहलों में वित्तीय दान, कर्मचारी स्वयंसेवा, दिव्यांगता संगठनों के साथ साझेदारी, समावेशी कार्य प्रथाएँ और जागरूकता अभियान शामिल हो सकते हैं। साथ में, समुदाय–आधारित पुनर्वास और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एक अधिक समावेशी समाज में योगदान करते हैं, जिसमें समुदाय–आधारित पुनर्वास सामुदायिक एकीकरण और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी दिव्यांग लोगों के लिए अवसरों को बेहतर बनाने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायों को समर्थन और वकालत प्रदान करता है।

6.19 बोध प्रश्नों के उत्तर–

1) समुदाय–आधारित पुनर्वास ।

2) समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1970 के दशक में दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया एक समग्र दृष्टिकोण है। केवल विशेष संस्थानों पर निर्भर रहने के बजाय, समुदाय–आधारित पुनर्वास स्थानीय समुदायों के भीतर सीधे पुनर्वास सेवाओं को एकीकृत करता है। यह दिव्यांग लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए स्थायी समाधान विकसित करने के लिए स्थानीय संसाधनों, ज्ञान और कौशल के उपयोग पर जोर देता है।

3)

समुदाय–आधारित पुनर्वास	**संस्थान आधारित (चिकित्सा)पुनर्वास**
– **''सेटिंग**:'' संस्था–आधारित पुनर्वास एक विशेष सुविधा में होता है,	जबकि समुदाय–आधारित पुनर्वास व्यक्ति के घर और समुदाय के वातावरण में होता है।
''दृष्टिकोण:'' संस्था–आधारित पुनर्वास आमतौर पर अधिक चिकित्सा–केंद्रित होता है, जो मुख्य रूप से नैदानिक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है,	जबकि समुदाय–आधारित पुनर्वास एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, जो चिकित्सा देखभाल के अलावा सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक जरूरतों को संबोधित करता है।
''**अवधि**:'' संस्था–आधारित पुनर्वास आम तौर पर अल्पकालिक और गहन होता है,	जबकि सीबीआर आम तौर पर दीर्घकालिक होता है और व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन में सहज रूप से एकीकृत होता है।
पहुंच:'' संस्था–आधारित पुनर्वास अक्सर कम सुलभ और कम लागत प्रभावी होता है, खासकर ग्रामीण या कम सेवा वाले क्षेत्रों में।	संस्था–आधारित पुनर्वास की तुलना में सीबीआर अक्सर अधिक सुलभ और लागत प्रभावी होता है, खासकर ग्रामीण या कम सेवा वाले क्षेत्रों में।
समुदाय की भागीदारी:'' सीबीआर पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों और समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल करता है, एक सहयोगी प्रयास को बढ़ावा देता है,	जबकि संस्था–आधारित पुनर्वास में सीमित पारिवारिक भागीदारी शामिल हो सकती है।

5) सी. बी. आर. के पांच घटक. स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, सामाजिक और सशक्तिकरण

6) समुदाय–आधारित पुनर्वास (CBR) सेवा कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों को उनके समुदायों में सहायता करने के लिए डिजाइन की गई परस्पर जुड़ी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

7) सामुदायिक पुनर्वास के पक्ष में मत –

स्थानीय एकीकरण और पहुँच:- समुदाय–आधारित पुनर्वास सेवाओं को सीधे स्थानीय समुदायों में लाता है, जिससे वे उन व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ हो जाती हैं जिन्हें अन्यथा शहरी केंद्रों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह स्थानीय एकीकरण दिव्यांग व्यक्तियों को समय पर और प्रासंगिक सहायता प्राप्त करने में मदद करता है।

सामुदायिक पुनर्वास के विपक्ष में मत

सीमित संसाधन और विशेषज्ञता:- कुछ समुदायों में, समुदाय–आधारित पुनर्वास को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों और पर्याप्त संसाधनों की कमी हो सकती है, जो प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और दायरे को सीमित कर सकती है।

8) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें कंपनियाँ अपने संगठनों और व्यापक समुदाय दोनों में एक समावेशी और न्यायसंगत वातावरण बनाने का प्रयास करती हैं।

9) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत केवल कानूनी अनुपालन से आगे बढ़कर व्यवसायों से सक्रिय उपायों को लागू करने का आग्रह करता है जैसे कि सुलभ कार्यस्थलों को डिजाइन करना, विभिन्न आवश्यकताओं को समायोजित करने वाली नीतियाँ स्थापित करना और समावेश और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना।

10) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में सामुदायिक पहलों का समर्थन करना शामिल है, जैसे कि सुलभता बढ़ाने के लिए धन मुहैया कराना और दिव्यांगता अधिकार संगठनों के साथ सहयोग करना।

6.20 अभ्यास– कार्य

1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्त्व बताइये ।
2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से विशेष शिक्षा क्षेत्र में सुधार के सुझाव बताइये ।
3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को विशेष शिक्षा क्षेत्र में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है?

6.21 चर्चा के बिन्दु / स्पष्टीकरण

विशेष शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय आधारित पुनर्वास एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका की चर्चा कीजिये ।

6.22 संदर्भ ग्रंथ–

- Business Disability Forum. (2023). Corporate social responsibility and disability: Best practices and case studies. Retrieved from https://businessdisabilityforum.org.uk/resources/corporate-social-responsibility-and-disability-best-practices

- Groce, N. E. (2004). Everyone here spoke sign language: Hereditary deafness on Martha's Vineyard. Harvard University Press.
- International Labour Organization. (2022). Community-based rehabilitation (CBR): An integrated approach to improving the lives of people with disabilities. Retrieved from https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/community-based-rehabilitation
- Koster, M., & Lee, A. (Eds.). (2020). Community-based rehabilitation (CBR) for people with disabilities: A review of the evidence. Routledge.
- Lunt, N., & Livingstone, N. (2014). Community-based rehabilitation and social inclusion: A systematic review. Disability and Rehabilitation, 36(10), 794-807. https://doi.org/10.3109/09638288.2013.822497

Mikami, K. (2016). Corporate social responsibility and disability: An overview of recent developments. Journal of Corporate Responsibility and Leadership, 4(1), 1-16. https://doi.org/10.1108/JCRL-06-2016-0011

इकाई 7 विद्यालयी शिक्षा, व्यक्ति केन्द्रित शिक्षण तथा सहपाठी समर्थन समूह

इकाई संरचना

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 विद्यालयी शिक्षा

7.4 दिव्यांगजनों के लिए विद्यालयी शिक्षा

7.5 विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण

7.6 दिव्यांगों के लिए विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण

7.7 सहपाठी समूह समर्थन

7.7.1 सहपाठी समूह समर्थन के प्रमुख बिन्दु

7.7.2 दिव्यांग तथा गैर दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु सहपाठी समर्थन समूह महत्व

7.7.3 विकलांग छात्रों हेतु सहपाठी समर्थन समूह के कुछ लाभ

7.7.4 सहपाठी समर्थन समूह के मॉडल

7.8 सारांश

7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.10 अभ्यास कार्य

7.11 चर्चा के बिन्दु

7.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.1 प्रस्तावना:

शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी अंतर्निहित शक्तियों को समाज के समक्ष लाने के योग्य बन पता है। मनुष्य विविध प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकता है जैसे औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा। इन सबमें औपचारिक शिक्षा सबसे अधिक व्यवस्थित होती है जिसमें समय, आयु, विषय वस्तु, शिक्षागत प्रक्रिया का ढांचा, शिक्षक, स्थान इत्यादि निश्चित होते हैं। औपचारिक शिक्षा का एक बड़ा भाग वर्तमान में जो लगभग 15 वर्ष की अवधि को लिए हुए है विद्यालयी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत इकाई में हम विद्यालयी शिक्षा, व्यक्ति या विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा तथा सहपाठी समर्थन समूह के विषय में चर्चा करेंगे।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप समझ सकेंगेः–

- विद्यालयी शिक्षा को समझ सकेंगे।
- शिक्षा नीतियों में विद्यालयी शिक्षा के ढांचे को जान पाएंगे।
- विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा की समझ विकसित कर पाएंगे।
- दिव्यांग विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण को समझ सकेंगे।

- सहपाठी समर्थन समूह के बारे में जान सकेंगे।

7.3 विद्यालयी शिक्षा

विद्यालयी शिक्षा का विस्तार विद्यालय–पूर्व से लेकर बारहवीं कक्षा तक माना जाता है। इसका उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा की प्रभावशीलता, जिसे समरूप अधिगम प्रतिफलों एवं विद्यालय प्रवेश के समान अवसरों के रूप में मापा जाता है, का संवर्धन करना है। इस समयान्तराल में विद्यार्थी जहां साक्षर और शिक्षित बनते हैं, वहीं मूल्यों, मानदंडों, विश्वासों और परंपराओं को सीखने के साथ–साथ, उनके व्यक्तित्व के लगभग सभी पक्षों का विकास होना भी शुरू हो जाता है। अतः यही समय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का सामी है जो उनके पूरे जीवन काल को प्रभावित करता है। विद्यार्थी विद्यालायी शिक्षा के दौरान अंतक्रिया के माध्यम से सामाज के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका के महत्व से भी परिचित हो जाते है। नई शिक्षा नीति 1986 में विद्यालयी शिक्षा का ढांचा 2+10 था जिसमें 10 वर्षों में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5), उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8), माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12) था. जबकि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को समूहिक रूप से प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary Education) के नाम से तथा कक्षा 11 और 12 को उच्चतर माध्यमिक के नाम से जाना जाता था।

नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के मूलभूत ढांचे 2+10 में परिवर्तन कर इसे 4+3+3+5 कर दिया गया है। इस नई नीति में विद्यालयी शिक्षा को निम्न 4 स्तरों में विभाजित किया गया हैः–

1. फाउंडेशनल स्टेज (Foundational Stage), आंगनवाड़ी/प्री–स्कूल के 3 साल + प्राथमिक के 2 साल (कक्षा 1–2) 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित।
2. प्रीपरेटरी स्टेज (Preparatory stage), 3 साल (कक्षा 3–5) 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित।
3. मिडिल स्कूल स्टेज (Middle school stage), 3 साल (कक्षा 6–8) 11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित।
4. सेकेंड्री स्टेज (Secondary stage), 4 साल (कक्षा 9–12) 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित (2 फेज में, यानी पहले फेज मे कक्षा 9 और 10 और दूसरे फेज में 11 और 12)।

शिक्षा समाज को एक सूत्र में बांधती है। यह सामाजिक एकजुटता एवं राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने वाले मूल्य प्रदान करती है।

भारतीय विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के सामने आज का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य 'अधिगम परिणामों (लर्निंग आउटकम)' में सुधार करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act.), मध्याहन भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी पहलों के माध्यम से, भारतीय स्कूल प्रणाली ने सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुँचने का प्रयास किया है जिसमें एक सीमा तक सफलता भी मिली है।

7.4 दिव्यांगजनों के लिए विद्यालयी शिक्षा

प्रत्येक विद्यार्थी अपने में विशिष्ट तथा दूसरों से भिन्न होता है। समाज में अनेक स्तरों पर यह भिन्नता पाई जाती है दिव्यांगता भी इन्हीं भिन्नताओं में से एक है। दिव्यांगता का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के समकक्ष ही माना जाता है। क्योंकि पशुओं से जूझते हुए या प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य कई बार दिव्यांगता का शिकार हो जाता था। तब से अब तक दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में अनेक उतार–चढ़ाव आए। वर्तमान समय में अनेक ऐसे अधिनियम/कानून बन गए हैं जो दिव्यांगजनों को अन्य गैर दिव्यांग लोगों के समान अधिकार दिलाने तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का रास्ता प्रशस्त करते हैं। इस कड़ी में मानसिक स्वास्थ अधिनियम, 1987 (Mental Health Act-), भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 (Rehabilitation Council of India), निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 (Persons with Disabilities Act.) विकलांगजनों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2006 (Education Policy for Disabled) तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

(Rights of Persons with Disabilities Act.) शामिल है। इन सभी अधिनियमों के साथ–साथ शिक्षा से संबन्धित नीतियों जैसे नई शिक्षा नीति 1986 और नई शिक्षा नीति 2020 में भी दिव्यांगजनों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 में जहां शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांगों को समाज के सभी संसाधनों का बराबर हकदार बनाने पर बल दिया गया है वहीं उनकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अधिक संख्या होने पर जिला स्तर पर छात्रावास की व्यवस्था पर भी बल देने की बात की गई है। आज दिव्यांगजनों की शिक्षा, विशेष शिक्षा से शुरू होकर एकीकृत शिक्षा से होती हुई समवेशी शिक्षा तक आ पहुंची है। वर्तमान में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दोनों मॉडल चाहे वो विशेष शिक्षा हो या समवेशी शिक्षा हो, उपलब्ध है। समय के साथ– साथ हमारा देश भी पूर्ण समावेशन की ओर बढ़ रहा है जिसमें दिव्यांगजन, गैर दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करते है।

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए पहले इनकी आवश्यकताओं को समझना आवश्यक है। विभिन्न दिव्यंगता वाले बच्चों की सोचने, समझने सीखने तथा समायोजन करने आदि की योग्यताएँ एवं आवश्यकताएँ भिन्न होती है। दिव्यंगता के विभिन्न आधार हो सकते हैं जैसे शारीरिक दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, दृष्टि दिव्यांगता तथा श्रवण एवं वाणी विकार इत्यादि। सभी दिव्यांगता से ग्रसित विद्यार्थियों में दिव्यांगता की मात्रा भी अलग होती है अतः वास्तविक समावेशन के लिए हर प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चों को उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रह सके। शिक्षा के समावेशन के उद्देशय को पूरा करने के लिए भारत के लगभग सभी राज्य अपने–अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड आदि कुछ राज्यों ने तो विद्यालयों का सर्वेक्षण करने के बाद विशेष शिक्षकों के नियमित भर्तियाँ प्रारम्भ कर दी है जबकि अन्य राज्य संविदा एवं गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के माध्यम से दिव्यांगों तक शिक्षा पहुँचने में प्रयासरत है। आज शिक्षा को सभी के लिए अर्थपूर्ण बनाने के अनेकों प्रयास किए जा रहे है। दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु दिवयांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अध्याय 31 (1) में प्रावधान है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत दिव्यांगजन अपने घर के पास वाले विद्यालय में अपनी पसंद से 6 से 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त एवं निशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग तथा शीघ्र हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप सामने आई दिव्यांगता के अनुरूप विद्यार्थियों को सेवाएँ मुहैया करवाई जाएंगी। अतः यह कहना उचित होगा कि सरकार द्वारा अनेक तरीकों से यह प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे।

बोध प्रश्नः–नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1. नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का ढांचा क्या था?

(क) 2+10 (ख) 4+8 (ग) 3+9 (घ) 4+3+5

.....

.....

प्रश्न 2. नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का नया ढांचा क्या था?

(क) 4+4+3+5 (ख) 5+3+2+5 (ग) 4+3+3+5 (घ) 2+3+3+5

.....

.....

प्रश्न 3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया?

(क) 2014 (ख) 2015 (ग) 2016 (घ) 2017

.....

.....

7.5 विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण:

सीखना एक सतत ,सहज ,निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमे बच्चे अपने वातावरण से परस्पर अंतक्रिया करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं सीखता है । बच्चे अपने आस पास की चीजो से जुड़े रहते है। खोजबीन करना, सवाल पूछना, करके देखना, अपने अर्थ बनाना बच्चो की स्वाभाविक प्रकृति होती है इसी को समर्थित करने वाले शिक्षण को विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण कहॉ जाता है जो रचनवाद के सिद्धांत पर आधारित है। रचनावाद के अनुसार विद्यार्थी अपने अनुभव तथा सामाजिक अंतःक्रिया करके अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ एकीकृत करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी होता है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, नियोजन तथा कार्यान्वयन सभी विद्यार्थी को ध्यान में रख कर किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सीखने–सिखाने से संबन्धित पूरी स्वायतता एवं स्वतन्त्रता दी जाती है तथा शिक्षक एक दोस्त, सहयोकर्ता तथा मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। यह शिक्षण विद्यार्थियों को आजीवन सीखने के लिए प्रेरित करने के साथ–साथ समस्या समाधान, उचित प्रबंध, सक्रियता तथा तार्किक चिंतन में समर्थ करती है। इसमें विद्यार्थी क्या सीखना चाहते हैं पर ध्यान दिया जाता है ताकि विद्यार्थी अपनी पूरी रुचि के साथ भाग लेते है, वे स्वयं पाठ्य विषय का चयन करते हैं तथा कितना सीखा उसका मूल्यांकन करने में भी सक्षम हो पाते हैं। सीखने–सीखाने की प्रक्रियाओं में से महान शिक्षाविद जॉन डेवी जो प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे ने विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त माना है। उनके अनुसार शिक्षा एक सक्रिय, सामाजिक तथा गैर भावानात्मक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अपने कक्षा वातावरण में अपने अनुभवों से गंभीर रूप से सोचना तथा दुनिया की समस्याओं को हल करना सीखते हैं। रोजर्स ने लिखा है कि शिक्षा जो व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, वह स्वयं की खोज है। मारिया मोंटेशरी भी विद्यार्थी–केंद्रित शिक्षा की अग्रदूत थीं, जहां पूर्व स्कूली बच्चे पहले से प्रस्तुत गतिविधियों के साथ स्वतंत्र स्व–निर्देशित अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं।

विद्यार्थी–केंद्रित शिक्षा बदलते समय की मांग भी है क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया की पारंपरिक या शिक्षक–केंद्रित पद्धति (जिसमें शिक्षा का केंद्र शिक्षक हो) के विपरीत छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में रखती है। आर्मस्ट्रांग (2012) ने भी दावा किया था कि पारंपरिक शिक्षा, शिक्षार्थियों की जिम्मेदारी की उपेक्षा या दमन करती है। विद्यार्थी केन्द्रित, शिक्षार्थी के व्यवहार को स्व–केंद्रित, स्व–निर्धारित तथा स्व–निर्देशित करता है। जब छात्रों को अपने सीखने का आकलन करने की अनुमति दी जाती है, तो सीखना एक प्रोत्साहन बन जाता है, जो कि अधिक सार्थक होता है। छात्रों को कक्षा के केंद्र में रखने से उन्हें अपने स्वयं के मूल्य का आकलन करने की अनुमति मिलती है जो उच्च स्तर की आंतरिक प्रेरणा पैदा करता है।

शिक्षा व्यवस्था में समय की मांग, जागरूकता तथा शोधों के परिणामस्वरूप अनेक सुधार हुए हैं। इन्हीं सुधारों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) को मुख्य स्थान प्राप्त है जिसके अनुसार विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से एक विद्यार्थी के समग्र विकास हेतु अपनाये जाने वाले कुछ उपाय निम्नलिखित हैः–

1. ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना।
2. शिक्षा को रटने की पद्धति से अलग करना।
3. बच्चों के समग्र विकास हेतु पाठ्य पुस्तक केन्द्रित बने रहने के स्थान पर पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना।
4. कक्षा में परीक्षाओं को अधिक लचीला एवं एकीकृत बनाना।
5. देश की लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के भीतर एक ऐसी पहचान को पोषित करना जिसमें रूढ़ियों और स्थापित मान्यताओं को अस्वीकार करने का साहस तथा समाज के व्यापक हित को समझने की क्षमता हो।

7.6 दिव्यांगों के लिए विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अध्याय 31 (1) तथा (2) में प्रावधान है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत दिव्यांगजन अपने घर के पास वाले विद्यालय में अपनी पसंद से 6 से 18 वर्ष की

आयु तक मुफ्त एवं निशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकता है तथा सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण इसके लिए प्रयास करेंगे। नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान है कि हर दिव्यांग बच्चे को अन्य बच्चों के समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उचित तंत्र स्थापित करेगी। दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के परिपेक्ष्य में विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। समावेशी शिक्षा में किसी भी दिव्यांग बच्चे को विद्यालय में प्रवेश मिलने से ही शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता बल्कि उसे अर्थपूर्ण शिक्षा मुहैया करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अतः यह अति आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थी को केंद्र मानकर विद्यार्थी की दिव्यंगता, उसके प्रभाव, अवशिष्ट ज्ञानेन्द्रिय शक्ति एवं क्षमता के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए तथा उसी के अनुरूप विशेष पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण के तरीकों की व्यवस्था की जाए। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यालय में किसी दृष्टिबधित विद्यार्थी का प्रवेश होता है निम्नलिखित चरणों के माध्यम से उसके लिए आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था की जा सकती हैः–

1. पता लगाना कि विद्यार्थी बिलकुल दृष्टि दिव्यांग है या आंशिक दृष्टिवान।
2. सीखने सीखाने से संबंधित उसकी विशेष आवश्यकताओं का पीटीए लगाना।
3. यदि अल्पदृष्टिवान है तो आवश्यकता के अनुरूप आवर्धक लेंस की व्यवस्था करना।
4. अल्पदृष्टिवान होने कि स्थिति में बड़े छापे वाली पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना।
5. पूर्ण दृष्टिबधित होने पर ब्रेल में पाठयसामग्री की व्यवस्था करना।
6. कक्षा में एक सकारात्मक तथा सहयोगात्मक वातावरण तैयार करना।
7. विद्यालय में उचित रंगों के दृश्य तथा श्रव्य संकेतों वाली शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना।
8. स्पर्श आधारित शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना।
9. अवरोध रहित वातावरण सुनिश्चित करना इत्यादि।

7.7 सहपाठी समूह समर्थन (Peer Group Support):

सहपाठी समूह समर्थन विद्यालयी वातावरण का एक मुख्य घटक है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें शैक्षिक निर्देश और सामाजिक कौशल का समर्थन करने वाली सीखने की गतिविधियों में भाग लेने के लिए छात्रों को जोड़े या छोटे समूहों में रखना शामिल है। सहपाठी शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथ पढ़ने वाले। सहपाठी शिक्षण सीखने–सीखाने की एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी अपने आयु वर्ग के बच्चों के साथ समूहों में स्वतन्त्र रूप से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में परस्पर समस्याओं का निवारण करते हैं। वे पाठ्य–वस्तु सम्बन्धी तथ्यों, सिद्धान्तों, नियमों आदि पर आधारित अधिगम करते हैं। सहपाठी समूह अधिगम या समवयस्क या सहयोगी अधिगम के अन्तर्गत सीखने वालों को समूहों में बाँट लिया जाता है। इस निर्देशात्मक दृष्टिकोण के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों या अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक शोध–आधारित कार्यप्रणाली है जो छात्रों की उपलब्धि से संबंधित सकारात्मक परिणाम देती है और समय के साथ अपनेपन की भावना पैदा करती है। पीयर सपोर्ट शिक्षकों को दिव्यांग और गैर दिव्यांग छात्रों के लिए निर्देश बढ़ाने के लिए एक शिक्षण उपकरण प्रदान करता है। वे विषय वस्तु से संबन्धित कठिनाइयों तथा विचारों का आदान–प्रदान करते हुए अपने साथियों की समस्याओं का निवारण भी करते हैं। विद्यार्थियों को अपने साथियों के साथ खुले मन से विषय–वस्तु पर आधारित अपने विचार रखने, अन्य कोई मदद मांगने तथा दूसरों के विचारों पर अपनी राय देने की स्वतंत्रता होती है।

7.7.1 सहपाठी समूह समर्थन के प्रमुख बिन्दु

1. सहपाठी समर्थन समूह में बच्चे अपने साथियों से सीखते हैं।
2. सहपाठी समर्थन समूह में विद्यार्थी खुले मन से अपने विचार रखते हैं।
3. सहपाठी समर्थन समूह में अध्यापक का कार्य निर्देश देना, सहयोग करना तथा समस्या समाधान हेतु प्रेरित करना होता है।

4. आवश्यकता पढ़ने पर विद्यार्थी शिक्षकों से परामर्श कर सकते हैं तथा समस्या का समाधान जान सकते है।
5. सहपाठी समर्थन समूह से विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने तथा विषय वस्तु को नए ढंग से सोचने का अवसर मिल जाता है।
6. सहपाठी समर्थन समूह से विद्यार्थियों में नई सोच, समझ तथा समस्या समाधान की प्रवृति का विकास होता है।
7. सहपाठी समर्थन समूह में सीखने–सिखाने से विद्यार्थी स्व–मूल्यांकन करना सीखते हैं।
8. सहपाठी समर्थन समूह में विद्यार्थी, शिक्षकों की अपेक्षा विद्यार्थियों से जल्दी सीखते है।
9. सहपाठी समर्थन समूह में गैर दिव्यांग विद्यार्थी अपने दिव्यांग साथी को पढ़ाई, मोबिलिटी, स्व–प्रबंधन इत्यादि में भी सहयोग करते है।
10. इसके माध्यम से विद्यार्थियों में हम साथ है की भावना का विकास होता है।

7.7.2 दिव्यांग तथा गैर दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु सहपाठी समर्थन समूह का महत्व:

1. संचार कौशल का विकास सहपाठी समर्थन समूह से दिव्यांग विद्यार्थियों के संचार कौशल में विकास होता है। विद्यार्थी को एक अच्छा माहौल मिलता है अतः वे बिना किसी दबाव या झिझक के आपस में सीखने– सिखाने से संबन्धित वार्तालाप करते हैं क्योंकि वे अपने शिक्षक की तुलना में सहपाठियों के मध्य सहज महसूस करते हैं जिससे उनमें संचार हेतु आत्मविश्वास बढ़ता है।
2. सामूहिकता की भावना सहपाठी समर्थन समूह में दिव्यांग तथा गैर दिव्यांग विद्यार्थियों में सबको साथ लेकर चलने की प्रवृति का विकास होता है। वे अपने साथ के समूह के सभी बच्चों को साथ लेकर चलते हैं, किसी बच्चे के पिछड़ जाने पर उसकी मदद करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सहपाठी शिक्षण में जहां विद्यार्थी एक दूसरे को अच्छे से समझने में सक्षम होते हैं वहीं विद्यार्थियों में सामूहिकता (हम एक साथ है) की सोच का भी विकास होता है।
3. सीखने–सिखाने की रुचिकर पद्धति सहपाठी समर्थन समूह विद्यार्थियों को बिना किसी दबाव के सीखने और अपने विचारों को सबके समक्ष रखने की आजादी देता है जिससे विद्यार्थी जहां अपना सही मूल्यांकन कर पाने में सक्षम होते हैं, वहीं सीखने में पूरी रुचि लेते हैं एवं अपनी कमियों को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं।
4. बेहतर परिणाम आधिकतर यह देखा गया है कि सहपाठी शिक्षण–अधिगम से विद्यार्थी किसी भी अवधारणा या समस्या को सुलझाने में रुचि के साथ अपना पूरा प्रयास करते हैं फलस्वरूप इसके परिणाम हमेशा शिक्षक द्वारा पढ़ाये या समझाये जाने की तुलना में बेहतर होते हैं।
5. नेतृत्व कौशल सहपाठी समर्थन समूह में जब एक विद्यार्थी बाकी अन्य को किसी भी अवधारणा को उसके हिसाब से समझाने का प्रयास करता है तो कहीं न कहीं वह उन सबको नेतृत्व प्रदान कर रहा होता है, जबकि बाकी सभी सहपाठी उसे ध्यान से सुन रहे होते हैं। वह सीखता है कि किस प्रकार अपनी बात को सबके सामने रखना है।
6. समग्र विकास में सहायक सहपाठी समर्थन समूह के दौरान दिव्यांग विद्यार्थियों को यह अवसर मिलता है कि वे अपने गैर दिव्यांग साथियों के साथ–साथ अनेक गतिविधियों में भाग लें। साथ मिलकर काम करने से उनमें अनेक नए विचार, मूल्य, कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान इत्यादि गुणों का विकास होता है जो उनके समग्र विकास में मदद करते हैं।

7.7.3 **दिव्यांग छात्रों के होने वाले कुछ लाभ:**

- पूर्ण समाजीकरण
- अकादमिक, सामाजिक और व्यवहार कौशल के लिए पीयर रोल मॉडल
- **IEP** लक्ष्यों की उपलब्धि में वृद्धि
- अधिक वास्तविक अनुभवों की प्राप्ति
- सामान्य पाठ्यक्रम तक अधिक पहुंच
- कौशल अधिग्रहण और सामान्यीकरण में वृद्धि
- विद्यालयी वातावरण में पूर्ण समावेश
- बातचीत के अधिक अवसर
- अपनी बात रखने का अवसर
- स्वयं से अधिक उम्मीदें
- सहपाठियों तथा स्कूल स्टाफ का सहयोग
- माता–पिता की भागीदारी में वृद्धि
- परिवार तथा समुदाय में समावेशन में आसानी

7.7.4 **सहपाठी समर्थन समूह के मॉडल:** वर्तमान समय में सहपाठी समूह समर्थन के मुख्य तीन मॉडल बताए जाते हैं। जिनका उपयोग सामान्य शिक्षा वातावरण में दिव्यांग छात्रों की शिक्षण और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, इन मॉडलों में से प्रत्येक के लिए अग्रिम योजना की आवश्यकता होती है जिसमें सही प्रकार की रणनीति का चयन करना, सही समय पर इसका उपयोग करना तथा व्यक्तिगत क्षमताओं का पाठ्य सामग्री के लक्ष्यों के साथ गठबंधन करना शामिल है।

1.**सहयोगात्मक अधिगम** – सहयोगात्मक शिक्षण–अधिगम सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी आपस में मिलजुलकर सीखते–सिखाते हैं। इसे "सकारात्मक परस्पर निर्भरता का स्वरूप" भी कहा जाता है। शिक्षक द्वारा सिखाए गए कौशल को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक निर्देशात्मक रणनीति है। यह शिक्षण पद्धति छात्रों को उच्च–स्तरीय सोच कौशल का उपयोग करने के लिए अभ्यास, समीक्षा और अवसरों के लिए समय देती है।

2.**क्रॉस–एज पीयर सपोर्ट-**क्रॉस–एज पीयर सपोर्ट एक पद्धति है जो समावेशी शिक्षा वातावरण में सीखने में सहायता करती है। इस दृष्टिकोण में आमतौर पर बड़ी कक्षाओं के छात्र शामिल होते हैं। आमतौर पर हाई स्कूल की उम्र के, जो प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए निर्देशात्मक सहायता प्रदान करते हैं।

3.**पीयर मॉडलिंग-** पीयर मॉडलिंग एक अन्य सहायता है जिसका उपयोग छात्रों को शैक्षणिक, प्रक्रियाओं और कक्षा की दिनचर्या सीखने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। यह कक्षा शिक्षक को निर्देश में सहायता करने, निर्देशों को स्पष्ट करने और पाठ में बहुत कम या बिना किसी व्यवधान के सामाजिक अनुस्मारक देने के लिए साथियों का उपयोग करने के अवसर भी प्रदान करता है। यह साथियों के लिए छात्रों के उचित व्यवहार मॉडल प्रदान करने का एक शानदार तरीका है, जिन्हें अपने सामाजिक कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है।

बोध प्रश्नः—नीचे दिए प्रष्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 4- दिव्यांगों के लिए शिक्षा का अधिकार का वर्णन दिवयांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कौन से अध्याय में किया गया है?

(क) 31 (ख) 32 (ग) 33 (घ) 34

.....

.....

.....

प्रश्न 5- सहपाठी समर्थन समूह में विद्यार्थी सीखते हैं?

(क) सहयोग (ख) समर्थन (ग) अपने विचार रखना (घ) उपरोक्त सभी

.....

.....

प्रश्न 6- निम्नलिखित में से कौन सा सहपाठी शिक्षण का मॉडल है?

(क) सहयोगात्मक मॉडल (ख) क्रॉस एज पियर स्पोर्ट (ग) पियर मॉडलिंग (घ) उपरोक्त सभी

.....

.....

प्रश्न 7- शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ?

(क) 2006 (ख) 2007 (ग) 2009 (घ) 2012

.....

.....

7.8 सारांश:

समय के साथ—साथ शिक्षा के स्वरूप मे परिवर्तन समय की मांग है। वर्तमान समय व्यक्तिगत केन्द्रित शिक्षा का समय है जिसका उद्देश्य है कि कोई भी शिक्षा से वंचित न रह सके। सीखने—सिखाने के अनेकों नए तरीके जो विद्यार्थियों के सीखने की गति, क्षमता तथा समझ का विकास कर सके, को अपनाया जा रहा है। सहपाठी समर्थन समूह उनमें से एक है। सहपाठी समर्थन समूह के अन्तर्गत सीखने वालों को सीखने—सिखाने के उद्देश्य से विभिन्न समूहों में बाँट दिया जाता है। सीखने वाले छात्रों को अपने साथियों के साथ खुले मन से विषय—वस्तु पर आधारित अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं को स्वयं निराकरण करने, स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें समाधान निकालने के लिए अवसर प्रदान करना होता है। सहपाठी शिक्षण से विद्यार्थियों में तार्किकता तथा समस्या समाधान क्षमता का विकास होता है। आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी शिक्षक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समूह अधिगम में छात्र अधिक स्वतंत्र होने के कारण समस्या के समाधान में अपने विचारों को पूर्णरूप से प्रकट कर सकते हैं तथा विद्यार्थियों को आपस की समझ बढ़ाने तथा दूसरे साथियों को समझने का भी अवसर मिलता है। ये सभी विशेषताएँ दिव्यांगजनों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कई अवधारणाओं या संप्रत्ययों को समझने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है अतः सहपाठी शिक्षण में उन्हें सीखने—सिखाने के लिए पर्याप्त समय व सहपाठियों से मदद मिल जाती है। साथ मिलकर काम करने से उनमें अनेक नए विचार, मूल्य, कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान, अनुशासन तथा सहयोग इत्यादि गुणों का विकास होता है जो उनके समग्र विकास में मदद करते हैं।

7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर:

उत्तर 1- (क)

उत्तर 2- (ग)

उत्तर 3- (ग)

उत्तर 4- (क)

उत्तर 5- (घ)

उत्तर 6- (घ)

उत्तर 7- (ग)

7.10 अभ्यास कार्य

प्रश्न 1- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विद्यालयी शिक्षा की व्याख्या कीजिए?

प्रश्न 2- विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभदायक है?

7.11 चर्चा के बिन्दु

प्रश्न 1- सहपाठी समर्थन समूह क्या है? शिक्षा में इसके महत्व पर अपने विचार दीजिए।

7.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- NIVH. (2015). Drishti viklangta (adhyapkon hetu ek sansadhan pustak, Dehradun. India.
- AICB. (2004). Shikshak prashikshan lekhmala. Delhi, India.
- AICB. (2011). Drishti Badha Sikshan. Delhi, india.
- Kumar, P. & Das, H. (2022). Vistarit Mool Pathyacharya- NIEPVD. Dehradun, India.
- Walia,J.S. (2008). Development of Educational System in India. Jalandhar City Punjab. India.
- Walia,J.S. (2007). Educational Technology. Jalandhar City Punjab. India.

इकाई 8 अवस्थान्तर; व्यक्तिगत अवस्थान्तर नियोजन, स्व–निश्चयन का विकास तथा स्व–प्रबंधन कौशल

इकाई संरचना

8.1 प्रस्तावना

8.2 उद्देश्य

8.3 अवस्थान्तर

8.4 व्यक्तिगत अवस्थान्तर नियोजन

8.4.1 दिव्यांगजनों हेतु व्यक्तिगत अवस्थान्तर नियोजन के आधार

8.4.2 एक अच्छी व्यक्तिगत अवस्थान्तर योजना के गुण

8.5 घर से विद्यालय में अवस्थान्तर

8.5.1 घर से विद्यालय अवस्थान्तर में माता पिता की भूमिका

8.5.2 घर से विद्यालय अवस्थान्तर में शिक्षक तथा विद्यालय की भूमिका

8.6 प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों के लिए अवस्थान्तर

8.6.1 प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालयों के लिए अवस्थान्तर में माता पिता की भूमिका

8.6.2 प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालयों के लिए अवस्थान्तर में शिक्षक तथा विद्यालय की भूमिका

8.7 स्व–निश्चयन

8.7.1 दृष्टिदिव्यांग एवं स्व–निश्चयन

8.7.2 स्व–निश्चयन के घटक

8.7.3 स्वनिश्चयन का प्रशिक्षण

8.8 स्व–प्रबंधन

8.8.1 स्व–प्रबंधन को बेहतर करने के उपाय

8.9 सारांश

8.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.11 अभ्यास कार्य

8.12 चर्चा के बिन्दु

8.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

8.1 प्रस्तावना:

अपने पूरे जीवन काल में हम अनेक स्तरों में से होकर गुजरते हैं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गृहस्थ तथा प्रौढ़ावस्था इत्यादि। पूरे जीवन का हर नया स्तर पिछले से बेहतर तथा अधिक अनुभव देने वाला होता है। समाज एवं हमारे आस–पास के लोगों द्वारा हर स्तर पर हम सबसे कुछ उम्मीदें की जाती है। हमें संयमित होकर व्यवहार करना होता है ताकि हम सबकी उम्मीदों पर खरे उतर सकें। इसमें हम तभी सफल हो पते हैं जब हम अपने आस–पास के माहौल को समझना सीख जाते हैं कि वो हमसे क्या चाहते

हैं। किन्तु एक दृष्टि दिव्यांगजन के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है कि विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में वह कैसे सामजस्य बैठाए। इसके लिए उसे विशेष प्रकार के प्रशिक्षण कि आवश्यकता होती है। अतः सभी परिस्थितियों का अध्ययन करके हर दृष्टि दिव्यांग के लिए एक व्यक्तिगत अवस्थान्तर योजना तैयार की जाती है तथा उसी के अनुरूप विद्यार्थी विशेष को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

8.2 उद्देश्य:

- दृष्टि दिव्यांगजन विद्यार्थियों के जीवन में अवस्थान्तर, उसके विभिन्न स्तरों के विषय में जानेंगे।
- अवस्थान्तर के विभिन्न स्तरों में आने वाले मुख्य परिवेर्तनों को समझ सकेंगे।
- अवस्थान्तर नियोजन।
- अवस्थान्तर नियोजन में अभिभावक, विद्यार्थी तथा शिक्षक कि भूमिका।
- अवस्थान्तर स्तरों के बीच समन्वय के विषय में समझ विकसित कर पाएंगे।
- स्व–निश्चयन की अवधारणा, विकास तथा महत्व को समझ सकेंगे।
- स्व–प्रबंधन की आवश्यकता तथा लाभ के बारे में जान सकेंगे।

8.3 अवस्थान्तर:

धरती पर जीवन गतिशील है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह भी सत्य है कि मनुष्य को स्वयं को बदलती प्रकृति के अनुरूप बदलना पड़ता है अगर कोई मनुष्य ऐसा नही करेगा तो समाज में उसे समायोजन से संबन्धित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि कहा भी जाता है कि मनुष्य धरती पर उपस्थित जीवों में बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ है अतः वो जीवन के बदलते स्तरों के अनुरूप संसाधन जुटाता है तथा समय–समय पर स्वयं को समय कि मांग के अनुरूप अद्यतन करता रहता है। वह बीते हुए समय कि अपनी आदतों तथा अनुभवों का जीवन की नई परिस्थितियों के साथ समन्वय बैठाता हुआ जीवन में आगे बढ़ता रहता है। विद्यार्थियों के जीवन में एक स्तर को पूरा कर अगले में प्रवेश करने को अवस्थान्तर कहते हैं यह जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। नए जीवन स्तर में उचित समायोजन हेतु उचित अवस्थान्तर नियोजन होना अति आवश्यक है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अवस्थान्तर थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि दिव्यांगता के कारण सूचनाओं तथा ज्ञान के स्त्रोत कम हो जाते हैं ऐसे में अवस्थान्तर की एक सटीक योजना का होना अति आवश्यक हो जाता है। अतः विद्यालय एवं समाज में उचित समावेशन हेतु सटीक एवं प्रभावी अवस्थान्तर योजना का होना आवश्यक है।

8.4 व्यक्तिगत अवस्थान्तर नियोजन:

अवस्थान्तर योजना शिक्षकों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों से सरोकार रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का योग है। इससे विद्यार्थी को घर से विद्यालय जाने में, विद्यालय में समायोजन करने में, प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक, कॉलेज, व्यवसाय, रोजगार, गृहस्थ आदि में अवस्थान्तर करने तथा समाज में समायोजन करने में मदद मिलती है। अवस्थान्तर नियोजन विद्यार्थियों के व्यवहारों को निर्देशित करता है। सकारात्मक परिणाम होने पर यह नियोजन विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत हो सकता है। विद्यार्थी यदि दिव्यांग है तो उसके लिए अवस्थान्तर नियोजन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अवस्थान्तर के फलस्वरूप विद्यार्थी के समक्ष नई परिस्थितियाँ, कार्यक्रम, साथी, समाज, सेवा प्रदाता तथा नया माहौल होता है। विद्यार्थी के दृष्टि दिव्यांग होने की स्थिति में उसे इन सब बातों का सामना करना पड़ता है। यदि अवस्थान्तर नियोजन सही ढंग से किया गया है तथा उसे अच्छे से लागू किया गया है तो दृष्टि दिव्यांग भी आसानी से समाज के नए ढांचे में स्वयं को समायोजित कर सकता है। अवस्थान्तर नियोजन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित होता है तथा इसे जितनी जल्दी इसका कार्यान्वयन शुरू किया जाए उतना ही

लाभदायक होता है।

8.4.1 दिव्यांगजनों हेतु व्यक्तिगत अवस्थान्तर नियोजन के आधार:

- विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताएँ
- विद्यार्थियों की योग्यता
- अवशिष्ट ज्ञानेन्द्रियों की कार्यात्मक क्षमता
- विद्यार्थियों की रुचि
- विद्यार्थियों के लक्ष्य
- उनके अतीत के अनुभव तथा उपलब्धियां
- संबन्धित समाज तथा परिवेश
- अवरोधरहित वातावरण

8.4.2 एक अच्छी व्यक्तिगत अवस्थान्तर योजना के गुण

- विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकों में तालमेल।
- अवस्थान्तर योजना विद्यार्थी को क्रियाशील बनाती है।
- अवस्थान्तर योजना विद्यार्थी को प्रोत्साहित करती है।
- यह विद्यार्थी की रुचियों तथा उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए।
- अवस्थान्तर योजना का उद्देश्य पूर्ण समावेशन की ओर ले जाना होता है।
- नियोजन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर होना चाहिए।
- सभी संबन्धित लोगों तथा विद्यालय परिवेश को अवस्थान्तर योजना के अंग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
- अवस्थान्तर योजना विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता, दिव्यंगता की मात्रा, प्रभाव, मानसिक आयु इत्यादि को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए।

8.5 घर से विद्यालय में अवस्थान्तर:

घर का वातावरण बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण होता है। घर का प्रत्येक सदस्य बच्चे से प्यार करता है तथा उसका ख्याल रखता है। किन्तु जैसे ही वे विद्यालय जाते हैं तो उस समय उनके अभिभावक तथा शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो अवस्थान्तर सभी बच्चो के लिए एक चुनौती होता है लेकिन दृष्टि दिवयंगजनों के माता–पिता और शिक्षकों के लिए के लिए ये चुनौतियाँ और बढ़ जाती है, क्योंकि अधिकतर माता–पिता बड़ी मुश्किल से अभी बच्चे की विकलांगता की स्थिति को स्वीकार कर पाते हैं दूसरी चुनौती उनके लिए विद्यालय के चयन की होती है। विद्यालय चयन के पश्चात माता पिता, शिक्षकों तथा संबन्धित लोगों का सहयोग दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी के लिए एक सकारात्मक अनुभव हो सकता है जो कि बच्चे के आत्मविश्वास एवं उपलब्धियों को बढ़ाएगा।

8.5.1 घर से विद्यालय अवस्थान्तर में माता पिता की भूमिका:

- शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप हेतु प्रयास करें

- बच्चे के मन में विद्यालय के प्रति सकारात्मक छवि प्रस्तुत करें
- बच्चों को पर्याप्त समय दें कि वो दूसरे बच्चों के साथ समय व्यतीत करे।
- बच्चों को खेलने के लिए प्राप्त अवसर दें।
- बच्चों को किताबें पढ़कर सुनाएं और तस्वीरों और कहानी के बारे में बात करें।
- बच्चों को सरल निर्देशों का पालन करना और अपने मन से कार्य करने के अवसर उपलब्ध करवाएँ।
- बच्चे की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करें।
- ब्रेल पढ़ने को तैयार करने हेतु उसे उन्मुख करें तथा उसकी उंगलियों कि संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए प्रयास करवाएँ।
- बच्चे को खेल के मैदान, इमारत, बाथरूम इत्यादि से परिचित कराएं।
- अपने बच्चे से पूछें कि वह विद्यालय के विषय में क्या सोचता है इससे आपके बच्चे की स्कूल से अपेक्षाओं एवं भावनाओं का ज्ञान होगा।
- स्कूल के बारे में बच्चे से सुनिए और खूब सारी बातें कीजिए।
- बच्चे के प्रति अपने आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को शांत रखें, साथ ही यह भी याद रखें कि नए परिवेश में समायोजन में समय लगता है।
- आपका दृष्टिकोण बच्चे के समायोजन में मदद करेगा।

8.5.2 घर से विद्यालय अवस्थान्तर में शिक्षक तथा विद्यालय की भूमिका:

बच्चा पहली बार परिवार से अलग होकर जब शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय जाता है तो यह बच्चे की अवस्थान्तर अवस्थाओं में सबसे कठिन अवस्था होती है। संवेदनशीलता, बच्चे का समाज के प्रति दृष्टिकोण तथा उसका ज्ञान बच्चे के लिए सहायक होता है। ऐसे अवसर पर विद्यालय से बच्चे कि सही विकास एवं समायोजन हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं कि अपेक्षा कि जाती हैः–

- विद्यालय को माता–पिता की बैठक का आयोजन करना चाहिए।
- बच्चे अपने माता–पिता से अलग होने पर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं उनके साथ चर्चा करें।
- शिक्षक को चाहिए कि बच्चे के अभिभावकों से सामजस्य बैठाएँ एवं अधिक से अधिक बातचीत करें ताकि बच्चे के बारे मे अधिक से अधिक जान सकें। साथ ही जब बच्चा शिक्षक से माता–पिता और अन्य परिजनों की मौजूदगी में मिलता है तब वह सकारात्मक संबंध महसूस करने में सक्षम होता है।
- विद्यालय के अंदर बाधारहित वातावरण की व्यवस्था करें।
- बच्चे कि कक्षाएँ शुरू होने से पूर्व बच्चे को उसके अभिभावकों के साथ विद्यालय में आनेदृजाने व वहाँ के माहौल में घुलने मिलने का अवसर प्रदान करें तथा धीरे–धीरे माता–पिता के विद्यालय में रुकने के समय को कम करते रहें।
- बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके लिए उपयुक्त खेलने कि सामग्री कि व्यवस्था करें।
- जब तक बच्चा विद्यालय के वातावरण में समायोजित नहीं हो जाता उसे उसके माता–पिता कि निगरानी में खेलने कूदने का अवसर दें।

8.6 प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों के लिए अवस्थान्तर:

प्राथमिक विद्यालय में समायोजित हो जाने के बाद विद्यार्थी वहाँ के वातावरण में अनेक वर्ष शिक्षा ग्रहण करता है तथा फिर माध्यमिक विद्यालया के लिए अवस्थान्तर करता है तब उनकी विद्यालय से तथा विद्यालय के विद्यार्थी से अपेक्षाएं बढ़ जाती है। इस अवस्थानतर कि चुनौतियाँ अलग होती है ।अब तक बच्चा शिक्षा की प्रक्रिया तो समझ चुका होता है, किन्तु दृष्टि के अभाव में नए दोस्त बनाना, नए वातावरण के साथ समायोजन एवं अनुस्थिति ज्ञान तथा स्वतंत्र चलिष्णुता की समस्या होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को पूरा सहयोग करें उसे विद्यालय परिसर की अनुस्थिति का ज्ञान करवाए, नए बच्चों के साथ समूह बनाकर गतिविधियों का आयोजन करें तथा सामूहिक खेलों का आयोजन करे एवं सभी बच्चों को उनमें भाग लेने का अवसर दें। माध्यमिक विद्यालय तथा उसके बाद या तो किसी व्यवसायिक प्रशिक्षण में अथवा उच्च शिक्षा में जब दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी जाता है तो दोनों ही स्थितियां उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। शिक्षक तथा अभिभावक दोनों की भूमिका उसके मार्गदर्शन हेतु महत्वपूर्ण होती है। यहां इसके अलावा उसे भावी व्यावहारिक जीवन हेतु भी तैयार करने की आवश्यकता होती है।

8.6.1 प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालयों के लिए अवस्थान्तर में माता पिता की भूमिका:

- बच्चे की क्षमताओं एवं चुनावों पर विश्वास करें।
- बच्चे की उपलब्धियों की सराहना करें।
- बच्चे से बहुत ज्यादा अपेक्षाएँ न रखें।
- बच्चे को अधिक से अधिक सामाजिक क्रियाकलापों में शामिल होने का अवसर प्रदान करे।
- भविष्य के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करने में उसकी सहायता करें।
- दृष्टि दिव्यांग बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करें।
- लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी सहभागिता दें।
- बच्चे को दबाव से मुक्त करने का हर संभव प्रयास करें।

8.6.2 प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालयों के लिए अवस्थान्तर में शिक्षक तथा विद्यालय की भूमिका:

माध्यमिक विद्यालय वह स्थान है जहॉ बच्चे अपने आप को व्यवस्थित करना सीख जाते हैं इस अवस्था में बच्चे अपनी शिक्षा, भविष्य के बारे में सोचना प्रारम्भ कर देते हैं जिस हेतु उन्हें शिक्षक के उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है अतः शिक्षक को चाहिए कि बच्चों का पूर्ण सहयोग करें:

- बच्चों को सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
- बच्चों के साथ सकारात्मक सबंध स्थापित करें ताकि वे आपसे सभी बातों को साझा कर सकें।
- कक्षा की गतिविधियों से संबन्धित निर्देश दिव्यांग विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप होने चाहिए।
- दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सहायक सामग्री की व्यवस्था करना।
- कक्षा में सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करें।
- कक्षा तथा विद्यालय की सभी गतिविधियों में सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें।
- सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें।

- विद्यालय का दायित्व है कि एक अवरोध रहित वातावरण सुनिश्चित करें।
- दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति सभी को जागरूक करें।
- दिव्यांग विद्यार्थी की योग्यताओं और क्षमताओं का सम्मान करें।
- आईसीटी तथा तकनीकी साधनों की व्यवस्था करना।

बोध प्रश्नः—नीचे दिए प्रष्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1- जीवन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने को क्या कहते हैं?

(क) अवस्थान्तर (ख) बाल्यावस्था (ग) परिपक्वता (घ) उपरोक्त सभी

.....

.....

प्रश्न 2- अवस्थान्तर नियोजन विद्यार्थियों के व्यवहार को क्या करता है?

(क) नियंत्रित (ख) निर्देशित (ग) क और ख दोनों (घ) उपरोक्त मेन से कोई नही

.....

.....

प्रश्न 3- दिव्यांगों हेतु व्यक्तिगत अवस्थान्तर नियोजन का आधार है?

(क) विद्यार्थियों की योग्यता (ख) विद्यार्थियों की रुचि (ग) उनके अनुभव तथा उपलब्धियां (घ)उपरोक्त सभी

.....

.....

प्रश्न 4- एक अच्छी अवस्थान्तर योजना का गुण है?

(क) जो विद्यार्थियों को तनाव प्रदान करे (ख)जो विद्यार्थी को क्रियाशील बनाएं (ग)पूर्ण समावेशन(घ)उपरोक्त सभी

.....

.....

प्रश्न 5- दिवयांगता का पता चलते ही माता—पिता का दायित्व होना चाहिए?

(क) अच्छी शिक्षा (ख) अच्छा प्रशिक्षण (ग) शीघ्र हस्तक्षेप (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

.....

.....

8.7 स्व—निश्चयन (Self Determination):

मनुष्य अपनी व्यवहार और जीवन शैली के लिए स्वयं के निर्णयों पर निर्भर करता है। हमारी उपलब्धियां हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करती है। अपने लिए, लिए गए इन्हीं निर्णयों को स्व—निश्चयन के नाम से जाना जाता है। जीवन के अनुभवों एवं समय—समय पर घटित होने वाली घटनाओं से जीवन जीने की प्रक्रिया में परिवर्तन होता रहता हैं। मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां उसके जीवन को कितना प्रभावित करेगी यह उसके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है।

8.7.1 दृष्टिदिव्यांग एवं स्व–निश्चयन:

दृष्टिबाधितों के लिए स्व–निश्चयन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है उनके लिए यह एक ऐसी स्थिति, प्रक्रिया एवं व्यवहार है जो उनके जीवन में प्रारंभ से ही स्कारात्मक व नकारात्मक गुणों का विकास करती है। स्व–निश्चयन दृष्टिबाधितों के लिए उनके जीवन में मील के पत्थर के रूप में जानी जाती है। दृष्टिदिव्यांग के जीवन में दृष्टि दिव्यांगता के कारण कई चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती है जिन्हें उनकी सीमाओं के रूप में भी संबोधित किया जाता है। स्व–निश्चयन से दृष्टिबाधित अपनी चुनौतियों और सीमाओं के साथ संघर्ष करते हुए कई कार्यों को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। जिससे उनके जीवन में कठिन परिश्रम, नैदानिक गुणों का विकास, प्रतिक्रिया की क्षमता में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का विकास भी होता है। दृष्टिबाधितों के लिए स्व–निश्चयन उनके शैक्षिक स्तरों पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्व–निश्चयन से हमारे जीवन में आत्मसम्मान व प्रेरणा का संचार होता है। स्व–निश्चयन एक दृ ष्टिबाधित को स्वयं ही आगे बढ़कर औरों को स्वयं की उपस्थिति का अहसास दिलाता है। स्व–निश्चयन से एक दृष्टि दिव्यांग अपने जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है अर्थात सही के साथ खड़े होने का साहस जुटाता है तथा गलत के खिलाफ खड़ा हो पाने में समर्थ हो पाता है। स्व–निश्चयन केवल निर्णय लेने की क्षमता ही नही बल्कि इसमें दूसरे सहायक कौशल भी शामिल हैं जो दृष्टि दिव्यांगों के लिए दृष्टि के अभाव में उत्पन्न हुई ढेरों चुनौतियों से लड़ने के साथ–साथ उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भी सहायक होते हैं। स्वनिश्चयन पर महारत हासिल करने से एक दृष्टि दिव्यांग अपने जीवन में अनेक समस्याओं से जहां अकेले लड़ पाता है वहीं उसकी दूसरों पर निर्भरता भी कम हो जाती है।

8.7.2 स्व–निश्चयन के घटक:

स्वनिश्चयन एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसमें अनेक घटकों का समावेश है। इसके कुछ मुख्य घटक निम्नलिखित प्रकार से हैं:–

- अनेक विकल्पों में से एक का चुनाव करने की क्षमता
- अपने से संबन्धित निर्णयों को स्वतन्त्रता पूर्वक लेने की क्षमता
- दूसरों का सही मार्गदर्शन करने की क्षमता
- आत्मनिर्भर रूप से समस्या समाधान की क्षमता
- सहयोग की भावना का विकास
- व्यवहारिक कौशलों का विकास
- समुदाय के कार्यक्रमों में बढ़–चढ़ कर प्रतिभाग करने की योग्यता
- उद्देश्य निर्धारण तथा उसके अनुरूप प्रयास करने की क्षमता
- सशक्त इच्छाशक्ति का विकास
- अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता
- आत्म जागरूकता के प्रति संवेदनशील होने की क्षमता
- नेतृत्व व स्वयं के लिए खड़े होने की क्षमता
- प्रोत्साहन एवं प्रतिक्रिया कौशल का विकास
- सकारात्मकता का विकास
- आत्मविश्वास के साथ सम्प्रेषण की क्षमता का विकास

उपरोक्त सभी घटक कहीं–न–कहीं स्वनिश्चयन पर आधारित हैं। दृष्टि दिव्यांग बच्चे, दृष्टि के अभाव में अनेक अनुभवों से वंचित रह जाते हैं जिसके कारण उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। अतः परिवार एवं शिक्षकों को चाहिए कि दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वास्तविक अनुभवों के साथ जोड़ें जिससे उनकी सोचने की क्षमता पर दृष्टि की क्षति का प्रभाव कम से कम परिलक्षित हों। विद्यालयों में वातावरण इतना सकारात्मक होना चाहिए कि दृष्टि दिव्यांग खुद को दृष्टि दिव्यांग न समझे। ऐसा होने से वह आसानी से अपनी चुनौतियों से लड़ सकेगा। परिणामस्वरूप उसमें स्वनिश्चयन जैसे आधारभूत गुणों का विकास सहज ही होने लग जाएगा।

8.7.3 स्व–निश्चयन का प्रशिक्षण:

- स्वनिश्चयन हेतु प्रशिक्षण के लिए बच्चे से संबन्धित सभी चाहे वो शिक्षक हों, सहपाठी हों या फिर परिवार के सदस्य सभी को बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अनुभव प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। स्वनिश्चयन का विकास कुछ दिनों में नहीं हो जाएगा बल्कि यह लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। जिसके कुछ चरण निम्नलिखित हो सकते हैंः–

- जितना संभव हो सके वास्तविक अनुभव ग्रहण करने के अवसर दिये जाने चाहिए।
- भौगोलिक तथा व्यावहारिक वातावरण बाधारहित होना चाहिए।
- सभी सहयोगियों को ध्यान रखना चाहिए कि दृष्टि दिव्यांग अपने सभी कार्य स्वयं या बहुत कम मदद से करें।
- शिक्षा के सभी स्तरों पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए समस्या समाधान, नैदानिक एवं सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए।
- अभिप्रेरणा हेतु नियमित रूप से आदर्श अनुभवों एवं व्यक्तित्व से परिचित कराना चाहिए।
- खेल, शारीरिक स्वास्थ्य व सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता का प्रशिक्षण देना चाहिए।
- विद्यालय तथा समुदाय में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- जब भी समय मिले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक स्थानों का भ्रमण करने ले जाएँ ताकि वास्तविक अनुभवों में बृद्धि हो सके।
- खाली समय में सामाजिक कार्यों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें।
- ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताएं तथा साहित्य के अध्ययन के लिए अभिप्रेरित करें।
- अपने से संबन्धित निर्णय स्वयं लेने दें।
- स्वयं के निर्णयों के परिणाम सही न मिलने पर चिंतन करने में सहायता करें।
- अपनी समस्याओं से खुद निपटने दें।

स्व–निश्चयन प्रक्रिया के प्रशिक्षण के लिए जीवन काल में प्रत्येक अनुभव को प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिनमे से कुछ बिन्दुओं को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। हर एक अनुभव ज्ञान देता है तथा हर ज्ञान अगली बार किसी कार्य को करने के तरीके में बदलाव ला देता है। यही ज्ञान और अनुभव का मेल आत्मविश्वास बढ़ता है तथा बढ़ा हुआ आत्मविश्वास निर्णय लेने की क्षमता पैदा कर देता है।

बोध प्रश्नः—नीचे दिय प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 6- स्व—निश्चयन से हमारे जीवन में किस का संचार होता है?

(क)आत्मसम्मान और प्रेरणा (ख) खेल कूद और मनोरंजन (ग) दुख और परेशानियाँ (घ) उपरोक्त सभी

.....

.....

प्रश्न 7- स्व—निश्चयन के घटक हैं?

(क) सही निर्णय लेना (ख) सही विकल्प चुनना (ग) व्यावहारिक कौशल (घ) उपरोक्त सभी

.....

.....

प्रश्न 8- दृष्टि के अभाव में बच्चे वंचित रह जाते हैं?

(क) प्रेरणा से (ख) दृश्य अनुभवों से (ग) सम्प्रेषण से (घ) कोई नहीं

.....

.....

8.8 स्व—प्रबंधन (Self Management):

स्व—प्रबंधन कौशल कार्यों, भावनाओं और विचारों को विनियमित और नियंत्रित करने की आपकी क्षमता है। स्व—प्रबंधन का अर्थ है अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझना, और जिम्मेदारी को पूरा करना। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति स्व प्रबंधन मे निपुण नहीं है और साथ ही उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना नहीं आता तो ऐसे में वह अपने जीवन के हर पड़ाव में बाहरी दुनिया की ताकतों से प्रभावित होगा। उसे कोई भी क्रोधित कर सकता है, भावुक करके अपने हिसाब से चला सकता है इत्यादि। स्व—प्रबंधन स्वयं के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता है। इसके कुछ उदाहरण हैं सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना, और यह पहचानना कि कब स्वयं को आराम देने की जरूरत है इत्यादि। स्व—प्रबंधन कौशल मे निपुणता श्रमिकों को उत्पादक और स्वायत्त रहने में मदद करता हैं, कार्यस्थल के तनाव को कम करता हैं। स्व—प्रबंधन न होने की स्थिति में हम कोई भी कार्य सही ढंग से तथा समय से पूरा नहीं कर पाते, अव्यवस्थित रहते हैं, अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते, परेशान रहते हैं, क्रोधित होते हैं। स्व—प्रबंधन में स्वयं को प्रेरित करना तथा व्यक्तिगत तथा शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना होता है। स्व—प्रबंधन में निपुणता से जहां समय की बचत होती है वहीं आत्मविश्वास भी बढ़ता है जो अच्छे व्यक्तित्व का एक घटक है।

8.8.1 स्व—प्रबंधन को बेहतर करने के उपाय:

1- एक समय में एक से अधिक कार्य करने से बचें: अपने अंदर स्व—प्रबंधन कौशलों को विकसित करने के लिए यह आवश्यक है की एक समय पर केवक एक ही कार्य की जिम्मेवारी लें। एक समय पर एक से अधिक कार्य करने के प्रयास में आप तनाव का शिकार हो सकते हो। साथ ही एक साथ एक से अधिक कार्यों पर ध्यान केद्रित करना भी कठिन कार्य है। एक समय में एक से अधिक कार्य करना और भी गौरवान्वित करने वाला भी हो सकता है लेकिन दूसरी ओर यह मानसिक तनाव पैदा कर सकता है अतः एक समय पर केवल एक ही कार्य पर ध्यान केन्द्रित करें। कार्यों को प्राथमिकता देना सीखें जिससे एक साथ अनेक कार्य होने पर

उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कर सकें।

2- ध्यान तथा योग करें: योग और ध्यान लगाना हमारी याददस्त, स्वस्थ्य तथा मन–मस्तिष्क के लिए लाभदायक होता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में लोगों के पास समय नहीं है जिसकी वजह से तनाव बढ़ जाता है। स्व–प्रबंधन कौशल का एक मुख्य लक्ष्य ही यही है कि व्यक्ति के अंदर तनाव कम हो। अतः ऐसे में चाहिए कि थोड़ा समय निकाल कर योग कर लिया जाए जिससे तनाव से बचा जा सकता है। रोज 10 से 15 मिनट तक योग या ध्यान करना स्व–प्रबंधन के लिए लाभदायक हो सकता है।

3- खुद को समय दें: कभी–कभी बैठ कर यह विचार करने कि आवश्यकता है कि आपने कब खुद को समय दिया था? हर समय सिर्फ भागदौड़, चिंता, रिश्ते, परिवार, अनेक कार्यों में व्यस्तता में अक्सर हम खुद को समय देना भूल जाते हैं। 1 से 2 घंटे प्रतिदिन खुद को देने चाहिए उसमें आप चाहे खेल खेलें या स्वयं के विषय में चिंतन कर सकते है। समय निकाल कर हमें प्रकृति भ्रमण पर निकालना चाहिए इससे मन को शांति मिलती है जिससे स्व–प्रबंधन में मदद मिल सकती है।

4- बोलने से पहले सोचें: अनेक बार देखा जाता है कि ज्यादा या बिना सोचे बोलने से कार्य बिगड़ जाते हैं। इसलिए कम बोलने और सोचकर बोलने के महत्व को ध्यान में रखकर ही अपनी बात रखनी चाहिए। जोश बिलिंग का कहना है कि इस जीवन की आधी परेशानियां बहुत जल्दी हां और ना कहने से होती हैं। बोलने से पहले सोचना स्व–प्रबंधन का एक मुख्य घटक कहा जा सकता है इससे पता चलता है, कि हमारा खुद पर कितना नियंत्रण है।

5- धैर्य रखने का अभ्यास करें: यह कहना गलत नहीं होगा कि धैर्य सुखी जीवन की कुंजी है। धैर्यवान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्व–प्रबंधन करने में सक्षम होता है। धैर्य रखते हुए हम विपरीत परिस्थितियों में भी बड़े निर्णय लेने में समर्थ हो पाते हैं क्योंकि हर समय परिस्थितियाँ पक्ष में नहीं होती। अतः हमेशा धैर्यवान रहने का अभ्यास करना चाहिए। उपरोक्त के अलावा भी अनेक ऐसे बिन्दु हो सकते हैं जैसे समय का सदुपयोग, समय सारणी का अनुशरण, स्वयं को व्यस्त रखना इत्यादि, जिनपर ध्यान देने या उनका अभ्यास करने से स्व–प्रबंधन को बेहतर किया जा सकता है।

बोध प्रश्नः–नीचे दिए प्रष्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 9**-** स्व–प्रबंधन को बेहतर बनाने के उपाय नहीं हैं?

(क) एक समय में एक ही कार्य करना (ख) एक समय में एक से अधिक कार्य करना (ग) ध्यान तथा योग करना (घ) खुद को समय देना

.....

.....

प्रश्न 10**-** अपने कार्यों तथा जिम्मेवारियों को सही समय पर पूर्ण करने की क्षमता को क्या कहते हैं?

(क) स्व–निश्चयन (ख) स्व–प्रबंधन (ग) उरोक्त दोनों (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

.....

.....

8.9 सारांश:

माध्यमिक विद्यालय के बाद दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी जब व्यावसायिक शिक्षा या उच्च शिक्षा तथा उसके पश्चात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। हर एक अवस्था से अवस्थानतर करने पर उन्हें अनेक चुनौतियों का

सामना करना पड़ता है किन्तु एक सकारात्मक, सहयोगात्मक सामाजिक वातावरण, माता–पिता तथा विद्यालय या शिक्षकों की सहायता से उन चुनौतियों को आसान किया जा सकता है। अवस्थान्तर की सही योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के समायोजन, शिक्षा तथा अपनी क्षमताओं के पूर्ण उपयोग में सहायक होती है। अतः जितनी सटीक अवस्थान्तर की योजना होगी एक दिव्यांग विद्यार्थी का विकास उतने ही सही ढंग से संभव होगा, साथ ही वह अपनी क्षमताओं का पूर्ण सकारात्मक उपयोग करने में सक्षम हो सकेगा। स्व निश्चयन हेतु जितना संभव हो सके दृष्टि दिव्यांग बच्चों को वास्तविक अनुभव लेने के अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। स्व–प्रबंधन हमारी सफलता में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। स्व–प्रबंधन से जहां समय की बचत होती है वहीं आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अतः हमें स्व–प्रबंधन में निपुण होने के लिए आवश्यक अभ्यास तथा प्रशिक्षण लेना चाहिए।

8.10 बोध प्रश्नों के उत्तर:

उत्तर.1- (क)

उत्तर.2- (ग)

उत्तर.3- (घ)

उत्तर.4- (घ)

उत्तर.5- (ग)

उत्तर.6- (क)

उत्तर.7- - (घ)

उत्तर.8 - (ख)

उत्तर.9- (ख)

उत्तर.10- (ख)

8.11 अभ्यास कार्य

प्रश्न 1- अवस्थान्तर की अवधारणा तथा महत्व को समझाइए?

प्रश्न 2- स्व–निश्चयन दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है?

8.12 चर्चा के विन्दु

प्रश्न 1- स्व–प्रबंधन क्या है? इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है अपने विचार दीजिए।

8.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- NIVH. (2015). Drishti viklangta (adhyapkon hetu ek sansadhan pustak, Dehradun. India.
- AICB. (2004). Shikshak prashikshan lekhmala. Delhi, India.
- AICB. (2011). Drishti Badha Sikshan. Delhi, india.
- Kumar, P. & Das, H. (2022). Vistarit Mool Pathyacharya- NIEPVD. Dehradun, India. RPwD Act. (2016)
- Mishra, V. (2017). Serve Shiksha Abhiyaan. Lucknow,UP. India.

इकाई 9 समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण

इकाई संरचना

9.1 प्रस्तावना

9.2 उद्देश्य

9.3 व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण

9.3.1 व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व

9.4 समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास की अवधारणा

9.5 समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास की प्रक्रिया

9.6 समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण के लाभ

9.7 समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण की चुनौतियाँ

9.8 सारांश

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.10 अभ्यास कार्य

9.11 चर्चा के बिंदु

9.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

9.1 प्रस्तावना

शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन तथा एक समावेशी समाज के निर्माण तथा विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इक्कीसवीं शताब्दी में विकास कि नई गाथा लिखने के लिए भावी पीढ़ी का शिक्षित तथा आत्मनिर्भर होना अति आवशयक है। शिक्षा को व्यवसाय के साथ जोड़ना ही व्यवसायिक शिक्षा कहलाता है। व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण विद्यार्थियों में व्यवसाय की समझ, उचित व्यवसाय का चुनाव एवं व्यवसाय से संबंधित आवश्यक योग्यता का विकास करती है। व्यावसायिक शिक्षा की महता इस बात से समझी जा सकती है कि आज तक की शिक्षा से जुड़ी लगभग सभी नीतियों, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा नीति से लेकर कोठारी कमीशन (1964–66) तथा नई शिक्षा नीति (1986) सभी में व्यावसायिक शिक्षा पर ज़ोर देने कि बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने तो 1995 तक 12 वीं कक्षा के 25% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य भी निर्धारित किया था। व्यावसायिक शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से इसे मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ODL) में भी सम्मिलित किया गया है। NCF 2005 के अनुसार 10 वीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों के पास व्यावसायिक शिक्षा एक विकल्प के रूप में होनी चाहिए।

9.2 उद्देश्य

- व्यावसायिक शिक्षा की समझ विकसित कर पाएंगे।
- अनेक शैक्षिक दस्तावेजों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधानों के बारे में जान सकेंगे।
- समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण के विषय में जान सकेंगे।
- समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण से कौशल विकास की प्रक्रिया को समझ सकेंगे।
- समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण के लाभों के बारे में जान सकेंगे।
- समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण की चुनौतियों को समझने में सक्षम हो सकेंगे।

9.3 व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण

शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ना वर्तमान समय की मांग है आज के दौर में व्यवसायिक शिक्षा अति आवशयक हो गई है क्योंकि वास्तव में शिक्षा तो वही है जो व्यक्ति को जीविकोपार्जन के योग्य भी बना सके। व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) की स्थापना 1956 में कर दी गई उसके उपरांत राज्य सरकारों द्वारा राज्यों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की तर्ज पर राजकीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से हर वर्ष एक बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थियों को व्यावसायों से संबन्धित कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

व्यवसायिक शिक्षा से अभिप्राय व्यावहारिक विषयों तथा पाठ्यक्रमों से है जिनके माध्यम से विद्यार्थियों के मौलिक ज्ञान, कौशल तथा उस प्रकृति का विकास करने में समर्थ होता है जिससे वे एक कुशल श्रमिक या उद्यमी बनने हेतु प्रेरित हो सकें। व्यवसायिक शिक्षा में विद्यार्थियों के कौशल विकास तथा प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है जिससे शिक्षा प्राप्त करने के साथ–साथ विद्यार्थी अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने कौशल का विकास करते है। व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण वर्तमान समय की मांग है। नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 में भी एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य छात्रों को किसी क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों हेतु आवश्यक कौशल अर्जित करने के साथ ही उनके विषय में आधारभूत जानकारी रखना तथा स्वयं को उसके अनुरूप ढालने का अवसर प्रदान करना है। कम उम्र में व्यवसाय से संबन्धित ज्ञान विद्यार्थियों को उच्च कक्षाओं में अपनी पसंद के विषयों का चयन करते समय सही निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा।

9.3.1 व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व

किसी भी देश के विकास में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का अत्याधिक महत्व होता है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए तैयार करना होना चाहिए। सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनने के लिए एक अच्छे रोजगार का होना आवशयक है। जो शिक्षा व्यवस्था अपने अन्य मूल्यों के साथ–साथ रोजगार के पर्याप्त विकल्प उपलब्ध करवा पाए वास्तव में वही शिक्षा सर्वोत्तम एवं देश को विकास की राह पर ले जाने वाली है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के बीच विद्यार्थियों के पास व्यावसायिक शिक्षा का विकल्प होना अति आवश्यक है। रोजगार में सहायक होने के परिणामस्वरूप इससे राष्ट्र की प्रतिव्यक्ति आय में बृद्धि होती है जिससे यह राष्ट्र के विकास में भी सहायक है। रटने या मस्तिष्क पर ज्यादा ज़ोर देने की अपेक्षा यह शिक्षा प्रयोगिक ज्ञान एवं अभ्यास पर आधारित होती है जिसे विद्यार्थी बड़ी ही लगन के साथ ग्रहण करते हैं अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए भी अति आवशयक है।

व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कि संकल्पना, शिक्षा के समांतर चलती आ रही है। स्वतन्त्रता से पूर्व से लेकर आज तक के लगभग सभी शैक्षिक दस्तावेजों में इसका उल्लेख देखने को मिल जाता है। वर्धा शिक्षा योजना को बुनियादी शिक्षा योजना (1937–38), के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में महात्मा गांधी जी द्वारा यह प्रस्ताव 1938 में हरीपुर अधिवेशन में रखा रखा था कि शिक्षा को हाथों से किए जाने वाले उत्पादक कार्यों के इर्द–गिर्द होना चाहिए। जहां तक संभव हो विकसित की जाने वाली हर कला को, सभी योग्यताओं को तथा दिये जाने वाले प्रशिक्षण को अखंड रूप से उस केन्द्रीय हस्तकला से संबन्धित होना चाहिए जिसे बच्चे के वातावरण को ध्यान में रखकर चुना गया है। उनका मानना था कि सभी विषयों जैसे मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र), सामान्य विज्ञान, चित्रकला, संगीत, गृहविज्ञान, शारीरिक शिक्षा आदि सभी विषयों को हस्तकला के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उनका यह मानना था कि हस्तकला पर आधारीत शिक्षा मस्तिष्क और हृदय के गुणों को विकसित करती है साथ ही ऐसी शिक्षा होने से सभी वर्गों के बीच समानता भी आएगी। सार्जेंट रिपोर्ट (1944), में भी इस बात को दोहराया गया कि प्राथमिक शिक्षा को किसी बुनियादी हस्तकला पर आधारित होना चाहिए। सिखाई गई बुनियादी हस्तकलाओं को स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होना चाहिए। इसे कार्यान्वित करने के लिए साधारण छात्र जिन्होंने सीनियर

बेसिक विद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी कर ली है को जूनियर बेसिक तकनीकी शिक्षा में प्रशिक्षण देकर उन्हें इस कार्य में लगा देना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) ने भी व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन के कोर्सों के लिए कृषि, चिकित्सा, वाणिज्य, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी, कानून तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण को बढ़ाए जाने पर ज़ोर दिया था।

सरकार के शैक्षिक दस्तावेजों में चाहे वह कोठारी आयोग (1964–66) हो या नई शिक्षा नीति 1986 सभी में व्यवसायिक शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया है तथा सुधारात्मक प्रयासों को सुझाया गया है। साथ ही इन सभी नीतियों के कार्यान्वयन से संबन्धित एक विषय 'समाजोपयोगी उत्पादक कार्य' (Socially Useful Productive Work) भारत के विद्यालयों में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। जिसके अतंर्गत छात्र अनेक क्रियाकलापों को चुननते हैं जैसेरू कढ़ाई, बुनाई, खाना पकाना, चित्रकारी, बढ़ईगीरी तथा हास्तकलाएँ इत्यादि कार्य सिखाये जाते हैं तथा बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों को दल बनाकर सामुदायिक सेवा करनी होती है। इस विषय कि शुरुआत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1978 में कि गई इसका मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों को प्रसारित करना है। नई शिक्षा नीति 2020 में वोकेशनल एजुकेशन का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है क्योंकि इसके तहत देश के सभी शिक्षण संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम में वोकेशनल एजुकेशन को शामिल करने को कहा गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत की ज्यादातर आबादी युवा है और 64 फ़ीसदी आबादी काम करने योग्य अर्थात 15 से 59 वर्ष की उम्र सीमा के तहत आती है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी किए गए स्टेट ऑफ़ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020: टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (TVET) का शीर्षक 'वोकेशनल एजुकेशन फर्स्ट'रखा गया है जो भारत में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को दिखाता है।

9.4 समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास की अवधारणा

व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को जानकर जैसा कि हमने देखा कि व्यावसायिक शिक्षा आज जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। व्यावसायिक शिक्षा से लाभार्थी को लाभान्वित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि लाभार्थी के परिवास, समाज तथा समुदाय को उसकी आवश्यकता, प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा के लिए योग्य बनाने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है यह प्रशिक्षण सक्षम एवं विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता है। समुदाय आधारित प्रशिक्षण पूरे समुदाय को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। यह विशिष्ट व्यापार या व्यवसाय के लिए इच्छुक व्यक्तियों को तैयार करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा व्यावसायिक कौशल का विकास किया जाता है जिससे लोगों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाया जा सके। विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों में वंचित स्थितियों में लोगों के लिए प्रशिक्षण की पहुंच देने के लिए सामुदायिक आधारित प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। समुदाय–आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण का उद्देश्य कौशल और स्थानीय रोजगार के अवसरों के बीच की खाई को पाटना है। अधिक कठिनाइयों का सामना करने वाले समूह, विशेष रूप से युवा, कम कुशल श्रमिक, विकलांग श्रमिक और ग्रामीण समुदायों, दूर–दराज और विशेष जरूरतों वाली अन्य आबादी के लिए समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण बहुत लाभदायक है इसके अंतर्गत कृषि और गैर–कृषि गतिविधियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान दिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए व्यवसाय के साथ–साथ अन्य सेवाओं की एक श्रृंखला भी प्रदान करते हैं।

समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए अधिक प्रासंगिक है। इसके तहत रोजगार के स्थानीय अवसरों की पहचान करने के पश्चात संबन्धित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। समुदाय–आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण में कार्य–आधारित शिक्षा, कौशल की एक मजबूत विशेषता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण सिलाई, कढ़ाई, जूट या बांस से परंपरागत वस्तुओं का निर्माण करना, मशरूम की खेती, अचार पापड़ जैसी घरेलू चीजों को बनाना, जल एवं मृदा संरक्षण तथा कम्प्यूटर का सामान्य प्रशिक्षण इत्यादि शामिल हो सकता है।

9.5 समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास की प्रक्रिया

समुदाय आधारित व्यावसायिक शिक्षा के लिए समुदाय में जाकर लोगों को प्रशिक्षण की आवश्यकता तथा

महत्व के विषय में जागरूक किया जाता है। समुदाय को प्रशिक्षण के विषय में जागरूक किए बिना प्रशिक्षण कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं है। समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण की यह प्रक्रिया निम्नलिखित अनेक सोपानों में से होकर गुजरती है

1- **समुदाय का निर्धारणः**— समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण का सबसे पहला चरण उपयुक्त समुदाय का चुनाव करना होता है जिसे प्रशिक्षण दिया जाना है। सामान्यतः समुदाय आधारित प्रशिक्षण का आयोजन अधिक कठिनाइयों का सामना करने वाले समूह, विशेष रूप से युवा, कम कुशल श्रमिक, दिव्यांग श्रमिक, ग्रामीण समुदायों, दूर—दराज और विशेष जरूरतों वाली आबादी के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसे अनेक समुदायों में से भी सबसे उपयुक्त समुदाय का पता लगाया जाता है जिसके लिए प्रशिक्षण सबसे पहले आवश्यक हों। साथ ही प्रशिक्षण का विषय, प्रस्तावित प्रशिक्षण की संबन्धित समुदाय हेतु सार्थकता, लोगों की रुचि इत्यादि का पता लगाना ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पहला चरण होता है।

2- **समुदाय को जागरूक करनाः**— समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समुदाय का निर्धारण करने के बाद अगला कदम समुदाय के लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता तथा महत्व के बारे में जागरूक करना होता है क्योंकि जब तक लोग प्रशिक्षण के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक वे न ही रुचि ले सकते और न ही अच्छे से प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्ण कर सकते हैं। अतः समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण का दूसरा कदम जागरूकता शिविर का आयोजन करना होना चाहिए।

3— **प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजनः**— जागरूकता शिविर का आयोजन करने के पश्चात प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि कार्यक्रम के विषय पर निर्भर करती है जो साधारणतया घंटों के हिसाब से होती है जैसे 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे इत्यादि। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन समुदाय के बीच में ही किया जाता है जिससे विविध विशेषताएं लिए हुए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आसानी से प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थान सुगम, एवं समुदाय के भौगोलिक क्षेत्र के बीचों बीच होना चाहिए। कई बार सरकार द्वारा (Stipend) भत्ते की भी व्यवस्था होती है ऐसा होने से जहां ज्यादा से ज्यादा लोग कार्यक्रम में भाग लेते हैं वहीं कार्यक्रम को उत्साह के साथ पूरा भी कर लेते हैं।

4-**मूल्यांकन तथा प्रमाण पत्र प्रदान करनाः**— प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तथा अवधि पूर्ण होने पर मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है। मूल्यांकन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते है।

5—**प्रशिक्षित लोगों का मार्गदर्शनः**— प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण का सफल उपयोग करने हेतु मार्गदर्शन किया जाता है। इसमें प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण के लाभ के बारे में तथा प्रशिक्षण से अपना व्यवसाय या किसी सरकारी या गैर सरकारी संगठन इत्यादि में रोजगार कैसे मिल सकता है के विषय में जानकारी दी जाती है।

9.6 समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण के लाभ

- समुदाय को जागरूक करना।
- समुदाय के लोगों को प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास करना।
- बेरोजगार एवं आवश्यकता वाले लोगों को रोजगार के लिए काबिल बनाना।
- कौशल विकास से आत्मविश्वास को बढ़ाना।
- समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
- समुदाय के भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का लाभदायक उपयोग
- प्रशिक्षण से रोजगार प्राप्त करने पर अन्य समुदायों हेतु एक प्रेरणा

9.7 समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण की चुनौतियाँ

1- समुदाय के सदस्यों से संचार संबंधी कठिनाई

2- समुदाय के लोगों की आवश्यकताओं को समझना तथा व्याख्या करना

3- उपयुक्त प्रशिक्षण विषय का चुनाव करना

4- आर्थिक चुनौतियाँ

5- सलाह एवं परामर्श

6- प्रशिक्षण के लिए संसाधनों की व्यवस्था

7- प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार के अवसरों की व्यवस्था

बोध प्रश्नः—नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1995 तक 12 वीं कक्षा के कितने प्रतिशत बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था?

(क) 20 (ख) 25 (ग) 30 घ) 35

.....

.....

प्रश्न 2- NCVT की स्थापना कब की गई?

(क) 1955 (ख) 1956 (ग) 1957 (घ) 1958

प्रश्न 3- नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कौन सी कक्षाओं से विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगी?

(क) 3—5 (ख) 6—8 (ग) 9—10 (घ) 11—12

.....

.....

प्रश्न 4- वर्धा शिक्षा योजना किसने प्रस्तुत की?

(क) जवाहर लाल नेहरू (ख) सरदार पटेल (ग) महात्मा गांधी (घ) डॉ रजेंद्र प्रसाद

.....

.....

प्रश्न 5- सामुदाय आधारित व्यावसायिक शिक्षा का लाभ है?

(क) जागरूकता (ख) आत्मविश्वास बढ़ाना (ग) आत्मनिर्भर बनाना (घ) उपरोक्त सभी

.....

.....

9.8 सारांश

व्यावसायिक शिक्षा किसी भी व्यक्ति के कौशल विकास के लिए अति आवश्यक है। भारत सरकार के अनेक दस्तावेजों में वर्णित व्यावसायिक शिक्षा से सभी के लिए इसके महत्व को समझा जा सकता है साथ ही इसे जन–जन तक पहुंचाने में समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार का एक माध्यम है। व्यावसायिक प्रशिक्षण से कौशल विकास होता है तथा विकसित कौशल रोजगार प्राप्त करने में सहायक होते हैं। व्यावसायिक शिक्षा को अधिक कठिनाइयों का सामना करने वाले समूह, विशेष रूप से युवा, कम कुशल श्रमिक, दिव्यांग श्रमिक, ग्रामीण समुदायों, दूर–दराज और विशेष जरूरतों वाली आबादी तक पहुंचाने में सामुदायिक आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण की एक विशेष भूमिका है। समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से जरूरतमन्द तथा बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाया जा सकता है। वे जहां किसी सरकारी रोजगार में लग सकते हैं वहीं गैर सरकारी या अपना व्यवसाय भी शुरू करने में सक्षम हो सकते हैं।

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 1–(ख)

उत्तर 2–(ख)

उत्तर 3–(ख)

उत्तर 4–(ग)

उत्तर 5–(घ)

9.10 अभ्यास कार्य

प्रश्न 1- व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए?

प्रश्न 2- समुदाय आधारित व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए?

9.11- चर्चा के बिन्दु

प्रश्न 1- समुदाय आधारित व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण की मुख्य चुनौतियाँ पर अपने विचार दीजिए।

9.12- कुछ उपयोगी पुस्तके

- NIVH. (2015). Drishti viklangta (adhyapkon hetu ek sansadhan pustak, Dehradun. India.
- AICB. (2004). Shikshak prashikshan lekhmala. Delhi, India.
- AICB. (2011). Drishti Badha Sikshan. Delhi, india.
- Kumar, P. & Das, H. (2022). Vistarit Mool Pathyacharya- NIEPVD. Dehradun, India.
- Walia,J.S. (2008). Development of Educational System in India. Jalandhar City Punjab. India.
- ILO (2022). Initial review of community bades vocational training (CBVT) in G20 countries.